राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 7

मंगलवार,

10 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : राम-राम सा। प्रश्नकाल। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद। मैं दूंगा आपको समय प्रश्नकाल के बाद। नहीं, अपने यहां एक व्यवस्था है कि प्रश्नकाल में कोई विषय नहीं लेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रश्नकाल के बाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट की बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोई शोर नहीं मचाएंगे, एक मिनट सुन लीजिए आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके यहीं तो बैठकर तय हुआ था। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से कि जिस तरीके से कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर के बात हुई थी, आपने जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर और प्रदेश अध्यक्ष पर, जो धरना चल रहा था, उसमें पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। उस लाठी चार्ज के अन्दर जो पुलिस के फुटेज थे माननीय गृह मंत्रीजी के पास, उन्होंने बताया कि पुलिस के फुटेज के अन्दर उन्होंने देखा है। हमने यह निवेदन किया कि पुलिस की फुटेज के साथ-साथ आप मीडिया के फुटेज और हमारे पास में भी फुटेज हैं, वह बैठकर तय कर लें और उसमें एक कमेटी बना लें। उसमें हमारे माननीय सदस्य हो जाएंगे, आपके भी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हो जाएंगे। आप जो कमेटी बनाएंगे, उसमें फुटेज देखकर के निर्णय कमेटी करेगी। इसलिए हमारा गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इस पर वे अपनी बात रखें।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मेरा एक और निवेदन है कि जिस तरीके से उस दिन 3 तारीख को हमने हमारी बात रखी, माननीय विधायकजी पिट करके आये यहां और जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और हमें मार्शल के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, नहीं, पूरा भाषण नहीं करने दूंगा मैं। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आसन पर आक्षेप नहीं। अध्यक्ष महोदय, आसन पर आक्षेप थोड़े लगाएंगे ये। आसन पर आक्षेप मत लगाइए आप। आज जब अच्छे वातावरण में बात हो रही है और आसन पर आप आक्षेप लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष : पूरा भाषण नहीं करने दूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : आपने बोल लिया एक मिनट। आप पूरा भाषण करना चाहते हैं यहां। प्रश्न काल के बाद कीजिए आप। आप प्रश्न काल के बाद कीजिए। अंकित नहीं हो। प्रश्न काल के बाद; प्रश्न काल के बाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह देवल। आपने अपनी बात रख दी है, अब प्रश्न काल के बाद। यहां एक सामान्य परिपाटी बनी हुई है कि प्रश्न काल में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। प्रश्न काल सबसे पहले लिया जाएगा। उस परिपाटी को मैं नहीं तोड़ना चाहता। आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है, मंत्रीजी बोल रही हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

जालौर जिले में खराब हैंडपम्प/ट्यूबवैल ठीक कराने की योजना

94. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जालौर जिले में पेयजल के स्रोत (हैण्डपम्प, ट्यूबवैल) लम्बे समय से खराब हैं? यदि हां, तो कितने एवं कब से?

(2) क्या सरकार उक्त खराब पेयजल के स्रोतों (हैण्डपम्प, ट्यूबवैल) को दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जालौर जिले की विभिन्न/ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत कोई नलकूप वर्तमान में बंद नहीं है। जिले में दिनांक 7.3.2015 की स्थिति के अनुसार मरम्मत-योग्य खराब पाये गये 8 हैण्डपम्पों सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा प्रदेश में दिनांक 1.4.2014 से चल रहे 38वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान उक्त क्षेत्र में मरम्मत-योग्य खराब पाये गये कुल 596 हैण्डपम्पों की शिकायतों में से अब तक 592 प्रकरणों में मरम्मत कर सुधारा गया है तथा शेष 4 हैण्डपम्प मरम्मत के दौरान सूखे पाये गये। जिले में समय-समय पर खराब होने वाले अन्य हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि खण्ड-एक के उत्तर में बताया गया है कि जालौर जिले के विभिन्न शहरों/ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कोई नलकूप वर्तमान में बंद नहीं है, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वर्तमान में 21 नलकूप ड्राई होने के कारण बंद पड़े हैं। इन नलकूपों के बंद होने के कारण जनता की मांग के अनुसार पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए इनकी क्षतिपूर्ति के लिए नये नलकूप स्वीकृत किये जाकर पेयजल आपूर्ति किये जाने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार से?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि उनके 21 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, जबकि उन्होंने मुझे जो हैण्डपम्प की सूची दी थी, 39 हैण्डपम्प की सूची, यह उन्हीं के द्वारा मेरे पास में आई थी कि ये हैण्डपम्प बंद पड़े हैं मेरे यहां पर। उन 39 में से केवल 4 ही ऐसे हैण्डपम्प हैं जो सीजनल हैं, बरसात के अन्दर वे रि-चार्ज होते हैं। इसलिए वे सूखे तो हैं अभी लेकिन बरसात होने पर वे रि-चार्ज अपने आप हो जाएंगे। इसलिए वहां पर कोई दूसरी जगह पर, क्योंकि हार्ड राक होने की वजह से अगर हम दूसरा भी हैण्डपम्प करायेंगे तो उसकी भी वही स्थिति रहने वाली है। उसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो हम लोग नया रि-बोर भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उनके द्वारा हमें 39 हैण्डपम्प की लिस्ट दी गई है, उसकी पूरी वस्तुस्थिति हमने पता करा ली है और उसमें मात्र 4 ही ऐसे हैण्डपम्प हैं जो सूखे हैं, जो ड्राई हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लिस्ट हैण्डपम्प की थी, वे तो सारे रिपेयर हो गये हैं और चार ड्राई हैं, वे हो नहीं पाये हैं। इसके अलावा, 21 ट्यूबवैल ड्राई हो गये हैं। तो इस कारण से पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

दूसरा, जिन स्थानों पर जल प्रदाय योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहां हैण्डपम्प खुदवाये जाकर पेयजल आपूर्ति किये जाने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, निश्चित रूप से हम पूरी मंशा रखते हैं; जहां पर अगर ट्यूबवैल सूख गये हैं तो हम लोग वहां पर हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि उसके अन्दर हम लोग रि-बोर कर दें। अगर वहां फीजिबिलिटी है, पानी होने की सम्भावना है तो हम लोग तुरन्त उसकी कार्रवाई करेंगे। जैसा आपने कहा, हमारी पूरी मंशा है, हम शुद्ध पेयजल दें। अगर कहीं पर हमारे ट्यूबवैल्स सूख गये हैं तो हम लोग उनको रि-बोर करायें या कुछ वैकल्पिक हम लोग करें, इसके बारे में हमारी पूरी मंशा है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, जोगारामजी, जालौर से सम्बन्धित ही पूछेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जालौर जिले में कुल कितने ट्यूबवैल कार्यरत हैं और उस पर कितना महीने का या साल का बिजली का खर्चा आ रहा है? अगर सब के सब चालू हैं, तो क्या कोई भी ट्यूबवैल किसी भी कारण से सूख गये हैं, या बंद हो गये हैं, या खराब हो गए हैं? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : एक हो गया है न। अच्छा, साथ कर कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : दूसरा, जालौर जिले में कुल कितने हैण्डपम्प कार्यरत हैं और उनमें से कितने किस कारण से खराब हो गये हैं, या खराब होने की अवधि कितनी है?

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि कितने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं और कितने ठीक हो रहे हैं, उसका मैं आलरैडी जवाब दे चुकी हूं। दोनों बात पूछी हैं आपने, पहला आपने पूछा, टयूबवैल और सैकण्ड आपने पूछा, हैण्डपम्प। तो टयूबवैल का जहां तक सवाल है, टयूबवैल के लिए उन्होंने कहा कि कितने टयूबवैल हैं, क्योंकि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं था, यह टयूबवैल और हैण्डपम्प से सम्बन्धित है, तो इनको सूची हम दे देंगे, मैं इनको पहुंचा दूंगी कि कितने टयूबवैल जालौर जिले में हैं और कितने खराब हैं। लेकिन मैंने यह आपको कहा कि निश्चित रूप से हमारी मंशा है कि जो टयूबवैल्स सूखे हैं, उन टयूबवैल को अगर रि-बोर हो सकता है तो उनको रि-बारे करवाएंगे। पी.एच.ई.डी. की जहां-जहां स्कीम्स चल रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन स्कीम्स के अन्दर अगर टयूबवैल्स सूख गये हैं और बाकी सारी व्यवस्था है, अगर लाइट का कनेक्शन है, पाइप लाइन डली हुई है, तो उसको हम लोग करेंगे। जहां तक हैण्डपम्प का सवाल है, उसका जवाब आलरैडी दिया जा चुका है कि 596 हैण्डपम्पों में से 592 ठीक हैं और 4 हैण्डपम्प खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है। दूसरा पूरक प्रश्न। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जो जवाब, मंत्री महोदय, आपने दिया है, टयूबवैल एरिया डार्क जोन होने के कारण सूख गये हैं, हैण्डपम्प भी सूखे गये हैं, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि पिछली पांच साल की सरकार ने एक भी हैण्डपम्प रिपेयर नहीं कराया और आपने कराया है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप सवाल पूछिए जालौर के बारे में।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : जो हैण्डपम्प या टयूबवैल सूख गये हैं, जिनमें पानी नहीं है उस कारण से बंद हो गये हैं, तो उन गांवों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर पानी पहुंचाने की आप मंशा रखते हैं क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो कहा कि हम पानी को ट्रांसपोर्ट करने की मंशा रखते हैं या नहीं, तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने की हमारी मंशा है। जहां-जहां कोई भी हैण्डपम्प के अन्दर वहां जमीन में पानी नहीं है, जनता के लिए पानी की वैकल्पिक व्यवस्था हम हमेशा करते आये हैं। जब-जब भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, पूरी तरीके से संवेदनशील रहे। माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी यह निर्देश है कि जहां पर भी अगर, पानी की बहुत सारी स्कीम्स आपके वहां पर भी चल रही हैं, जो हमारी सरफेस वाटर से पानी पिलाने की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को भी हमने बहुत फास्ट-अप किया है, उन स्कीम्स को भी हम उसमें करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन आफ वाटर, जहां पर पानी की उपलबता नहीं हैं, वहां पर हम लोग करेंगे। अगर हैण्डपंप में नहीं है, टयूबवैल से नहीं हो सकता तो वहां हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : तीसरा पूरक प्रश्न हो गया है। श्री बाबू सिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या यह सही है कि जनता जल योजनाएं पंचायती राज में जाने के बाद यह परेशानी आई है? तो क्या जितनी ये योजनाएं हैं, इनको...

श्री अध्यक्ष : जालौर के बारे में।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : हां, जालौर के बारे में है। पूर्व की भांति आप पुन: पंचायती राज से हटा कर जलदाय विभाग के माध्यम से इनको दुरुस्त

(श्री बाबू सिंह)

कराने का या योजनाएं पुन: जलदाय विभाग के माध्यम से दुरुस्त करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, बड़ी चतुराई से माननीय सदस्य ने पूछा है। जालौर का जो प्रश्न है, वह हैंडपंप रिपेयर का है और ये मुझे जनता जल पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात का जवाब देना चाहती हूं कि कल ही बजट पेश हुआ और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 139 करोड़ रुपये जनता जल योजना को रिपेयर करने के लिए रखे हैं, जिसके तहत जितनी भी जनता जल योजना, पूर्ववर्ती सरकार के समय में जिसको पूरा हैंडओवर कर दिया गया था पंचायत राज को, लेकिन पंचायत राज अब उस तरीके से सक्षम नहीं है कि उसको पूरी तरीके से पाइपलाइन टूटी है तो रिपेयर कर दे, टंकी अगर फट गई है तो उसको ठीक कर दे। तो हमने अब इसके अन्दर, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो प्राविजन रखा है, वह 139 करोड़ का रखा है, उसके माध्यम से जो जनता जल योजनाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं उसको हम लोग कहीं न कहीं रिआर्गेनाइज करवाएंगे और उसके अन्दर रिपेयर करेंगे।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : जलदाय विभाग से करायेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी मंत्री) : पी एच ई डी विभाग से करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। जवाब हो गया आपका।

श्री मानिक चन्द सुराना।

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

95. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों में कुल कितने व्यक्ति 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2014 तक पंजीकृत हुए और सरकार द्वारा उनमें से कितनों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है? वर्षवार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या व जिन पदों पर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रोजगार उपलब्ध कराने में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है? यदि हां, तो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उक्त अवधि में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जिला रोजगार कार्यालयों में 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 5,19,330 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हुए। बेरोजगार व्यक्तियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	कुल पंजीकृत बेरोजगार
2012	1,79,917
2013	2,02,661
2014	1,36,752
योग	**5,19,330**

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन पदों पर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया, उनका वर्षवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार द्वारा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली रिक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों के नियमानुसार प्राथमिकता दी जा रही है। वर्षवार 2012, 2013 एवं 2014 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये रोजगार के पदों का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न 1.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2012 में 1,79,000 व्यक्ति पंजीकृत किये गये और उसके मुकाबले आपने बडी चतुराई से, जो रोजगार देने का आंकड़ा है, वह सिर्फ 'क' पर शामिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 819 व्यक्तियों को रोजगार मिला 2012 में; 2013 में सिर्फ 1,647 लोगों को रोजगार मिला। 819 का मतलब यह है कि करीब .50 परसेंट लोगों को रोजगार मिला और उसके बाद .70 मिला। 2014 में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

1,36,000 लोग पंजीकृत हुए और उसमें से सिर्फ 1,317 को, करीब 1 परसेंट लोगों को रोजगार मिला।

मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, यह रोजगार कम मिला, तो इसके लिए कितने महीने से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों की आपके विभाग में जो व्यवस्था है, उसमें मानिटरिंग की जाती है, उसका रिव्यू किया जाता है? कितनी बार रिव्यू किया जाता है साल में? यह बतायें। 2012 में कितनी बार किया गया? 2013 में कितनी बार किया गया? 2014 में कितनी बार किया गया? मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि हम बहुत कम रोजगार, रोजगार कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा पाये। क्योंकि रोजगार कार्यालय, 1996 तक जब यह प्रावधान था जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उसमें नाम रोजगार कार्यालय से मांगे जाते थे, लेकिन इसके बाद 1996 में एक माननीय उच्चतम न्यायालय का रिट संख्या 11646 के मामले में निर्णय आया कि पदों की भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय के नाम मांगने के साथ-साथ ही उक्त रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो, दूरदर्शन, रोजगार समाचार पत्र बुलेटिनों में प्रचार-प्रसार करा कर आवेदन पत्र मांगे जाएं। अत: ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयों से नहीं भेजा जा सका, जो पंजीकृत नहीं हों, वे भी सीधे नियोजकों को अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस निर्णय के बाद हमारे विभाग के साथ जो नौकरी प्राप्त करने वाले बेरोजगार थे, उनका कनेक्शन टूट गया, क्योंकि वे सीधे ही एप्लाई कर सकते हैं। रोजगार कार्यालयों से जो नाम पहले मांगते थे, उसको मांगने के अलावा सीधे जब देने लग गये लोग, तो रोजगार कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या में गिरावट आ गयी। क्योंकि अब वे सीधे ही जो भी नियुक्ति निकलती है, तो रोजगार कार्यालय का सम्बन्ध नहीं है, इसलिए वह सीधा जाकर अपना नामांकन उसमें दर्ज करा देता है। इस कारण से हमारा काम तो अब केवल सूचना देना रह गया है।

हमारे पास, जो भी हमारी नौकरी की विज्ञप्तियां निकलती हैं, हम डी पी आर के माध्यम से राजस्थान सरकार की जितनी हैं, वह हमारे जो सूचना पत्र हैं, जो हमारा अखबार निकलता है, उसके माध्यम से प्रेषित करते

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हैं और जो केन्द्र सरकार की हैं, वह हमारा जो केन्द्रीय एम्प्लायमेंट, जो हमारा मंत्रायल है, उनसे हम उनकी सूचियां प्राप्त कर लेते हैं और जो निजी पूंजी निवेशक हैं वे भी केवल हमें सूचना देते हैं। क्योंकि नौकरी की रिक्ति की सूचना देना है, रिक्ति की पूर्ति हमारे द्वारा नहीं रही, इसलिए नौकरियां देने में हमारा काम केवल रजिस्ट्रेशन करना रह गया है। इसलिए जब हमारे पास कोई सूचना आती है तो हम रजिस्ट्रेशन जितने भी लोगों का होता है, उनको हम उसी समय, उनका हमारा जो अखबार है रोजगार संदेश, उसके माध्यम से और उसके साथ-साथ हमारे जितने भी रजिस्टर्ड हैं, उनको हम सूचना देते हैं कि इस-इस विभाग में ये-ये नौकरियां निकली हैं और उसके लिए जो मार्गदर्शन वे मांगते हैं और जो हमसे पूछते है, वह हम केवल बताने का काम करते हैं।

हर साल हमारा विभाग कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने हमको नौकरी देने के अवसर मिले, केवल रोजगार मेले हम आयोजित करते हैं। उसमें पूंजी निवेशक जितने हैं, उनको हम इन्वाइट करते हैं। तो पूंजी निवेशकों की जो मांग होती है, उनके अनुरूप जो आशार्थी उपलब्ध होते हैं हमारे यहां रजिस्टर्ड, हम उन सबको बुलाते हैं, उनकी आपस में लाइजनिंग कराते हैं और वहां कोई छोटे-मोटे कई बच्चों को रोजगार जरूर मिल जाता है। जहां-जहां हमारे मेले हुए हैं, उनके आधार पर ही ये छोटी-मोटी नौकरियां हम उनको दिला पाये हैं। लेकिन, वास्तव में, क्योंकि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को बीच में हटा दिया गया, इसलिए सीधे नियुक्ति के लिए आवेदन जाने लग गये। तो इस कारण से नौकरियां देने में भारी गिरावट आई।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। पूरक प्रश्न नं. 2.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि 2012 में कितनी बार मानिटरिंग हुई? आपके 1996 में कोई भी निर्णय आ गया होगा, उस निर्णय से कहीं कोई विपरीत असर आपकी फंक्शनिंग पर नहीं पड़ रहा है। आप यदि सिर्फ सरकारी कार्यालयों को ही सूचित कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि पूंजी निवेशकों से भी हमारे पास उनकी जो सूचना आती है उनको हम करते हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं बड़े पैमाने पर? आप लकीर के फकीर क्यों बन रहे हैं?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जब यह कौशल विकास का युग है और माननीय मुख्य मंत्री महोदया पिछले बजट में कह चुकी हैं कि हमको कौशल विकास और आजीविका मिशनों को बढ़ावा देना है, जिन लोगों को आप समझते हैं, जो एक परसेंट ही रोजगार है, आधा परसेंट ही रोजगार मिलने वाला है, जो लोग कम सक्षम हैं, उनको आप कौशल विकास से जोड़ने की क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? क्यों नहीं उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, उनके कौशल विकास को बढ़ाने के लिए आप उनको कौशल विकास के माध्यम से क्यों नहीं ट्रेनिंग करा रहे हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं।

आप लकीर के फकीर न बनें और खाली सुप्रीम कोर्ट का हवाला न दें। आप अपनी निष्क्रियता और विभाग की निष्क्रियता और सरकार की निष्क्रियता, उसको भी रोजगार देने के प्रश्न पर हटाने का काम कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थन में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, वसुन्धराजी ने पिछले कार्यकाल में आरमोल की स्थापना की थी और इस उद्देश्य के साथ स्थापना की थी कि हमारे जो नौजवान हैं, उनका स्किल डवलपमेंट करेंगे और उनको रोजगार के खूब अवसर उपलब्ध करायें, लेकिन पिछली सरकार ने 'आरमोल' का हमारा जितना प्रोग्राम था वह ठंडे बस्ते में डाल दिया।

हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, इन्होंने 2009 में नेशनल स्किल मिशन चालू किया, उसके आधार पर हमने आर एस एल डी सी चालू किया है जिसमें हमने 176 कोर्स निर्धारित कर दिये हैं और 143 की हमारी क्लासेज शुरू हो गई है। उसमें 50 हजार लोगों को हमने आज तक स्किल डवलपमेंट में प्रशिक्षण दे दिये हैं। चार तरह का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम आर एस एल डी सी के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, एक तो दीनदयालजी के वाई ग्रामीण की योजना है उसमें है, एक आर एस टी पी में है, एक ई एल एस टी पी में है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, जवाब आने दीजिए। कृपया जवाब आने दीजिए। आप विराजिए, जवाब आने दीजिए। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : मैं निवेदन कर रहा हूं, हमने हर जिले में अपने कोर्डिनेटर नियुक्त कर दिये और हर जिले में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिये हैं। उन प्रोग्रामों के माध्यम से आज तक

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हम लगभग 50 हजार बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनमें से एम्प्लायमेंट लिंक प्रोग्राम भी है, जिसमें लगभग 17 हजार बच्चों को हमने नौकरी भी दी है। उसमें अब हम रोजगार मिले आयोजित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों गंगानगर में मेला था। तो जितने बच्चों ने स्किल्ड डवलपमेंट के कोर्स किये, हमने उनको बुलाया, निवेशकों को भी बुलाया और उन्होंने अपनी आवश्यकता-अनुसार जो स्किल डवलपमेंट किये हुए बच्चे थे, उनको रोजगार के लिए उन्होंने सलेक्ट भी किया। हम साल में दो मेले लगाते हैं, उन मेलों में जो प्राइवेट पूंजी निवेशक हैं उनको हम बुलाते हैं, कम्पनीज को हम बुलाते हैं, उनके साथ बैठकर जिन बच्चों ने स्किल डवलपमेंट के कोर्स किये हैं उनकी लाइजनिंग कराते हैं और फिर वे अपनी आवश्यकतानुसार उन बच्चों को सलेक्ट करते हैं और नौकरी देते हैं।

क्योंकि यह काम लगभग एक वर्ष में शुरू हुआ है, इसमें राजस्थान पूरे देश में नंबर एक पर आया है, हमें गोल्ड ट्राफी मिली है और प्रदेश के बाहर के डेलीगेशन हमारे यहां स्किल डवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यह नया कार्यक्रम है, इसको आगे हम बढ़ायेंगे। इसको हमने प्राइवेट पार्टनरशिप में उद्योगों के साथ भी जोड़ दिया। हमने यहां तक कर दिया कि किसी साइट पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां जितनी भी लेबर है, उसकी स्किल डवलपमेंट के लिए भी हम वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम चलायेंगे, स्किल डवलपमेंट करेंगे। जितने बच्चे स्किल डवलपमेंट से तैयार होंगे, उनको रोजगार के मेलों के माध्यम से और जो हमारा रोजगार संदेश अखबार है, उसके माध्यम से प्रचार-प्रसार करके उनको नौकरियों में लगाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। अब आपको वरिष्ठता के हिसाब से...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : एक सवाल है। सन् 2014 में जब आपकी सरकार आ गई तो आपके यहां रजिस्टर्ड कितने युवकों को कौशल विकास निगम में ट्रेनिंग के लिये भेजा? आप तो मुझे यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : हमने आज तक डेढ़ लाख नौजवानों का टारगेट रख लिया, अभी तक हमने 50 हजार बच्चों को ट्रेनिंग करके...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : आपके यहां रजिस्टर्ड थे, उनको कितनों को भेजा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : कौशल विकास में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो यह सुओमोटू हमने कहा है, हमारा जो 'रोजगार संदेश है उसके माध्यम से हम उनको गाइड करते हैं कि हमारे यहां ये-ये प्रोग्राम चल रहे हैं और आप इस प्रोग्राम में जहां भी एडमिशन लेना चाहते हों तो हम आपका एडमिशन करवायेंगे। क्यांकि यह इसी साल शुरू हुआ है तो इस सम्बन्ध में मैं आपको बता देता हूं कि हमारा आर एस एल डी सी सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो पांच ग्रुपों में चल रहा है, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसमें 75 परसेंट सेंट्रल का है और 25 परसेंट स्टेट का है। इसमें हमारे बी पी एल की सूची और नरेगा में काम करने वाले और ग्रामीण सभा द्वारा चुने हुए जो बच्चे हैं, उनको हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इसमें जितने भी बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे, उनके साथ 50 परसेंट बच्चों को उस प्रशिक्षण के साथ नौकरी देने का प्रावधान भी उस कंपनी के साथ किया है। हमारे ट्रेनिंग के लक्ष्य में 69,410 के एम ओ यू हो चुके हैं और इसका कुल बजट 398 करोड़ रुपये हमको मिल गया है और इसका काम कौशल विकास केन्द्रों में चल रहा है। इसमें 259 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 4,762 के कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे-जैसे ये प्रशिक्षण चलते जायेंगे..।

इसी तरह जो हमारा ई एल एस टी पी है, इसमें भी हमारे कौशल विकास की बड़ी योजना है। 173 कोर्स हमने इसमें सलेक्ट कर लिये। 50 परसेंट नौजवानों को नौकरी देने का भी हमारा एम ओ यू हुआ है। हमारे 77 प्रशिक्षित पार्टनर इसको चला रहे हैं और 47,843 बच्चों को हम इसमें प्रशिक्षण दे चुके हैं और 3,670 युवा इसमें प्रशिक्षण-अधीन हैं।

इसी तरह से विकास केन्द्रों में जो हमारे नवीन पार्टनर हैं, उनके साथ 84,620 का एम ओ यू भी हो गया है।

ई एल एस टी के माध्यम से आने वाले समय में 5 लाख का टारगेट हमारा तीन साल का है। इसमें भी हम यह सारा का सारा टारगेट पूरा करेंगे और जो हमने 15 लाख का टारगेट रखा है, उससे भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण देंगे।

श्री अध्यक्ष : पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : निवेदन नहीं, सवाल पूछिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : सवाल ही है, कि दिसम्बर, 2013 में सरकार के आ जाने के बाद कितने लोगों को स्किल एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन फरमा दिया गया है और सरकार आ जाने के बाद कितने लोगों को स्किल्ड हो जाने के बाद विभिन्न विभागों में नौकरिया दे दी गईं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : ई एल एस टी पी में ही हमने जो प्रशिक्षित युवा हैं, दो तरह के हमारे एम्प्लायमेंट लिंक प्रोग्राम हैं, इसमें एक में हमने 50 परसेंट नौजवानों को नौकरी देने के लिए एम ओ यू किया है...

श्री अध्यक्ष : आपसी बातचीत नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार) : और एक में 70 परसेंट लोगों को रोजगार देने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। दूसरा पूरक प्रश्न, भैराराम चौधरी। नहीं, आप अलग से मिल लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैं मुख्य मंत्री महोदया से...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदया विराज रही हैं लेकिन जवाब उधर से आ रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैं उनको अर्ज कर रहा हूं कि वे इस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की फंक्शनिंग को देखें और इसमें यह जो लैचेज हैं कि रजिस्टर्ड लोगों को कौशल विकास का अवसर नहीं मिल रहा है, उस बात को देखें। यह बहुत साफ है कि कौशल विकास में किसी को नहीं भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। श्री भैराराम चौधरी। हैं ही नहीं।

अगला प्रश्न।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

प्रदेश में नरेगा योजना की राशि का शत-प्रतिशत उपयोग

96. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नरेगा योजना की धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार नरेगा योजना को अन्य विभागों के साथ सम्मिलित कर राज्य के निवासियों को स्थिर आजीविका प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल) : (1) राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग कराना चाहती है परन्तु महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है एवं इसमें धनराशि का व्यय रोजगार की मांग पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु इस विभाग एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से निर्देश जारी किये गये हैं। अभी तक जारी किये जा चुके निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न एक। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : मंत्री महोदय, एक बात आप बतायें, 2008-09 में जब यह योजना पूरे के पूरे राज्य में लागू हुई, तब आपके पास में योजना मद से कितनी राशि आई? उस वक्त आपने कितने परिवारों को सौ दिवस तक का रोजगार दिया? और 2008-09 के उपरांत क्या इसमें निरन्तर कमी आई है? पहले तो आप इसका दे दें, then I will get back.

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, हां, यह सही है, उक्त योजना में प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग राज्य में नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2008-09 में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कुल उपलब्ध राशि थी 7,337.43 करोड़, उसके अंगेस्ट में खर्च हुए, 6,175.55 करोड़। उस समय हमारी सरकार थी। हमारी सरकार जाने के बाद में, 2009-10 में 8,731.32 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए, उसके अगेंस्ट में 5,669.05 खर्च हुए; वर्ष 2010-11 में कुल उपलब्ध राशि थी 6,855.7 करोड़, उसके अगेंस्ट में खर्च हुए; 3,300.32 करोड़, वर्ष 2011-12 में, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, कुल उपलब्ध राशि थी, 4,553.84 करोड़ रुपये; उसके अंगेस्ट में खर्च हुए; 3,203.52 करोड़ रुपये; 2012-13 में 4,024.44 करोड़ की उपलब्धि थी, उसके अंगेस्ट में खर्च हुए 3,271.10 करोड़ रुपये; वर्ष 2013-14 में 2,960.86 करोड़ की उपलब्धि थी, उसके अगेंस्ट में खर्च हुए सिर्फ 2,414.07 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2014 में आई, इसमें 3,450.14 करोड़ रुपये की उपलब्धि थी, उसके अगेंस्ट में अभी तक हमने 3,062.46 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वर्ष 2008-09 में 6,175 करोड़ रुपया कुल व्यय हुआ था, वह घटकर वर्ष 2012-13 में 2,614 करोड़ रुपया ही रह गया है। क्योंकि यह योजना मांग-आधारित योजना है, इसमें प्राप्त धनराशि का उपयोग एवं व्यय रोजगार की मांग पर निर्भर करता है, जो प्रति वर्ष घटती-बढ़ती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस वर्ष 2014-15 में व्यय राशि गत वर्ष की तुलना में 17 परसेंट बढ़ कर फरवरी तक 3,062 करोड़ रुपये व्यय हो चुकी है, जो 89 परसेंट है; एक महीना बचा है और उसमें भी पूरा टारगेट अचीव कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : मंत्री महोदय, मैं इसको बड़े सरल तरीके से सदन के सामने प्रस्तुत कर देता हूं, जब यह सम्पूर्ण राजस्थान में लागू हुआ, उस वक्त आपने 25 लाख हाउसहोल्ड को सौ दिन का रोजगार दिया। मैं 2008-09 की बात कर रहा हूं। क्या यह सही नहीं है कि अब जाकर यह बिन्दु 2 लाख परिवार तक आकर ठहर गया है पिछले चार साल में? मैं अभी 2014-15 की बात इसलिए नहीं कर रहा कि 2014-15 का तो अभी आपका 31 मार्च आना है। मैं अपको 2013 तक के आंकड़े बता रहा हूं। 2013 तक क्या निरन्तर सौ दिवस प्राप्त करने वाले हाउसहोल्ड की संख्या, जहां

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

2008-09 में 25 लाख थी, जो कि 76 परसेंट था और 2008-09 में राजस्थान नरेगा में अग्रणी था, क्या 2009 के बाद में पूर्ववर्ती सरकार के समय यह धीरे-धीरे घटता हुआ, 2.42 पर नहीं आ गया?

आ गया तो 2011-12 में उस वक्त की केन्द्र सरकार ने कन्वर्जेंस का इसमें डाला। 2011-12 के कन्वर्जेंस में उस वक्त तो मध्य प्रदेश ने कई योजनाएं ले लीं जिससे उनका 75 परसेंट से ऊपर चला गया और निवर्तमान सरकार की उदासीनता की वजह से यह राशि निरन्तर घटती गई। घटने की वजह से जिस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता था, वह इसलिए खड़ा नहीं कर पाये।

मैंने आपसे पूछा था कि शत-प्रतिशत राशि पूरी करने के लिये क्या आप विशेष योजना बनायेंगे? यह योजना 2011-12 से बननी चाहिये थी, नहीं की। वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने दो आर आपकी मीटिंग ली है। एक बार तो यूनियन गवर्नमेंट को यह लिखा है कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा इसको डवटेल करने के लिए आप दें। आपके 14 लाइन डिपार्टमेंट हैं, इन 14 लाइन डिपार्टमेंट में से ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं जिनकी उदासीनता है, वे आपसे कन्वर्जेंस के साथ तालमेल नहीं रखना चाहते? और हैं तो उसके क्या कारण हैं? क्यों न यह सदन सुनिश्चित करे कि उन लाइन डिपार्टमेंट को, आपके नरेगा के माध्यम से लाइन डिपार्टमेंट में कन्वर्जेंस करके रोजगार दिलाने की स्थायी सुनिश्चित व्यवस्था आप प्रदान करें?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता चाहता हूं कि आपने सवाल पूछा है, गत वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में गिरावट क्यों आई? अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मजदूरों द्वारा काम की मांग में कमी आ जाने इस योजना में गत वर्षों में व्यय में कमी आई है परन्तु गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17 परसेंट अधिक व्यय हो चुका है।

जहां तक कन्वर्जेंस का सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि उक्त योजना में अन्य विभागों की भागीदारी बढ़ाई जाये तथा अन्य राजकीय विभाग न केवल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करें,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बल्कि उनके साथ वित्तीय कन्वर्जेंस भी किया जाये। इस दिशा में विभाग द्वारा अभी तक जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग के साथ संयुक्त हस्ताक्षर कन्वर्जेंस गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। शेष रहे विभाग, जैसे सार्वजनिक विभाग है, वन विभाग है, पशु-पालन विभाग है, सहकारिता विभाग है, खेलकूद विभाग है, आदि के साथ कन्वर्जेंस की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय सदस्य, एक मिनट आप बैठें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : नहीं, आप बोलो। मैं तो खड़ा ही हूं, मैं बोल नहीं रहा। मैं तो खड़ा हूं, मैं बोल नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। मंत्रीजी डिस्टर्ब होते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विभाग ने कन्वर्जेंस लागू करने के लिए, मध्य प्रदेश पैटर्न लागू करने के लिए भी अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश भेजी थी और वह टीम सर्वे करके आई है। उसके अलावा, हमारे केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का भी यहां दौरा करवाया था और उनके साथ 8-9 स्टेट के मिनिस्टर्स और अधिकारियों को बुलाकर उनके भी सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

एक साढ़े सात सौ करोड़ की प्लानिंग बनाकर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजी है जो वहां से प्लानिंग एप्रूव होने के बाद आयेगी तो उसके आधार पर हम कन्वर्जेंस की कार्यवाही करने के लिए तत्पर हैं। हमारा प्रयास है कि हम उन विभागों के साथ कन्वर्जेंस करके स्थायी आजीविका के साधन लोगों को मुहैया करा सकें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं इसी से सम्बन्धित है, क्योंकि यह लिंक है, क्योंकि आदरणीया मुख्य मंत्रीजी भी विराजी हुई हैं और वे फाइनेंस मिनिस्ट भी हैं। क्या यह सही नहीं है, अगर 2011-12 में लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से नरेगा का काम ढंग से चल गया होता, तो इस राजस्थान की वित्तीय और माली स्थिति में आज राजकीय आधिक्य होता, राजस्व घाटा नहीं आता? उन विभागों ने जिन्होंने उदासीनता दिखाई है, जिससे डवटेल करके इन लाइन आप ला सकते थे, उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत बड़ा विभाग है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : एक मिनट, मुझे खतम तो करने दीजिए, महाराज। सारी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय महाराज नहीं होते। महाराज तो इधर विराजी हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आपके यहां से अर्द्ध शासकीय पत्र 8.12.2014 को कुछ लाइन डिपार्टमेंट को यह नहीं लिखा गया कि आप लोग बार-बार नरेगा के श्रमिकों को इन-लाइन डवटेल करने की राशि को नकारते हुए कई प्रकार के कारण बता रहे हैं कि हम नरेगा के साथ काम नहीं कर सकते? जैसे लोगों का नहीं मिलना, जहां श्रम-शक्ति की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, आपका नेशनल सैम्पल सर्वे यह कहता है कि आपका किसान की श्रम शक्ति के जो श्रमगार थे, उनमें 10.6 से 16.7 प्रतिशत, यानी 50 परसेंट ग्रामीण लेबर इन्क्रीज हुई हैं। ग्रामीण लेबर इन्क्रीज होने के बाद नरेगा में क्यों नहीं आ रहा? इसका सबसे बड़ा यह कारण है कि लाइन डिपार्टमेंट चाहे पी डब्ल्यू डी हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज वाले हों, चाहे सी ए डी वाले हों, इनसे आप काम करवाइए जिससे इस राजस्थान की वित्तीय स्थिति में यह लेबर कम्पोनेंट सीधा केन्द्र से आ सके और आपकी फाइनेंशल हैल्थ इम्प्रूव हो सके। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी इस बारे में कुछ कहेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, वह वास्तव में सच है। पिछले कुछ वर्षों में कन्वर्जेंस की दृष्टि से सरकार की तरफ से एफर्ट नहीं होने से उदासीनता रही, जबकि इस फंड का 15 प्रतिशत कन्वर्जेंस में खर्च करने का प्रावधान है। यह जो डिपार्टमेंट बताये हैं, ये डिपार्टमेंट अगर काम करें तो निश्चित रूप से 15 जो बजट हमको है, हमारे बजट में जो कमी आई, वह भी इसी कारण से आई कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाये। जो बजट हमारा 7-8 हजार करोड़ था, वह घटते-घटते 2,900 पर आ गया, 3,000 के लगभग आ गया। इस बार पिछली सरकार में मुख्य मंत्री के लेवल पर भी कन्वर्जेंस के लिए दो मीटिंगें हुई, चीफ सेक्रेटरी से लेकर हम सब लोग साथ बैठे, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को साथ बिठाया, उनके प्रस्ताव बनवाये और दो मीटिंग मैंने स्वयं ने लीं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अब आपकी जो भावना है, उसके अनुसार कन्वर्जेंस में 15 परसेंट पैसा जो टोटल हमको नरेगा में मिलता है, वह हम इसमें काम में लेंगे तो हमारा जो बजट अभी 4,000 है, यह भी बढ़ाकर हम 6 तक ले जाएं, 7 तक ले जाएं, हमें कहीं रोक नहीं है, हम उसको कर सकते हैं, पर कन्वर्जेंस नहीं हुआ, यह सच है। अब कन्वर्जेंस के लिए हमने प्रयास किया है, उसमें आगे बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसमें पर्याप्त जवाब आ चुका है, इसलिए मैं दूसरा प्रश्न पुकारूंगा। पूरक प्रश्न पूछेंगे?

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : हां।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने नरेगा के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित किया। नरेगा एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, हमें उसका जो भाग मिलता है उसमें लगातार कमी आती गई। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि हमने इसमें रोजगार सृजन के विषय में अपनी मानिटरिंग कम की। एक विषय।

दूसरा विषय, लाइन डिपार्टमेंट को कच्चे और पक्के कामों को साथ-साथ जोडा जबकि पहले पंचायत राज के कामों में कच्चे काम और पक्के कामों को साथ-साथ नहीं जोड़ा जाता था। उसके कारण जो पक्की राशि पंचायती राज को मिलनी चाहिए थी, उसका उपयोग हम पी डब्ल्यू डी के माध्यम से पक्के कामों में करवा सकते थे। अगर इसमें यह व्यवधान रोक दिया जाए कि लाइन डिपार्टमेंट कच्चे काम और पक्के काम साथ-साथ करायें लेकिन पंचायत राज को भी कच्चे काम और पक्के काम साथ-साथ कराने के लिए, क्योंकि पक्के काम पंचायत राज में सामान्य रूप से कोई भी सरपंच नहीं करना चाहता, जिसके कारण से कच्चे काम तो होते हैं लेकिन पक्के कामों का पैसा हमारा हर बार लैप्स होता है। इसलिए लाइन डिपार्टमेंट को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाए। यह मेरी पूरक मांग है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। आप जवाब देंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सुझाव है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह टास्क आधारित योजना है, जितना काम करोगे उतना रोजगार

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मिलेगा। इसमें 60 और 40 का रेशो फिक्स है, श्रम मद में 60 परसेंट और सामग्री मद में 40 परसेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि कल इन्होंने बजट में 50 करोड़ के मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए घोषणा की है, जिससे महानरेगा के अन्दर जो भी टोटल खर्च, पैसा और एक्स्ट्रा मिलेगा। इससे और परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा और लोगों को स्थिर आजीविका का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'

चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट कम्पनियों को माइनिंग लीज का आबंटन

97. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा किस-किस सीमेंट कम्पनी को कितनी-कितनी माइनिंग लीज आबंटित की गई है? आबंटित भूमि का कितना क्षेत्रफल (आबादी/बिलानाम/चरनोट/गोचर) किस भूमि का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सीमेंट कम्पनियों के क्रैशर प्लांट कहां-कहां पर किस भूमि पर काबिज हैं? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न सीमेंट प्लांटों द्वारा आसपास के क्षेत्र की गोचर भूमि पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर खनन कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस सीमेंट कम्पनी की शिकायतें कब-कब प्राप्त हुईं व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिले की गोचर भूमि पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खान (श्री राज कुमार रिणवां) : (1) जिला चित्तौड़गढ़ में मैसर्स बिरला सीमेंट वर्क्स, मैसर्स ग्रासीम इण्डस्ट्रीज, मैसर्स वण्डर सीमेंट को एक-एक एवं मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रा.लि. को दो खनन पट्टे तथा मैसर्स

(श्री राज कुमार रिणवां)

जे.के. सीमेंट वर्क्स को 5 खनन पट्टे आबंटित हैं। आबंटित खनन पट्टे एवं भूमि के क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त सीमेंट कम्पनियों द्वारा क्रैशर प्लांट जिस भूमि पर स्थापित किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) विगत तीन वर्षों में चरागाह क्षेत्र में खनन करने के सम्बन्ध में मैसर्स बिरला सीमेंट वर्क्स, चंदेरिया के विरुद्ध शिकायत ग्रामवासी जाई द्वारा दिनांक 10.6.2014 को एवं श्री अमरकंठ, इत्यादि द्वारा दिनांक 02.12.2014 को खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़ को प्राप्त हुई। उक्त खनन पट्टे की जांच करने पर पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर अनब्रोकन चरागाह क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसके लिए पट्टाधारी को दिनांक 23.02.2015 को 60 दिवसीय चेतना पत्र जारी किया गया। नोटिस अवधि उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मैसर्स आदित्य सीमेंट वर्क्स (मै. ग्रासीम सीमेंट वर्क्स) के ग्राम शंभूपुरा स्थित खनन पट्टे में चरागाह भूमि पर खनन बाबत शिकायत दिनांक 01.09.2014 को कार्यालय खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुई, जिसकी जांच करने पर खनन पट्टाधारी द्वारा चरागाह की अनापत्ति प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना पाया गया।

(4) जिले की गोचर भूमि पर अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़ कार्यालय द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर कार्यवाही की गई। गत 3 वर्षों में चरागाह भूमि में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : बिरला सीमेंट की उल्लेखनीय चरागाह भूमि जिसका खसरा नम्बर 260 एवं 261, कितने क्षेत्रफल में अवैध खनन कार्य हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर दें।

क्या उक्त चरागाह भूमि पर खनन करने के लिए बिरला सीमेंट कम्पनी द्वारा प्रदूषण विभाग, पुरातत्व विभाग द्वारा मान्यता अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है? यदि नहीं, तो प्रदूषण विभाग एवं पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त अवैध खनन पर किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी की गई है?

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

उक्त चरागाह भूमि जिस पर बिरला सीमेंट द्वारा खनन कार्य किया जाना है, विश्व धरोहर की श्रेणी में आने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कितनी दूरी पर स्थित है? क्या किसी प्रकार के खनन कार्य के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है?

श्री राजकुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान) : खसरा नम्बर 261 ग्राम जेई, स्टोन क्रेशर एवं माइनिंग लीज वहां पर है और लीज के साथ क्रेशर लगाने की अनुमति मिलती है। मुझे जब जानकारी मिली कि पर्यावरण का मैटर भी इसमें है तो मैंने अपने पर्यावरण अधिकारियों को क्षेत्र में भेजा था और उन्होंने जानकारी दी है कि इसके लिए समत्ति पत्र 28.02.2017 तक का उनके पास वैध है, और ई सी बी उनके पास प्राप्त है। 02.2017 तक उनके पास वैध है।

सबसे बडी चिंता वाली बात आपकी बात है, वह चित्तौड़गढ़ जिले के दस किलोमीटर क्षेत्र की परिधि में खनन कार्य हो रहा है, वह है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए चित्तौड़गढ़ बहुत ही गौरव का विषय है, वर्ल्ड हेरिटेज में है। इंसान की सबसे बड़ी कोई चीज होती है, वह उसका सम्मान होता है। आज हम हिन्दुस्तान में, दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ का नाम आता है और वीरों का नहीं, लाखों वीरांगनाओं का जिक्र आता है। आज भी लोग जाकर उस मिट्टी को प्रमाण करते हैं, तिलक लगाते हैं कि किस तरह से अपने धर्म की, अपनी रियासत की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुर्बानी की। खनन करने के लिए बहुत जगह है। राजस्थान के अन्दर लाइमस्टोन की, माइनिंग की, धरती माता की इतनी कृपा है कि कहीं भी किया जा सकता है पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तम्भ दुबारा नहीं बन सकता है।

2011 में हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिये थे कि चित्तौढ़गढ़ जिले की दस किलोमीटर की परिधि में कोई भी खनन कार्य नहीं किया जा सकता, वह चाहे मेन्यूअल हो, चाहे ब्लास्ट हो, चाहे हैवी मशीनरी से हो। मगर कितने बड़े दुख की बात है कि पिछली सरकार उस हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में गई, उन्होंने एस एल पी दायर की। उन्होंने इस तरह की एक रिपोर्ट, हरिद्वार के पास रूड़की है, वहां पर एक संस्था है, ऐसी रिपोर्ट वहां बनवाई कि बंदरों के कूदने से और पर्यटनों के जाने से उसमें दरारें आई हैं। यह बहुत दुखद बात है।

(श्री राज कुमार रिणवां)

हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को लिखकर दिया है कि आप कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाइये। ऐसे ही अगर ये लोग गलत काम करते हैं तो इनको रोकने के लिए जो 60 दिन के लिए हमने चेतना पत्र दिया है कि अगर आप गोचर के अन्दर भी उसको कर रहे हैं, तो हम उसको रुकवा देंगे और जो पेनल्टी, या जो भी कार्यवाही करनी है, वह सारी करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : किले का दस किलोमीटर एरिया है, उसमें चरागाह है। चरागाह में अवैध खनन भी हो रहा है। खसरा नंबर 261 में जो क्रैशर है, बहुत बड़ा कैशर है; 0.5 हेक्टेयर में तो क्रैशर है, रैम्प बना हुआ है 1.50 हैक्टेयर में, धर्मकांटा भी 0.2 हेक्टेयर में। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, बिरला सीमेंट उल्लेखनीय चरागाह भूमि जिसका खसरा नंबर 260-261 है, कम्पनी द्वारा अवैध खनन कार्य चल रहा है, बिरला फैक्टरी का क्रैशर; सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करना प्रस्तावित है? सरकार छोटे लोगों तथा छोटे उद्योगपतियों पर कार्यवाही कर उन्हें अतिक्रमण से हटा देती है, क्या सरकार उच्च श्रेणी कम्पनियों पर तत्काल कार्यवाही करने का विचार रखती है? और किले को बचाने का भविष्य में क्या उपाय है?

श्री अध्यक्ष : माननीया मुख्य मंत्रीजी। मंत्रीजी, विराजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि इसमें हम भी चिंतित हैं और इसमें पूरा एक्शन लिया जाएगा। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : धाकड़ जी, आप करोगे क्या? आ गया जवाब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : मुख्य मंत्रीजी के कहने के बाद बचा क्या है?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : चित्तौड़गढ़ बहुत बड़े सम्मान का प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री राजकुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान) : मुख्य मंत्रीजी जब उसमें इन्टरेस्ट ले रही हैं तो उसके बाद में कोई बात ही नहीं है। राजस्थान की, हिन्दुस्तान की, वर्ल्ड हेरिटेज में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, उनका अधिकार है। आप करेंगे क्या पूरक प्रश्न, मिस्टर धाकड़? कर लीजिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : दूसरा और मामला है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : इसी चित्तौड़गढ़ जिले का ही है। मैनाल में मंदिर है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : मैनाल का मंदिर चार महीने में गिर जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : माइनिंग का है। (व्यवधान) मैनाल भीलवाड़ा में नहीं है, चित्तौड़ जिले में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं। दूसरा केवल सीमेंट फैक्टरी के बारे में, चित्तौड़गढ़ जिले का पूछना हो तो पूछिए। बाकी विराज जाइये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैनाल का मंदिर चार महीने में नीचे गिर जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। बैठिए। आप विराजिए। नहीं, नया प्रश्न नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, चित्तौड़ के इस विषय पर ही...

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने स्वयं ने संवेदनशीलता दिखाई है। मैं आदरणीय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2009-10 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है, ''The time has now come to suspend all mining in the above area on a sustainable development principle which is part of Article 21, 48 (a) and 51 (a) of the Constitution." उदासीनता देखिये, सर, उन सरकारों की जिन्होंने इस प्रकार के निर्णय के उपरान्त भी इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वानर जीव तक को नहीं छोड़ा,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। ऐसी सरकार। और कम से कम, मुख्य मंत्री महोदया, जो-जो अफसर इसमें लिप्त हैं। कम से कम उनको तो प्रताड़ित किया जाए, जिन्होंने इस प्रकार से सरकार को लिखवा कर राजस्थान की इस बहबूदी को और राजस्थान की जनता के किस मुखौटे को वहां पेश किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप रेस्पांड करेंगी? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल सिंघल।

प्रश्न संख्या-98

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री जसवंत सिंह यादव।

नीमराना (अलवर) में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना

99. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति व पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले में विगत पांच वर्षो में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां व क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित हैं या अन्य पंचायतों के साथ जुडे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वंचित पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? अब तक की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पंचायत समिति नीमराना मुख्यालय पर क्रय-विक्रय समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह) (1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी का अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

प्रतयेक पंचायत समिति में एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन के क्रम में, विभागीय मापदण्डों (परिशिष्ट-2) के अनुसार नवीन समितियों की आर्थिक सक्षमता होने पर प्रत्येक पंचायत समिति में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन बाबत कार्यवाही की जायेगी।

(2) अलवर जिले में विगत पांच वर्षो में 11 ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अलवर जिले में विगत पांच वर्षों में रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व बानसूर में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(3) बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में बहरोड़ तथा नीमराना पंचायत समिति से 11-11 ग्राम पंचायतें, कुल 22 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं। उक्त वंचित ग्राम पंचायतों का कार्यक्षेत्र नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुडा हुआ है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3)

(4) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। (गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 के अनुसार)

(5) नीमराना पंचायत समिति में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन के सम्बन्ध में विभागीय मापदण्डानुसार सर्वे करवाया गया, जिसमें प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त पंचायत समिति में मात्र 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियां होने, सिंचित क्षेत्र कम होने व बहरोड़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आर्थिक सक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना होने के कारण नीमराना पंचायत समिति में अभी तक नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, भविष्य में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति होने

(श्री अजय सिंह)

की स्थिति में पृथक से नीमराना क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न एक।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक होते हैं, वे जो कृषकों को ऋण देते हैं, जो किसान समय पर उसको चुकता कर देते हैं, उनको भारत सरकार ब्याज के अन्दर मदद करने के लिए तीन प्रतिशत देती है और राजस्थान सरकार उसमें चार प्रतिशत देती है, टोटल वह सात प्रतिशत हो जाता है। सेण्ट्रल बैंक जो होता है, वह किसान को उस ब्याज को जोड़ देता है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपनी राशि समय पर बैंक में जमा नहीं कराती हैं, या बैंक को देती नहीं हैं। यही मुख्य कारण है कि हमारे ज्यादातर जो जिले के केन्द्रीय बैंक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जब ग्राम सहकारिता समितियां बन रही हैं, आपने नई बनाने की छूट भी दे रखी हैं, कोई भी शर्तें पूरी करें, कि पांच लाख रुपये और सदस्य बनायें। उनकी लिमिट तक तय हो जाती है कि आपकी लिमिट तय हो गई है, निर्धारण तय हो गया है कि आपको डेढ़ लाख रुपये मुक्त-ब्याज के ऋण मिलेगा। होता क्या है, किसान के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ रही है, यहां माननीय मुख्य मंत्री महोदया भी बैठी हुई हैं, किसान को आज तक इसका लाभ ना के बराबर मिल रहा है, क्योंकि किसी भी किसान को, चाहे वह नकद हो, चाहे बीज हो, खाद हो, 40 से 50 हजार रुपये से ज्यादा, जो मेरे जिले का औसतन है, नहीं दिया जाता है और किसान ठगा-सा रह जाता है।

अब केन्द्रीय सहकारिता बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार और भारत सरकार का पैसा समय पर जमा होता नहीं है, वह पैसा दे नहीं पाते, आर्थिक स्थिति सही नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : वही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या राज्य सरकार ऐसा कोई रिवाल्विंग फण्ड या ऐसी कोई नीति निर्धारित करने

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

की योजना रखती है जिससे बैंक को समय पर पैसा मिल जाय? जो ब्याज के अन्दर छूट होती है, जो केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार का वह रिवाल्विंग फण्ड, जिससे वह जमा हो जाए, बैंक की हालत खस्ता न रहे और किसान को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण बिना-ब्याज के मिल सके; ऐसी कोई सरकार की योजना है, या इसमें कोई सुधार करने की नीति है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वह ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से है और नई क्रय-विक्रय समिति बनाने से सम्बन्धित है। फिर भी जो आपने पूछा, मैं आपको बता दूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कल ही बजट में जो घोषणा की है, 17,500 करोड़ का हम लघु अवधि का ऋण किसानों को दे रहे हैं। पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम प्रत्येक किसान को डेढ़ लाख रुपये का ऋण देंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रतिशत लोगों को भी यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है, डेढ़ लाख रुपये। हमारा यह प्रयास है कि जो भी राशि हमें नाबार्ड से, सरकार से, और बैंकों से मिलेगी, उसका प्रयास यह रहेगा कि ग्राम सेवा सेवा समिति के सभी सदस्यों को, चाहे वह थोड़ा मिले, सभी को वह वितरित करें, ताकि सभी सदस्य उससे लाभान्वित हों।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : जब डेढ़ लाख रुपये तय कर रखा है किसान को, किसान उसका मेम्बर बनता है, आपकी सारी शर्तें पूरी करता है, पांच लाख रुपये जमा कराता है, मेम्बर बनता है, एक प्रतिशत कोई खैरात नहीं दी जा रही है। उसको डेढ़ लाख का हक है तो क्या सरकार की डेढ़ लाख देने की कोई योजना है कि नहीं है? डेढ़ लाख दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? मेरा प्रश्न यह है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय जो यह घोषणा हुई थी, यह घोषणा बिलकुल अनुचित थी, क्योंकि उस सरकार के पास में किसी तरह का फण्ड ही नहीं था। जब आपके पास पैसा रहेगा इतना, तभी तो आप अपने सदस्यों को लाभान्वित कर सकते हो। आज अगर ग्राम सेवा

(श्री अजय सिंह)

सहकारी समिति के जो हमारे को-आपरेटिव सेक्टर में सदस्य हैं, वे लगभग एक करोड़ के करीब हैं। तो एक करोड़ सदस्यों को किस तरह से लाभान्वित करोगे, तभी कर सकते हो, जब आपके पास में वह धन राशि उपलब्ध है। (व्यवधान) एक मिनट।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों से ही तो वह सरकार गई है। बात यह नहीं है, बात यह हो रही है कि आप खैरात नहीं दे रहे हों, यह उनका हक है। जब वे आपकी सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, मेम्बर बन रहे हैं, पांच लाख डिपोजिट करा रहे हैं और आपके जो केन्द्रीय बैंक हैं जिले के, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार जो ब्याज के अन्दर सहायता देती है, वह समय पर उसके अन्दर जमा नहीं कराती है। तो ऐसा कोई रिवाल्विंग फण्ड आप कर रहे हैं, जिससे आगे यह नौबत नहीं आये?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : अभी हमारा यही प्रयास है कि जो भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है 17,500 करोड़ रुपये की, उसका वितरण सभी के अन्दर, जो भी किसान उसके सदस्य हैं, उनको कर दिया जाये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : यह तो वही बात है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि किसानों को यह हक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के अन्दर अभी भी कई ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिनका गठन नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहकारिता आन्दोलन, वह जनभागिता पर और किसानों की भागिता पर निर्भर करता है। यह किसी सरकार के या बैंक से, उसके ऊपर...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : वे मेम्बर क्यों बनेंगे, क्यों समितियां गठित करेंगे, जब आप उनको उनका हक ही नहीं दे रहे तो? आप उनका हक पूरा करिये, चाहे कितने ही मेम्बर बनें, कि डेढ़ लाख तक देंगे हम तो।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि डेढ़ लाख रुपये के लिए, वे सदस्य क्यों बनें? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिये सदस्य नहीं बनते वे।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, ग्राम सेवा सहकारिता समिति है, वह हमारी सबसे एक प्रारम्भिक पायदान है। उसके जो पूरे सदस्य होते हैं, 500-600 सदस्य, वे पूरे गांव की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। अभी आपने देखा होगा, बजट के अन्दर हमने हर ग्राम पंचायत को बिजनेस कारस्पोंडेंट बनाया है कि गांव की, चाहे वह भामाशाह में हो, चाहे किसी भी तरह का उसको भुगतान करना हो, चाहे वह नरेगा का हो, सभी भुगतान और सभी तरह की जो खरीद-फरोख्त है, खाद के अलावा भी, जैसे सुपर मार्केट का है, तो वह ग्राम सेवा सहकारिता समिति करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। विराजिए।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री, श्री रामसुन्दर दास तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री दुलाराम के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

रामसुन्दर दास, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, बिहार

बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री रामसुन्दर दास का जन्म 9 जनवरी, 1921 को बिहार के सारण जिले के गंगाजल ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामसुन्दर दास वर्ष 1968 से 1977 तक बिहार परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। दो बार बिहार विधान सभा के सदस्य रहे श्री रामसुन्दर दास विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति तथा विशेषाधिकार समिति के संयोजक रहे। आप अप्रैल, 1979 से फरवरी, 1980 तक बिहार के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। श्री रामसुन्दर दास

(श्री अध्यक्ष)

दसवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति तथा ऊर्जा सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। लोक सभा में आप जनता दल (यूनाइटेड) संसदीय दल के नेता भी रहे।

स्वतंत्रता सेनानी रहे श्री रामसुन्दर दास बिहार बनिहार संघ के प्रेसिडेंट तथा हिन्द मजदूर सभा एवं बिहार लघु उद्योग एसोसिएशन के निदेशक मंडल के सदस्य रहे। आप अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुडे रहे।

श्री रामसुन्दर दास का दिनांक 6 मार्च, 2015 को निधन हो गया।

दुलाराम, श्री, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक

पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक, श्री दुलाराम का जन्म 12 जनवरी, 1944 को भावलपुर की तहसील अमदपुर में हुआ।

श्री दुलाराम छठी एवं सातवीं विधान सभा में रायसिंहनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। सातवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप फरवरी से जुलाई, 1981 तक खादी एवं ग्रामोद्योग, भेड़ एवं ऊन, वन तथा स्टेट मोटर गैराज विभाग के मंत्री रहे। आपने अक्टूबर, 1982 से फरवरी, 1985 तक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में आवासन, जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा समाज कल्याण विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया। इससे पूर्व आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे।

विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के उप-नेता रहे श्री दुलाराम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, श्रीगंगानगर तथा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य रहे। समाज के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे श्री दुलाराम दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष रहे। आप नगरपालिका, रायसिंहनगर के सदस्य भी रहे।

श्री दुलाराम का दिनांक 6 मार्च, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं

(श्री अध्यक्ष)

ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

अनुपस्थिति अनुमति

नाना लाल अहारी, श्री, सदस्य को 25 फरवरी, 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री नाना लाल अहारी, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 25 फरवरी, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 10 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की गई।

हेमसिंह भड़ाना, श्री, मंत्री को 9 मार्च 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री हेम सिंह भड़ाना, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 9.3.2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

(श्री अध्यक्ष)

श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से द्वितीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के वेतन निर्धारण स्केल में बदलाव नहीं करने से इस श्रृंखला के कर्मचारियों के आंदोलित होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनीता, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के राम मंदिर में स्थापित कुंड की सफाई कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट के स्थान पर बनाने एवं नियमित फ्लाइट बढ़ाये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र...(व्यवधान) श्री भजनलाल जाटव..। यह ड्राप है। बाहर हैं, निलम्बित हैं, इसलिए। पर इसमें आ गया है, मैं क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान) भजनलाल। ये आपने काटे नहीं क्या, जो निलम्बित हैं न? भजनलाल शायद...। नहीं। अच्छा, ये निलम्बित नहीं हैं, ये तो वैसे ही आउट हुए हैं। ठीक है। I am sorry.(व्यवधान)

(4) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भजनलाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू की ग्राम पंचायात कानोड, तहसील गिडा में 133 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से जिला पाली की पेयजल व्यवस्थ नियमित एवं सुचारु करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा स्थित ग्राम पंचायत आमली के ग्राम गिरिराजपुरा की वन भूमि में बसाये गये रणथम्भौर अभयारण्य के विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में निर्माणाधीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

(10) म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राजस्थान रोडवेज में वर्ष 2001 में नियुक्त किये गये बस एजेंटों को निकाल देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के किसी एक चिकित्सालय में यथाशीघ्र ब्लड बैंक की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मानसिंह किनसरिया, सदस्य की ओर से परबतसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 10 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 39 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नलिखित हैं :-

(1) श्रीमती अंजू देवी धानका- विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत बासखोह में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामहेत सिंह यादव- विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री जोगाराम पटेल- नगर निगम जोधपुर की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री श्रीराम भींचर- नगर परिषद मकराना में द्वितीय फेज सीवरेज लाइन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार दो मिनट के लिए बोलेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपर) : माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

अनुरोध

प्रतिपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुरोध

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, मैंने अक्षरश: आपके वेश्म में उसको स्वीकार किया। मैंने जो कुछ उस दिन जानकारी दी थी, जो फुटेज मुझे उस दिन पुलिस के द्वारा उपलब्ध है, उसको देखकर की है। उनके मन में यह संदेह है कि और फुटेज को भी आप देख लें और देखने के बाद जो भी वस्तुस्थिति है, उसके आधार पर आप कार्यवाही करें। तो मैंने आपके सामने ही इस बात को स्वीकार किया और वे स्वयं भी इस बात पर सहमत थे। लेकिन उसके बाद भी उनका सदन से जाना, यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं लगता है।

मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैं जब इतने खुले दिल से बात करने के लिए तैयार हूं, पहले दिन भी तैयार था, आज भी तैयार हूं और वह फुटेज जहां से भी मुझे उपलब्ध करनी है, मैं करके देखूंगा ओर उसमें वास्तव में मुझे लगेगा कि पुलिस ने कहीं अति की है, या कोई गलती की है, तो निश्चित रूप से उसकी कार्यवाही होगी। लेकिन बिना देखे अगर मैं यह आश्वस्त कर दूं कि मैं कार्यवाही करूंगा, तो मैं इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता हूं। पहले मैं स्वयं संतुष्ट हो जाऊं। जब आपके माध्यम से और आपके वेश्म में यह सारी बात हो गयी, उसके बाद भी उस विषय को बार-बार उठाना और इस प्रकार का व्यवहार करना, न तो इस सदन के लिए और न ही इस राजस्थान के लिए उचित है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेरी प्रार्थना है कि आपके माध्यम से, मैं जिस खुले दिल से अपनी बात को रख रहा हूं, उन्हें स्वीकार करना चाहिये और इस प्रकार का उनका जो कृत्य है, वह न करें। मेरी उनसे इतनी ही प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री मनोज कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) वर्ग में श्रृंखला निर्धारण को लेकर उत्पन्न असंतोष

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, स्थगन प्रस्ताव, प्रक्रिया नियम 50 के तहत द्वितीय श्रेणी नव-नियुक्त कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला में हुई विसंगति को लेकर जो द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं, उनके विषय में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववती सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के समय भटनागर कमेटी व डा. गोविन्द शर्मा की समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी वर्गों का वेतन निर्धारण गणना स्केल पर किया गया था। लेकिन द्वितीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के वेतन निर्धारण स्केल में कोई बदलाव नहीं किया गया। मूल वेतन में भी केाई परिवर्तन नहीं किया गया। इन सभी श्रेणी के मूल वेतन, ग्रेड-पे दोनों बदले गये लेकिन राज्य सरकार द्वारा उक्त द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के यह मूल वेतन और पे ग्रेड, दोनों नहीं बदले गये।

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 6.4.2013 एवं 28.6.2013 के अनुसार विभिन्न ग्रेड-पे में सीधी भर्ती में नियुक्त कार्मिकों को प्रमोशन के बाद नियमानुसार न्यूनतम वेतनमान दिया गया। उनमें सबसे पहले 3050 से 4590 से बढ़ाकर इसको 5680 की बदौलत 7440 कर दिया और लिपिक का 7440 से बढ़ाकर 8370 कर दिया। तृतीय श्रेणी का 8370 से बढ़ाकर 9300 कर दिया गया, लेकिन द्वितीय श्रेणी वालों के 10230 को वेतनमान 10230 ही रखा गया। उनका सिर्फ ग्रेड-पे बढ़ाकर 4200 किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक और डबल ए.ओ. सेकण्ड को 1.6.2013 को 5500-9000 वाली श्रृंखला में रखा गया। केवल इनका ग्रेड-पे बढ़ाया, जबकि बाकी कर्मचारी वर्ग की मूल वेतन श्रृंखला व ग्रेड-पे दोनों बढ़ाकर अगले वेतनमान का लाभ दिया गया। 4200 ग्रेड-पे वेतन श्रृंखला से 6500-10500 के आधार पर 10.7.2013 को 28.6.2013 के पुराने आदेश में

(श्री मनोज कुमार)

संशोधन कर द्वितीय श्रेणी नवनियुक्त वरिष्ठ अध्यापक व डबल ए.ओ. सेकण्ड को परिवीक्षाकाल में प्रति माह मानदेय बढ़ाकर 13050 रुपये किया गया, जो पहले व्याख्याता प्रोबेशन का मिलता था।

उनका वेतनमान 16290, द्वितीय श्रेणी नवनियुक्त वरिष्ठ अध्यापक व डबल ए.ओ. सेकण्ड को सभी को वेतन श्रृंखला आधार मानकर किया जावे, ताकि द्वितीय श्रेणी के नवनियुक्त वरिष्ठ अध्यापक व डबल ए.ओ. सेकण्ड को आर्थिक व मानसिक नुकसान न उठाना पड़े।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दो बार 17.6.2014 और 24.2.2015 को सी.एम. आफिस को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसी बातचीत नहीं करें कृपया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : विसंगति के लिए अवगत कराया जा चुका है और उन्होंने विसंगति मान ली कि वित्त विभाग की विसंगति के कारण हमारे इसमें भूल रहे गयी। राज्य सरकार ने 13.1.2014 को माननीय मुख्य मंत्री निवास पर एक दिन का सांकेतिक धरना, और माननीय चिकित्सा मंत्री जी विराजमान हैं, उन्होंने उनके निवास पर ज्ञापन देकर 60 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करके उनको आश्वस्त किया था कि आपका यह 60 दिवसीय कार्य योजना में वेतन में जो विसंगति है, उसको हम दूर कर देंगे। सवा साल का समय बीत गया लेकिन सरकार ने उनकी वेतन विसंगति में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया।

सरकार आज भी गम्भीर नहीं दिख रही है। सरकार उनके लिए गम्भीर दिखती, तो उनके सेकण्ड ग्रेड के 35 हजार कर्मचारियों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, उनके वेतन में विसंगति हो रही है, उसमें सुधार करके उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाए, जिससे उनको कहीं आन्दोलन न करना पड़े, हमारी शिक्षा पर उसका प्रभाव ना पड़े।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ज्ञापन दिया, आप लोगों से मिले और 60 दिन की कार्य योजना में आपने शामिल किया। कब तक सरकार की मंशा है कि इन द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के साथ जो वेतन विसंगति हुई, उसमें आप संशोधन करके, उसकी त्रुटि को सुधार कर, इन कर्मचारियों को लाभ देने का काम करेंगे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, श्रीमती अनीता।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नगर के राम मंदिर के कुण्ड की सफाई

श्रीमती अनीता (नगर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नगर के राम मंदिर के कुण्ड की सफाई बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर में राम मंदिर पर एक कुण्ड स्थापित है, जो बहुत पुराना है। यह कुण्ड अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह कुण्ड श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। कुछ समय पहले नहर के माध्यम से इसमें पानी आता था, जो अब अतिक्रमण के कारण बन्द हो गया है। इस समय इस कुण्ड में पानी के आने-जाने का रास्ता बन्द हो गया है और पानी ठहर गया है। पालीथीन और दुनिया भर का कचरा इसमें भर गया है और गंदगी व्याप्त है। गंदे पानी की वजह से इसमें कीचड़ हो रहा है और यह कुण्ड अपना अस्तित्व खो रहा है। समय-समय पर लोग इस कुण्ड में आस्था होने के कारण मांगलिक कार्य करने भी आते हैं लेकिन इसमें व्याप्त गंदगी की वजह से यह किसी भी काम का नहीं रहा है। लोगों की इस कुण्ड के प्रति बड़ी भावना जुड़ी हुईहै। इस कुण्ड के पास ही श्रीराम मंदिर है और यहां प्रति वर्ष रामनवमी के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में आस-पास के लाखों लोग आते हैं। यह कुण्ड धार्मिक मंदिर के समीप होने के कारण लोगों की इसके प्रति सच्ची भावना जुडी हुई है।

जनता के द्वारा एस डी एम और कलक्टर को कई ज्ञापन देने के बावजूद भी आज तक सफाई नहीं हो पायी। अत: आपसे निवेदन है कि इस राम मंदिर पर स्थापित कुण्ड की सफाई कराई जाये ताकि आम जन को साफ-सफाई युक्त कुण्ड व मंदिर मिल सके।

यह कुण्ड शहर के बीचों-बीच होने के कारण बड़ा रमणीक स्थल है। शाम को शहर की महिलाएं और बच्चे यहां घूमने आते हैं, पर गंदगी की वजह से बदबू हो गयी है और इस गंदगी की वजह से महामारी फैलने का डर है।

अत: आपसे पुन: निवेदन है कि ऐसे प्राचीन मंदिर पर स्थित इस कुण्ड की सफाई कराई जाए, जिससे कस्बे के लोगों को एक अच्छा रमणीक स्थल मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबू सिंह। (व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : मेरा नाम पुकारा है न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके बाद आपकी इन्फोर्मेशन ले लूंगा। आप बैठो।

जोधपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया जाना

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोधपुर शहर राज्य ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसके लिए जोधपुर को नहीं जाना जाता हो। यह प्रदेश की सांस्कृतिक व न्यायिक राजधानी भी है। सैन्य क्षेत्र में भी अलग पहचान है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, जोधपुर लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है।

अब जब स्मार्ट सिटी की उम्मीदें जगीं तो जोधपुर को दौड़ से ही बाहर कर दिया गया है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर व उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की केन्द्र सरकार को सिफारिश की है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और शैक्षिक, चिकित्सा, न्यायिक, उद्योग, सेना, परिवहन सहित अन्य क्षेत्रों में अन्य शहरों से बेहतर है। ऐसे में जोधपुर की स्मार्ट सिटी को लेकर प्रबल दावेदारी बनती है लेकिन राज्य सरकार की सिफारिशों में जोधपुर का नाम नहीं होने से उम्मीदें धराशायी हो गयी हैं।

राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो जोधपुर जिले की विधान सभा की 10 सीटों में से 9 सीटें, लोक सभा, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समितियां, सभी में यहां की जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ी है।

जोधपुर शहर में प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में उच्च शैक्षणिक संस्थान-राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एन.आई.एफ.टी. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, एफ.डी.डी.आई., आई.आई.एच.टी., पुलिस विश्वविद्यालय, पालिटेक्निक कालेज, आई.टी.आई. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आफरी, काजरी, डी.एम.आर.सी., जेड.एस.आई., डी.आर.डी.ओ., रिमोट सेंसिग सेन्टर,

(श्री बाबू सिंह)

एम्स व मेडिकल हब, राजस्थान उच्च न्यायालय, उद्योग, जनसंख्या घनत्व, जिले का क्षेत्रफल, एयरपोर्ट, रेलमार्ग, रोड, यातायात, अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान, इत्यादि बेहतर हैं। जोधपुर एयरबेस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। जोधपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर अन्तरराष्ट्रीय सीमा है जिसके चलते यहां भारतीय सेवा, वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल के महत्वपूर्ण बेस स्थित हैं। जोधपुर शहर टूरिस्ट सिटी भी है एवं यहां प्रत्येक वर्ष करीब छह लाख देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुम्बई व बैंगलोर के लिए कनेक्टिविटी है। साथ ही, जोधपुर से प्रदेश व अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। हैंडीक्राफ्ट, स्टील, ग्वारगम, प्लास्टिक, केमिकल, एग्रो, फूड, स्टोन और टैक्सटाइल उद्योग के लिहाज से जोधपुर की खास पहचान है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जोधपुर की 13 लाख जनसंख्या, 112 वर्ग किलोमीटर जिले का क्षेत्रफल, 161 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व, 81.56 फीसदी साक्षरता है। जोधपुर में प्रतिदिन 45 ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। साथ ही तीन राष्ट्रीय राजमार्ग व 10 राज्य राजमार्ग भी हैं।

ऐसे में जोधपुर शहर स्मार्ट सिटी की सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बाद भी इसकी अनदेखी की जा रही है जिससे जोधपुर की जनता में आक्रोश है।

अत: उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, एम्स व मेडिकल हब, राजस्थान उच्च न्यायालय, उद्योग, जनंसख्या घनत्व, जिले का क्षेत्रफल, एयरपोर्ट, रेलमार्ग, रोड, यातायात, पर्यटन, अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान, इत्यादि व अन्य शहरों से बेहतर होने को मध्यनजर रखते हुए, प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने की अनुकम्पा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश भंसाली।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप विराजिये। माननीय विधायक कुछ कह रहे हैं।

सूचना

डर्टी पालिटिक्स पिक्चर में राजस्थान विधान सभा भवन का चित्रण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अवाम का यह सर्वोच्च सदन है और इस सर्वोच्च सदन की गरिमा है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले एक पिक्चर मार्केट में आयी है जिसका नाम 'डर्टी पालिटिक्स' है। अध्यक्ष महोदय, इस भवन का चित्रण उस फिल्म के अन्दर किया गया है। यदि आपकी, आसन की अनुमति से किया गया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यदि आसन की अनुमति के बिना उस फिल्म पर चित्रण किया गया है तो हम सब माननीय सदस्यों की स्थिति बहुत आकवर्ड हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज मेरे बच्चे ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि मैं विधान सभा जा रहा हूं; कि आप उसी विधान सभा में जा रहे हो जिसका चित्रण इस 'डर्टी पालिटिक्स' फिल्म में किया गया है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम उस निदेशक को बुला कर उस चित्रण को बाहर किया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। सूचना आपकी आ गयी, इसको देख लेंगे।

हां, श्री कैलाश भंसाली।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रस्ताव

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट के स्थान पर बनाने के साथ, नियमित फ्लाइटस बढ़ायी जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा महानगर जिला है एवं पश्चिमी राजस्थान का एक मात्र बडा ऐतिहासिक शहर है। यहां का पर्यटन अन्तरराष्ट्रीय स्तर का है तथा अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही

(श्री कैलाश भंसाली)

यहां पर भारी संख्या में होती है। पर्यटक उम्मेद भवन, मण्डोर उद्यान, जसवन्त थड़ा के साथ, जैसलमेर की ऐतिहासिक पटवों की हवेली, मंगला रिफाइनरी, करणी माता का मन्दिर, तनोट माता का मन्दिर, रामदेवजी मन्दिर व समाधि स्थल, इत्यादि देखने यहां पर आते ही रहते हैं।

इसी के साथ, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में हैण्डीक्राफ्ट की बहुत ज्यादा मांग होने से इस व्यवसाय से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय व्यवसायी, मुख्यत: अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कनाडा, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और विभिन्न यूरोपीय देशों से यहां पर आते हैं। जोधपुर में वर्तमान में सीधी अन्तरराष्ट्रीय विमान सुविधा नहीं होने से सैकड़ों करोड़ रुपये का राजस्व जोधपुर को नहीं मिल पा रहा है तथा रेल यात्रा में अधिक समय के कारण जयपुर से सीधे उदयपुर-दिल्ली जाते हैं। अत: फ्लाइट्स की तादाद बढ़ायी जाए।

जिला कलक्टर, जोधपुर ने राज्य सरकार की मार्फत रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है कि वर्तमान सिविल एयरपोर्ट के पास वाली 260 बीघा भूमि तथा उससे लगती हुई कृषि भूमि, जो 80 एकड़ के पास है, उसको किसानों से उचित मुआवजे की अदायगी के साथ भूमि अधिग्रहण कर सिविल तथा डिफेंस एयरपोर्ट इस स्थान पर बनाया जावे तो दोनों का विस्तार सम्भव हो जावेगा। मौजूदा सिविल एयरपोर्ट तीन जहाजों के कारगों के लिए काम लिया जावे तथा नये विस्तार में 9 जहाजों के आवाजाही हो सकेगी तथा अन्तरराष्ट्रीय फ्लाइटस आसानी से आपरेट कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ, कोरिडोर के लिए जोधपुर एयरपोर्ट ही काम आ जायेगा क्योंकि यह 35 किलोमीटर पर ही होगा।

अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए वर्तमान सिविल एयरपोर्ट का स्थान ही सुगम है क्योंकि यह एरिया जोधपुर के केन्द्र बिन्दु में आया हुआ है जिससे आम जन को यहां आने-जाने में काफी सुविधा रहती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम।

(अनुपस्थित)

श्री भजनलाल जाटव।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश चौधरी।

कानोड ग्राम पंचायत (बायतू) में 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र बायतू में 132 के.वी. जी.एस.एस. व चार अन्य स्थानों पर 33 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में 12वीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया, वसुन्धरा राजेजी ने प्रदेश के किसानों की ओर विशेष ध्यान देते हुए किसानों को 8 से 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने और घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलवाया है जो कि एक प्रशंसनीय कदम है। इससे किसानों के हालात मजबूत होने के साथ-साथ आमजन को भी बिजली की असुविधाओं से निजात मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में आज अपनी सरकार की बदौलत तीन पंचायत समितियां हैं। नवीन पंचायत समितियां गिडा और पाटोदी के गठन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मन से उनका आभार प्रकट करता हूं।

आज तक बायतू विधान सभा क्षेत्र में एक भी 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति हमेशा बाधित रहती है। बायतू विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कानोड, तहसील गिडा में 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन के लिए 20 बीघा जमीन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, विधान सभा क्षेत्र बायतू की ग्राम पंचायत कानोड, तहसील गिडा में 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति दिलाना एवं चार अन्य स्थानों को चिन्हित करके 33 के.वी. विद्युत सब-स्टेशनों की स्वीकृति दिलवाना बहुत ही जरूरी है जिससे इस क्षेत्र की आम जनता की रोजना बिजली आपूर्ति की समस्या का निदान हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया माननीया वसुन्धरा राजेजी और उर्जा राज्य मंत्री महोदय, माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी, से निवेदन करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बायतू की ग्राम पंचायत कानोड़, तहसील गिड़ा में 132 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति

(श्री कैलाश चौधरी)

दिलवा कर एवं चार अन्य स्थानों को चिह्नित कर के 33 के.वी. विद्युत सब-स्टेशनों की स्वीकृति दिलवा कर अनुग्रहित करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

पाली जिले में नियमित एवं सुचारू पेयजल व्यवस्था

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि सम्पूर्ण पाली जिले की पेयजल व्यवस्था केवल जवाई बांध पर ही निर्भर रहते हुए बनायी गयी है, जबकि जवाई बांध में पानी की पर्याप्त आवक नहीं है। साथ ही, जवाई कमांड के किसानों की आजीविका भी जवाई बांध के पानी पर ही निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में, जलदाय विभाग व जवाई कमांड के किसानों के बीच लगतार प्रति वर्ष संघर्ष होता रहता है, यहां तक कि प्रति वर्ष पानी के वितरण को लेकर डिविजनल कमिश्नर व जन-प्रतिनिधियों को पूरी मशक्कत करके पानी का निर्धारण करवाना पड़ता है। कई बार तो आन्दोलनों व धरनों का सामना तक करना पड़ता है। स्थिति बेकाबू व विकराल हो जाती है।

मान्यवर, जवाई बांध में प्रति वर्ष औसतन 4,000 एम सी एफ टी पानी की आवक है, जबकि विभाग पेयजल के लिए 3,000 एम सी एफ टी की मांग बताते हैं। तब तो किसानों द्वारा आंदोलन करना उनकी मजबूरी है। यह स्थिति प्रति वर्ष की है। यह भी सही है कि पर्याप्त वर्षा के अभाव में जवाई बांध खाली रहे, तो पाली जिले की पेयजल व्यवस्था अत्यन्त ही संकटग्रस्त हो जायेगी। कई बार तो ट्रेनों व टैंकर्स से पानी लाना पड़ा है जिसमें सरकारी धन की हानि होने के बावजूद जनता की प्यास नहीं बुझ पाती है।

मान्यवर, इस समस्या का एक ही समाधान है कि सांचौर के 'सिलू पाइंट' से नर्मदा नहर के प्रति दिन 100 क्यूसेक्स पानी पाइपलाइन के जरिये पाली जिले के 'सिन्दरू' बांध में लाकर पूर्व में बिछी पाइप लाइन के माध्यम से पाली जिले की पेयजल व्यवस्था नियमित व सुचारु की जा सकती है, जो एक नियमित व सदा उपलब्ध पानी है, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है।

मान्यवर, जलदाय विभाग के अधिकारी जिले की पेयजल व्यवस्था के प्रति कम गम्भीर हैं और जवाई बांध से आसान उपलब्ध पानी माने बैठें हैं। यह सही नहीं है। जवाई बांध तो मानसून पर ही निर्भर बांध है जबकि नर्मदा नहर (बारहमासी) नियमित है।

मान्यवर, यह भी सही है कि राजस्थान के माही बांध से 0.5 एम ए एफ पानी प्रति वर्ष गुजरात ले रहा है और बदले में राजस्थान तो सिर्फ 0.47

(श्री मदन राठौड़)
एम ए एफ ही ले पा रहा है। हम गुजरात से पानी मांग सकते हैं। इसके अलावा, गुजरात से हमें अतिरिक्त पानी भी आसानी से मिल सकता है।

यह भी सही है कि कई वर्षों से नर्मदा नहर से आने वाले पानी का विभाग पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है और 'सिलू' सांचौर क्षेत्र के लोग अत्यधिक पानी से परेशान हैं, जबकि वही पानी हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। 'सिलू' से प्रति दिन 100 क्यूसेक्स पानी जिले की पेयजल व्यवस्था के लिए पर्याप्त है।

अत: यथा शीघ्र पाइपलाइन से पानी लाने की योजना बनाई जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गुर्जर

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सदन का ध्यानाकर्षित किया था, सरकार की तरफ से व्यवस्था दिलावें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, विराजें। आप बैठिए। बिना अनुमति के नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब तो दे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन का चित्रण, जैसा माननीय सदस्य ने कहा...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आ गयी, ध्यान में आ गयी बात।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : जवाब दिलवा देते। गलत है तो उसकी जांच करायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में कोई इस प्रकार की फिल्म बनी है और जिस पर सदन के बाह्य द्वार का चित्रण किया गया है तो सरकार इस पूरी फिल्म को मंगवाकर दिखवायेगी और उसमें जो कुछ भी कानून सम्मत कार्यवाही हो सकेगी, निश्चित रूप से उसको करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गुर्जर।

गिरिराजपुरा ग्राम (देवली-उनियारा) में सुविधाएं रणथम्भौर अभयारण्य के विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि रणथम्भौर अभयारण्य सीमा में आने के बाद खण्डार तहसील के कई लोगों को मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित ग्राम पंचायत आमली के ग्राम गिर्राजपुरा में वन क्षेत्र की भूमि में बसा दिया गया है, किन्तु उन लोगों को आज तक भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया तथा साथ ही, इन लोगों को बिजली, पानी तथा यातायात की सुविधा के साथ ही राशन कार्ड भी नहीं बनाये गये हैं, जिससे इन्हें सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। इन लोगों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि इन विस्थापित लोगों की समस्या का समाधान शीघ्र करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि ब्यावर शहर एवं आसपास की खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से सेदरिया (ब्यावर) में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। इसके निर्माण पर करीब 30 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्तमान में यह स्टेडियम अपूर्ण अवस्था में है। इस स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु काफी विकास की आवश्यकताएं हैं। इस स्टेडियम के विकास हेतु विधायक कोष से 20 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसका जिला परिषद अजमेर द्वारा योजना में स्वीकृत कर 20 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संख्या 278287 दिनांक 31.8.2012 को सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के नाम

(श्री शंकर सिंह)

भेजा गया था। इस राशि की 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा, 18 लाख रुपये, आज दिनांक तक जारी नहीं की गयी है। स्वीकृत योजना का पैसा वर्ष 2012 से आज तक 90 प्रतिशत राशि, 18 लाख रुपये नहीं पहुंचने का क्या कारण रहा है?

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सेदरिया (ब्यावर) में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम, जो कि अपूर्ण है, इसे शीघ्र ही पूर्ण कराने के लिए विधायक कोष से स्वीकृत 20 लाख रुपये की 90 प्रतिशत राशि, 18 लाख रुपये शीघ्र ही जारी करने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

राजस्थान रोडवेज में वर्ष 2001 में नियुक्त बस एजेंटों को निकाला जाना

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान रोडवेज में वर्ष 1990 से भर्ती पर रोक लगी होने से नियम में चालक/परिचालकों की कमी से वाहन संचालन में बाधा उत्पन्न हुई थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2001 में विज्ञप्ति जारी कर बस एजेंटों की मांग की थी। उसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास व परिचालक का लाइसेंस होना था। इनकी नियुक्ति रोडवेज के अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा की जाती थी जिसमें डिपो के मुख्य प्रबंधक, प्रबंधक (वित्त), प्रबंधक (यातायात) व प्रबंधक (प्रशासनिक) थे।

मोटर व्हिकल्स एक्ट, 1998 में टिकट जारी करने का कार्य परिचालक का होता है। देखा जाए तो परिचालक व बस एजेंट की योग्यता व कार्य लगभग एक समान ही थे, जो कि टिकट जारी करना था। सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि बाद में उन्हें नियमित कर दिया जायेगा। बस एजेंटों को इस हेतु मात्र 6,000/- रुपये मिलते थे, जबकि परिचालक की तनख्वाह 20 से 30 हजार होती है, जबकि दोनों के काम एक जैसे ही हैं।

परिचालक के सारे नियम जैसे रिमार्क, कम आय, गाड़ी चैक करवाना, ओवर-टाइम व साप्ताहिक अवकाश इन पर भी लागू थे। बस एजेंटों की आय बस परिचालकों से कम से कम 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत अधिक होती थी।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

बस एजेंट करीब 700 थे तो रोडवेज को एक तरह से 10 लाख रुपये अधिक अतिरिक्त आमदनी प्रतिदिन होती थी। इन बस एजेंटों ने 2001 से 2011 तक लगभग 11 वर्षों तक कार्य किया। अचानक एक आदेश द्वारा इन्हें निकाल दिया गया। इनमें से ज्यादातर लोग आज ओवरएज हो गये हैं जिससे अन्यत्र कहीं उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिससे इनके परिवार का लालन-पालन भी मुश्किल हो गया है। वैसे भी श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 240 दिन नियमित सेवा बाद श्रमिक को नियमित करना अनिवार्य है।

मैंने इस बाबत मुख्य मंत्री महोदया को एक पत्र लिखा था जिसे उन्होंने रोडवेज विभाग को भेजा था और वहां से यह जवाब आया कि :-

1. अनुबंध एक माह के लिए था;
2. एजेंटों को वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके द्वारा अर्जित आय का कमीशन दिया जाता था; एवं
3. एजेंसी द्वारा इनकी नियुक्ति हुई थी।

जो कि सर्वथा मिथ्या है। अगर आय के हिसाब से कमीशन दिया जाता तो वह उन्हें दिये जाने वाले पारिश्रमिक 6,000 रुपये से बहुत अधिक होता। इनकी नियुक्ति रोडवेज डिपो के अधिकारियों द्वारा की गई थी, ना कि किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा; व एक माह नहीं, इनमें से बहुत से लोगों ने 10 से 11 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया है।,

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अल्प वेतन भोगी इन बस एजेंटों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सरकार इनको राहत प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शिमला बावरी।

अनूपगढ़ के चिकित्सालय में ब्लड बैंक की यथाशीघ्र स्थापना

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि घड़साना, अनूपगढ़, रामसिंहपुर, नाहरावाली, रावला 365 हैड, आदि में अस्पताल हैं, जिसमें घड़साना, अनूपगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, परन्तु यहां पर ब्लड बैंक की कोई सुविधा नहीं है।

(श्रीमती शिमला बावरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुर्घटना-ग्रस्त को समय पर उपचार व खून नहीं मिलने के कारण मौत का शिकार होना पड़ता है। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खून की आवश्यकता होने पर गंगानगर या बीकानेर जाना पड़ता है, जो कि 150 किलोमीटर दूर हैं। अत: खून लाने पर समय व धन की अनावश्यक बर्बादी होती है और समय पर खून नहीं मिलने पर दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्ति की मौत हो जाती है और परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का आपरेशन करना पड़ता है तो खून नहीं मिल पाता है और खून के अभाव में उसकी मौत हो जाती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति गर्भवती महिलाओं के साथ भी आती है जब आपरेशन के साथ डिलिवरी होती है। उस समय गर्भवती महिलाओं को खून की आवश्यकता होती है और कई बार खून नहीं मिलने के कारण महिला और बच्चे की भी मौत हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि घड़साना, अनूपगढ़ और रावला में से किसी एक स्थान पर यथाशीघ्र ब्लड बैंक खोलने के आदेश फरमा कर जनता को राहत पहुंचाएं, ताकि केवल खून न मिलने की वजह से होने वाली मौतों को रोका जा सके और इस समस्या से जनता को निजात मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह किनसरिया। श्री मानसिंह किनसरिया।

(अनुपस्थित)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय।

श्रीमती अंजू देवी धानका।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बांसखोह ग्राम पंचायत (बस्सी) में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कारित अनियमितताएं

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का मौका दिया।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

बस्सी में एक कस्बा है बांसखोह, जिसको 2006 से 2010 तक सर्वाधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायत माना गया और वहां पर एक विशेष जांच की गई कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर द्वारा। वहां पाया गया कि वहां पर 55,98,987 रुपये का एक्सेस काम हुआ है, जिसकी राजकोष को हानि हुई है। जिस अमाउंट का भुगतान हुआ है, वह पूरी तरह फर्जी पाया गया।

यह आपके माध्यम से मंत्रीजी तक बात पहुंचाना चाहती हूं, जानकारी देना चाहती हूं कि ऐसा हुआ और इसके लिए उन्होंने जिनको दोषी पाया, वे थे, औंकार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक; कनिष्ठ तकनीकी सहायक, अशोक कुमार सोनी; कनिष्ठ तकनीकी सहायक, दिलीप कुमार; जिनके ऊपर रिकवरी का भी पाया गया कि इनसे रिकवरी करवानी है और यह भी निश्चित किया गया कि किस पर कितनी रिकवरी बनती है। कनिष्ठ सहायक पर 18,67,329 की रिकवरी पाई गई; अशोक कुमार सोनी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, 2,48,217 की रिकवरी पाई गई; दिलीप कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, 16,18,112 की रिकवरी पाई गई। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि न तो यह रिकवरी हुई, न किसी तरह की एफ आई आर हुई, न किसी तरह का 16 सी सी ए का नोटिस दिया गया। किसी भी तरह की कोई कार्यवाही इस पर नहीं की गई। जबकि यह मामला 2006 से 2010 तक मनरेगा के अन्तर्गत जो काम चला और उसमें जो गड़बड़ियां और अनियमितताएं पाई गईं, उसमें कलक्टर द्वारा जांच के बाद दोषी भी पाये गये और दोषियों को सजा के आर्डर भी दिये गये कलक्टर के द्वारा कि इनके ऊपर रिकवरी निकलनी चाहिए।

मैं आपको उनका लैटर पढ़कर बता देती हूं, जो मैं टेबल भी कर दूंगी, मंत्रीजी के लिए। कार्यालय जिला कलक्टर, समन्वयक एवं जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी, जयपुर को यह लिखा गया था, आर्डर दिया गया था कलक्टर द्वारा कि ''उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2010 तक सर्वाधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायत बांसखोह की विशेष जांच के दौरान अनुच्छेद संख्या 11 में विशेष जांच दल ने आक्षेप किया है कि बिना सक्षम प्रावधान के अतिरिक्त लिफ्ट एवं लीड के भुगतान के कारण राजकोष को 55,98,987 रुपये की हानि हुई है। बिना तकनीकी एवं सक्षम प्रावधान के

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

उक्त राशि की लिफ्ट एवं लीड का अतिरिक्त भुगतान, अधिक अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 के बिन्दु संख्या 5.31 के अनुसार अनियमितताओं पर जिम्मेदारी का स्तर एवं की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत माप पुस्तिका में गलत माप का इन्द्राज कर अनियमित फर्जी भुगतान करवाना, माप पुस्तिका में कूट रचना के लिए जिम्मेदारी का स्तर कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार हैं। अनियमित एवं फर्जी भुगतान की वसूली उक्त उत्तरदायी संविदा कार्मिक अधिकारियों से किये जाने का प्रावधान है। अत: निम्नानुसार राशि वसूल कर महात्मा गांधी नरेगा बैंक खाते में जमा करवा कर इस कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करने का सुनिश्चित करें।''

यह लैटर लिखा गया था, यह आर्डर हुआ था 29.7.2013 को कलक्टर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति को लेकिन टिल डेट, आज भी इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है; न तो रिकवरी हुई है और न एफ आई आर हुईहै।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि इसमें 16 सी सी ए का नोटिस तो बनता नहीं है क्योंकि आरोप साबित हो चुका है, तो मैं उनसे डिमांड करती हूं, मांग करती हूं कि इस पर 17 सी सी ए का नोटिस उन्हें दिया जाए और 17 सी सी ए की कार्यवाही की जाएं; इन पर एफ आई आर, वगैरह भी हो। बी डी ओ पर भी कार्यवाही हो, क्योंकि उनहोंने कलक्टर को इग्नोर किया, जिला कलक्टर के आर्डर की अवहेलना की। और क्योंकि रिकवरी बनती हैं तो रिकवरी भी हो और रिकवरी के अलावा, उन पर जो 17 सी सी ए की कार्यवाही है, वह भी हो। यह लैटर मैं टेबल कर दूंगी और मंत्रीजी को भी दे दूंगी।

यदि मंत्रीजी यहां हैं तो मुझे आश्वासन दे दीजिए कि आप इस पर कार्यवाही करेंगे, जो पिछली सरकार नहीं कर पाई वह आप करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में अधिकारियों के मन में यह डर ही नहीं रहेगा कि वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनको कोई कहने वाला नहीं है। आर्डर निकल जाते हैं और उन आर्डर पर कार्यवाही ही नहीं होती है, तो यह डर नहीं रहेगा और भ्रष्टाचार होता जाएगा। जो भ्रष्टाचार हुआ, वह साबित भी हुआ और आर्डर भी निकले और सजा भी बताई, रिकवरी भी बताई, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं और मांग भी करती

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

हूं कि इस बारे में पता लगाएं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो आर्डर दिया गया था, उसमें क्या भ्रष्टाचार किया गया? बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो जानकारी सदन को दी है, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि आपने जो तथ्य दिये हैं और जो जांच रिपोर्ट भी आपने प्रस्तुत की है, मैं, काफी समय हो गया, इसकी वापस इन्क्वायरी करूंगा और जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ नियमों में जो कार्यवाही हो सकती है वह कार्यवाही भी करूंगा; राजकोष को जो क्षति, 36,25,658 रुपये का गबन किया है, या दुरुपयोग किया है, उसकी रिकवरी भी करवाऊंगा, और जो नियमों में कार्यवाही हो सकती है, वह करवाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री रामहेत सिंह यादव।

किशनगढ़ बास में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को, पूर्व में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांवों में ओलावृष्टि हुई और अभी वापस 7 तारीख को कोटकासिम तहसील के भिलाड़ी, रामपुर, बीलियावास, हाजीपुर, नरवास, गुजरीवास, मकडावा, मतलवास, हरनाका, खानडका, सिलपटा, जमालपुर, खानडका की ढाणी, उजूली, कायमपुर, जोखावास, हाजनाका, देवसिखा, माजरी, नसोपुर, खतोपुर, मीरपुर, बूढीबास, भिलाडी की ढाणी, बीरनवास, जाटावास, आदि लगभग 3 दर्जन गांवों में ओलावृष्टि हुई, मैं स्वयं भी गया और लगभग अस्सी परसेंट से सौ परसेंट तक नुकसान इन गांवों में है।

पिछले 2011-12 में भयंकर पाला पड़ा और हंड्रेड परसेंट नुकसान उस समय हुआ, लेकिन किसी किसान को कोई राहत नहीं मिली। 2012-13 में इसी तरह से ओलावृष्टि हुई, लगभग 3 दर्जन गांवों में ओलावृष्टि हुई, जिनमें से ये गांव जो अब ओलावृष्टि की चपेट में आयें वे गांव थे, लेकिन सरकार ने एक ऐसी लिस्ट बनाई कि पीड़ित पक्ष जिनको नुकसान हुआ था उनको मुआवजा नहीं मिला, गलत लोगों को मुआवजा मिल गया, जिसको प्रशासन ने माना

(श्री रामहेत सिंह यादव)

भी। अब तीसरी बार ऐसा हुआ है। यह किसान बहुत बरबाद हुआ है और उसकी पीड़ा है कि उसको सरकार की तरफ से राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गांव पीड़ित हुए हैं हमारे वे हरियाणा बोर्डर से लगते हुए हैं। हरियाणा में जहां पर 15 हजार एकड़ के हिसाब से और राजस्थान में 2,250 रुपये सिंचित का और असिंचित का 1,145 रुपये मिलता है, यह बहुत ऊंट-के-मुंह-में-जीरे के समान है। दूसरी मार यह कि किसान जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है, एच डी एफ सी इरगो विभाग है वह बाकायदा 628 रुपये उससे फसल बीमा के नाम पर लेता है, लेकिन ओलावृष्टि के मामले में कभी भी किसान को एक पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि तीसरी बार मेरे क्षेत्र के किसानों पर यह मार पड़ी है, मैं आग्रह करता हूं कि हरियाणा पैटर्न पर हमारे किसानों को मुआवजा मिले। एक बात। दूसरा, चूंकि किसान पीड़ित हैं, उनका जो लोन लिया हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनको भी स्थगित करें। कम से कम छह महीने का बिजली का बिल है उसको माफ करें।

एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड जिस काश्तकार के पास है, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले रखा है, जिसने प्रीमियम दिया है, वह प्रति खातेदार के माध्यम से जो टोटल नुकसान हुआ है, वह प्रीमियम हर बार भरता रहता है लेकिन बैंक उसको किसी प्रकार की रिलीफ नहीं देता। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि बैंकिंग एजेंसी से बात करके इन किसानों को जो प्रीमियम राशि बैंक ने ली है, उसके आधार पर भी उसको कम्पनसेट किया जाय।

एक बात और हुई, जैसे यह घटना हुई, उसी दिन कुएं में पड़कर एक हरिजन बालक की मौत हो गई। उस डैड बाडी को निकालने के लिए तहसीलदार और सारा प्रशासन वहां लगा हुआ था। मुझे भी जाना था, मैं 12.30 बजे पहुंचा। बहुत सारे किसान, चूंकि कांग्रेस राज में वे पीड़ित रहे, उनको मिला नहीं; मिला, तो ऐसे लोगों को मिला जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस के लोगों द्वारा जो सूची दी गयी, उस हिसाब से उनको मुआवजा मिला। हजारों की संख्या में किसान आये हुए थे। एस डी एम साहब के आफिस के सामने ही हास्पिटल है, कोई मरीज ट्रैक्टर से उतरकर हास्पिटल चला गया। ट्रैक्टर रास्ते के पास लगा हुआ था। उस कारण से कुछ रास्ता 20-25

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मिनट तक जाम हुआ। मैं स्वयं पहुंच गया सबको लेकर; तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, सब एस डी एम आफिस के लान में बैठकर एक-एक बात पर विचार हुआ। मैं स्वयं लगभग तीन दर्जन गांवों में गया। उसके बाद भी किसानों के खिलाफ एक एफ आई आर थाने में दर्ज कर दी। चूंकि राजकीय मुकदमा है, उसमें एफ आर में उनको दिक्कत आती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है, जहां एक तरफ किसान पीड़ित हुआ, दूसरी तरफ चूंकि कोई नियम है, राजकार्य में किसी अखबार ने लिख दिया कि दो घण्टा जाम रहा, प्रशासन नहीं आया। इस आधार पर अगर किसानों पर मुकदमा हुआ है, उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उस मुकदमे को वपस लें।

हरियाणा पैटर्न पर मुआवजे की व्यवस्था करें, 6 महीने के किसानों के बिल माफ करें और जो किसानों ने ऋण ले रखा है उसको भी स्थगित करें ताकि उस पर पेनल्टी न लगे। यही माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, इस स्थान पर दो बार घटना हुई; पहले ओलावृष्टि हुई, अभी कुछ दिन पहले बारिश भी हुई। मैंने सदन में जो विषय पहले उठा था ओलावृष्टि और फसल के नुकसान के बारे में, उस समय भी मैंने कहा और कहा ही नहीं, मैंने 4 तारीख को यह आर्डर भी निकाल दिया कि 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जितनी भी जगह नुकसान हुआ है वह गिरदावरी करके 20 तारीख तक आपदा प्रबंधन विभाग को कलक्टर सूचना देगा। यह सेक्रेटरी रेवेन्यू ने अपने आदेश 4 तारीख को निकाल दिये हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट होगी, क्योंकि अभी तक जो 2 तारीख तक हमको प्राप्त हुई थी, उसमें जो खराबा उन्होंने अनुमानित माना, वह अनुमानित है। वास्तविक तो गिरदावरी आने के बाद ही पता लगेगा। आपदा प्रबंधन में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा आने पर इंडिविजुअल किसान को भी लाभ मिलता है। उसके तहत क्या आता है, उसके बाद ही उनको जो लाभ आपदा प्रबंधन में मिल सकता है, वह निश्चित रूप से मिलेगा। इतना मैं आश्वस्त करता हूं।

दूसरा आपने कहा कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। वह मुझे कागज दें। अगर केवल किसानों के प्रशासन पहुंचने के कारण से कोई देरी हुई और उसके कारण से प्रशासन से कोई एफ आई आर उनके खिलाफ दर्ज की है, तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निश्चित रूप से न्यायिक आधार पर जो भी सम्भव हो सकेगा, मैं निश्चित रूप से किसान की मदद करूंगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : माननीय मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया। आ गया।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : जो ऋण ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड हे, प्रीमियम दिया है, उसके बारे में सरकार बताए।

श्री अध्यक्ष: वह तो देखेंगे ये। श्री जोगाराम पटेल।

आप जवाब दे रहे हैं? बोलिये। बोलिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 7 मार्च को किशनगढ़ बास, कोटकासिम क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के दौरान निश्चित रूप से वहां खराबा हुआ है, लेकिन गश्त-गिरदावरी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ।

जहां तक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी किसानों को मुआवजा दिया जाय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरे देश का मुआवजा एक ही तरीके से होता है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात अलग-अलग नहीं होता। इसलिए निश्चित रूप से 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 11,200 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित, इस प्रकार का मुआवजा पूरे देश में एक ही समान है, अलग-अलग नहीं है। निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उनको उसी नोर्म्स के आधार पर मिलेगा।

दूसरी बात आपने कही कि किसानों से मौसम आधारित फसल बीमा योजना में बैंकों के द्वारा उनका प्रीमियम का पैसा काटा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत उजोली सहित 7 ग्राम पंचायतों में जो नुकसान हुआ, वहां पर मौसम आधारित फसल बीमा के कुछ नोर्म्स बने हुए हैं और नोर्म्स में यह प्रावधान किया हुआ है कि यदि 1 फरवरी से 31 मार्च तक 8 एम एम से 17 एम एम तक बारिश होती है तो उसमें सरसों की फसल का मुआवजा देय है। यदि गेहूं की फसल में 8 से 21 एम एम तक बारिश उन दिनों में होती है तो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

भी मुआवजा देय है। जौ 8 में से 20 और चने में 10 से 25, यानी 10 से 25 एम एम तक बारिश यदि उस क्षेत्र में हुई है, नुकसान भले ही हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन जिन ऋणी कृषकों ने और स्वैच्छिक कृषकों ने बीमा कराया है, सभी को नोर्म्स के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा जवाब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जनरल बहस नहीं। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक। (व्यवधान) अच्छा, इसके बाद आपका होगा।

श्री श्रीचन्द कृपालानी (निम्बाहेडा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में अफीम की खेती होती है और अफीम की खेती में चीरा लगने के बाद ओलावृष्टि से कोई नुकसान हो जाता है तो उसका पट्टा कट होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार को आप लिखकर भेजें, क्योंकि हमारे यहां अधिकतर काश्तकारों ने चीरा लगा दिया और चीरा लगने के बाद ओलावृष्टि हुई। नुकसान 30 परसेंट हो, 40 परसेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चीरा लगने के बाद ओलावृष्टि से नुकसान हो गया तो उस काश्तकार का पट्टा कट जाएगा और आजीवन उसका नुकसान हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, आपने ध्यान खींच लिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : मेरा निवेदन मंत्री महोदय से यह है कि इसके बारे में भारत सरकार को लिखिए।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय फरमा रहे हैं, इतने परसेंट बरसात होने से यह होगा। हमारे वहां जोधपुर डिविजन में, बाड़मेर जिले में इसबगोल बोया जाता है। इसबगोल के लिए ठण्डी हवा ही बहुत है, जीरे के लिए ठण्डी हवा ही बहुत है। अगर दो आंगल छांटा भी पड़ गया तो यह हालत हो जाएगी कि हंड्रेड परसेंट फसल खराब हो जाएगी, जिन्होंने 50 बीघा में इसबगोल बोया है उन्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। यह स्थिति हो गई है। उसमें क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान दिला दिया है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : सरकार इस पर भी ध्यान दे। मंत्रीजी बताएं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ पूछ रहे हैं?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : अभी रामहेतजी ने उठाया, ओलावृष्टि भी उसमें है, उसमें ओलावृष्टि के लिए भी लिखा हुआ है। ओलावृष्टि में कोई जरूरी नहीं कि 8 या 15 एम एम बारिश हो। ओलावृष्टि में तो ओले ही गिरते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल। श्री जोगाराम पटेल।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्षजी, मेरे गांव का ही मसला है; माननीय मंत्री महोदय, वहां कुछ बचा ही नहीं है। कुछ भी नहीं बचा। किसान का एक दाना भी नहीं बचा। इसके लिए तो आपको तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए, कानून-कायदे एक तरफ रखकर।

श्री अध्यक्ष : इस पर जनरल बहस नहीं की जा सकती।

श्री जोगाराम पटेल

जोधपुर नगर निगम की खराब आर्थिक स्थिति

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि पर्ची के माध्यम से आपने मुझे राजस्थान के द्वितीय सबसे बड़े शहर जोधपुर, जहां पर यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने अपने पूर्व के कार्यकाल के दौरान नगर निगम की स्थापना की थी और उनकी मंशा और अपेक्षा रही थी, चूंकि राजस्थान में जोधपुर द्वितीय बड़ा शहर है; सामरिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण शहर है; राजस्थान की न्यायिक राजधानी है; आने वाले पर्यटकों की दृष्टि से वह हिन्दुस्तान व राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है; सैनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, सबसे अधिक बार्डर राजस्थान में लगता है और 4 युद्ध भी जोधपुर शहर देख चुका है;

(13.00 बजे)

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया का यह भी उद्देश्य रहा था कि जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं, उनमें 70 प्रतिशत

(श्री जोगाराम पटेल)

विदेशी पर्यटक जोधपुर आते हैं, या जैसलमेर जाते हैं; इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की स्थापना की गई थी।

स्थापना के साथ ही नगर निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। परन्तु पिछले काफी लम्बे समय से कांग्रेस का बोर्ड था और कांग्रेस के बोर्ड के दौरान निगम की हालत अत्यधिक खस्ता हो गई, आर्थिक दृष्टि से और अन्य आधारों पर भी। निगम की बैठकें बंद हो गईं। निगम की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई। पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया, तत्कालीन सदन के नेता के जोधपुर से आने के बावजूद भी उन्होंने जोधपुर के लिए और जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। जनता परेशान हो गई। सड़कों की हालत खराब हो गई, सीवरेज लाइनें बिगड़ गईं, बिजली की अव्यवस्था हो गई। आने वाले पर्यटक धीरे-धीरे कम होने लगे। न्यायिक राजधानी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक बार ऐसी टिप्पणियां कीं कि वे असहनीय थीं। सरकार के बारे में यहां तक कह दिया गया कि कोई सरकार नाम की चीज राजस्थान में है भी कि नहीं। इन सबके बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर कोई सबक नहीं लिया। धीरे-धीरे निगम की हालत आर्थिक दृष्टि से और भी खस्ता होती गई।

इन सबका ही परिणाम था कि अभी जब नगर निगमों के चुनाव हुए, तो नगर निगम में दो-तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को महापौर के पद पर आसीन किया गया जो सादगी के धनी हैं, निष्पक्ष और ईमानदार हैं। परन्तु इसके बावजूद भी वर्तमान में निगम की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब है। निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं; निगम की जितनी भी योजनाएं हैं, वे ठप पड़ी हैं; निगम के पास अपने खुद के संसाधन नहीं हैं। इन सबके आधार पर, मजबूरी में, अभी निगम को इसी होली से पहले अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पी एफ और वेतन, इत्यादि का भुगतान करने के लिए 20 करोड़ रुपये का ऋण बैंकों से लेना पड़ा और 20 करोड़ रुपये का ऋण लेकर अपने कर्मचारियों को वेतन दिया गया।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा, करीब 100 करोड़ से अधिक की देनदारियां निगम पर हैं। दिनों-दिन भार बढ़ रहा है और दिनों-दिन भार बढ़ने

(श्री जोगाराम पटेल)

से, आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने की वजह से, निगम अपने परिक्षेत्र में कोई भी काम, चाहे सड़क का हो, चाहे सीवरेज लाइन का हो, चाहे बिजली का हो और चाहे अन्य कोई भी विकास के कार्य हों, वह कोई भी कराने की स्थिति में नहीं है। सभी जन-प्रतिनिधियों की ओर से बार-बार निवेदन करने के उपरान्त भी, स्थानीय विधायकों की ओर से भी कहने के बावजूद भी, जितने भी पार्षद चुनकर आये हैं उन पार्षदों के कहने के बावजूद भी, चूंकि निगम की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है, ऐसी स्थिति में जोधपुर के नगर निगम का बोर्ड कोई विशेष कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा है। अपने प्रयास कर रहा है, संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहा है लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस के 10 साल के बोर्ड के कार्यकाल के दौरान उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी हालत को सुधारने में समय लगेगा।

इतना ही मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय से, कि जोधपुर नगर निगम की आर्थिक हालत अगर ठीक नहीं की गई तो जोधपुर का महत्व दिनों-दिन कम होता जायेगा। न्यायिक राजधानी ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण शहर है। यह राजस्थान का द्वितीय बड़ा शहर है और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इतना ही नहीं, महापौर महोदय ने भी अनेक बार आपसे मिलकर इसकी आर्थिक स्थिति को समझाने का प्रयास भी किया, आपने आश्वासन भी दिया और आपने ठोस आश्वासन देने का भरोसा भी दिया, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक विचित्र स्थिति हो गई। अभी जो 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें, जो वर्ष 2014-15 के लिए आई हैं, उसमें ग्रेच्युटी और विशेष अनुदान की राशि मिलती है, उसको अगर देखें तो जोधपुर के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आप इसकी ओर ध्यान दें। जैसे जितने भी छह नगर निगम हैं, उन निगमों में अगर जयपुर को लेंगे तो जयपुर को जो अनुदान आबंटित हुआ है, वह 515 लाख रुपये का हुआ है और विशेष आबंटन हुआ है, वह 838 लाख रुपये का हुआ है। इस तरह से करीब 1.35 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जयपुर नगर निगम को मिली है। अगर आप भरतपुर नगर निगम को लें, तो भरतपुर नगर

(श्री जोगाराम पटेल)

निगम को भी 33.79 लाख रुपये तो अनुदान के रूप में और 180 लाख रुपये विशेष आबंटन के रूप में हुए। उसके अनुपात में अगर हम जोधपुर को लें, तो जोधपुर को 148.60 लाख रुपये की राशि तो अनुदान के रूप में मिली है और मात्र, एण्ड मात्र, 75 लाख रुपये विशेष अनुदान का मिला है, उसके तहत मिली है। अब आप अनुमान लगायें, एक तरफ जयपुर नगर निगम को आठ करोड़ रुपये की राशि मिल रही है और दूसरी तरफ जोधपुर नगर निगम को मात्र 75 लाख रुपये की राशि मिल रही है।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नगरपालिकाओं की अगर लिस्ट भी देखें तो नगरपालिकाओं में चाहे धौलपुर को उदाहरण के रूप में लें, तो वहां पर विशेष अनुदान के रूप में 541 कुल 558.69 लाख रुपये की राशि एक नगरपालिका को मिली है। इतना ही नहीं, अगर जालौर को लें, जालौर नगरपालिका एक छोटी नगरपालिका है, उसको भी लें, तो उसको भी 4.36 करोड़ रुपये की राशि मिली है। अगर आप भीनमाल को लें, उसको भी राशि मिली है। आप उदयपुरवाटी को लें तो उन्हें 6.14 करोड़ रुपये मिले हैं। आप बिलाड़ा को लें जो जोधपुर के पास ही आया हुआ है, जोधपुर का ही है, तो बिलाड़ा को ही 5.90 करोड़ रुपये मिले हैं। आप सादड़ी को ले लें जहां की जनसंख्या उसके एक वार्ड के बराबर होगी, सादड़ी की जनंसख्या जोधपुर के एक वार्ड के बराबर होगी, उसको भी अगर लें तो उसको भी 297.11 लाख रुपये मिले हैं। अगर आप फालना को लें, वहां भी 111.00 लाख रुपये मिले हैं। आप गंगापुर सिटी को लें तो वहां 1.65 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर आप भरतपुर को लें आप किसी को भी ले लें, मैं स्पेसिफिकली किसी भी लिस्ट के बारे में मैं आपको निवेदन करूं...

श्री अध्यक्ष : आप जोधपुर के बारे में बोलिये, क्या मांगना है आपको जोधपुर के बारे में?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : मैं वही मांग रख रहा हूं। यही मामला रखा है मैंने। जोधपुर का मेंने बता दिया ना, जोधपुर को मात्र 75 लाख रुपये मिले हैं, जबकि जयपुर को आठ करोड़ रुपये मिले हैं।

मेरा निवेदन माननीय मंत्रीजी से है कि जोधपुर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जोधपुर को कांग्रेस के बोर्ड ने इग्नोर किया, जोधपुर के पूर्व रहे मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत ने इग्नोर किया, तो जनता ने पूरा साथ दिया, आपके 15 साल के बाद में दो-तिहाई बहुमत से बोर्ड बनाया;

(श्री जोगाराम पटेल)

जोधपुर जिले में जोधपुर के इतिहास में पहली बार आपका महापौर बनाया; जोधपुर की जिला परिषद में आपका अध्यक्ष बनाया; सारी की सारी पंचायत समितियां, एक को छोड़कर, पूरी आपको भारतीय जनता पार्टी के चरणों में अर्पित कर दीं। इसके बावजूद भी, अगर 13वें वित्त आयोग का जो विशेष अनुदान मिल रहा है, वह विशेष अनुदान जोधपुर को नहीं मिले और विशेष रूप से में आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि उसकी आर्थिक हालत खराब है। उसके भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, आर्थिक हालात को देखते हुए, न्यायिक राजधानी को देखते हुए सामरिक दृष्टि से महत्व को देखते हुए, पर्यटन दृष्टि के महत्व को देखते हुए, आप कृपा करें और जयपुर से कई गुना विशेष अनुदान आप जोधपुर नगर निगम को दें तो जोधपुर की जनता आपको याद करेगी। आज की तारीख में वहां यह पता नहीं लगता है कि सड़कें कहां हैं और खड्डे कहां हैं। आज की तारीख में पता नहीं लगता है कि पानी बरसात का आ रहा है या सीवरेज लाइन का आ रहा है। बिजली कहीं लगी हुई है, कहीं तार लटके हुए है और नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लोन लेना पड रहा है। उस परिस्थिति को आप अण्डरस्टैंड करें, उस परिस्थिति को आप समझें।

उसके बाद मेरा निवेदन है कि नगर निगम जब तक सशक्त नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होगा, वह विकास के कार्य नहीं करा पायेगा और विकास के कार्य...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : एक मिनट ही। विकास के कार्य कराने के लिए आर्थिक दृष्टि से, सबसे पहले मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कृपया पधारें, वहां जे डी ए की हालत उससे भी खराब है। कम से कम 1,540 करोड़ रुपये का घोटाला जे डी ए में है तो जे डी ए एक काम पैसे का करा नहीं रहा है। इसलिए 14 महीनों से जे डी ए ने एक नया पैसा किसी भी विकास कार्य पर खर्च नहीं किया है और पूर्ववर्ती सरकार ने जो अधूरे कार्य छोड़े थे, वे ऐसे ही पड़े हैं। इसलिए जोधपुर की जनता में अनावश्यक रूप से यह मेसेज जा रहा है कि जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी जोधपुर के साथ कतई सौतेला व्यवहार नहीं करेंगी और न पहले कभी किया है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसकी वजह से यह भावना नहीं जावे। आप विशेष ध्यान देवें और जोधपुर के साथ न्याय करें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। आप रेस्पोण्ड करेंगे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें बिलकुल तथ्यात्मक कही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गत पांच साल के अन्दर जोधपुर नगर निगम हो या जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी हो, उसने अपने रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दिये बिना, अपने रिसोर्सेज के मुकाबले कई गुना पैसों का इस प्रकार से खर्चा किया कि आज दोनों ही संस्थानों की हालत ठीक नहीं है। आप सही फरमा रहे थे कि सरकार जब आई, उस वक्त जोधपुर नगर निगम को सवा सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपये के आसपास की देनदारियां थीं। अभी इस फरवरी में ही सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारियां जोधपुर नगर निगम के माथे थीं। यह बात सही है कि अभी 22 करोड़ रुपये का तो हमें लोन लेना पड़ा है बैंक के माध्यम से और अन्य संस्थानों के माध्यम से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वित्तीय स्थिति बडी गम्भीर है। लेकिन वित्तीय स्थिति गम्भीर होने और उसको उस गम्भीर वित्तीय स्थिति से कैसे निकाला जाए, इसकी चिंता जोधपुर नगर निगम के लोग, जोधपुर के जन-प्रतिनिधि और हम सब मिलकर के इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्थिति निश्चित रूप से बड़ी विकट है।

क्योंकि आप सब जानते हैं कि यू.एल.बी. के पास में सरकार के द्वारा दिये जाने वाले संसाधन, चाहे दिल्ली से सेन्ट्रल फाइनेंस कमीशन से पैसा आये, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसा आये, उन पैसों के बाद भी चुंगी की एवज में जो राज्य सरकार उनको पैसा देती है, जिसके सहारे सारी की सारी यू.एल.बी. चल रही है और हैण्ड-टू-माउथ, क्योंकि जो टैक्स एफर्ट यू.एल.बी. के लेवल पर होना चाहिए, वह टैक्स एफर्ट नहीं हो रहा है। यह भी बहुत बड़ा कारण है।

यह सही है कि जोधपुर की स्थिति के लिए केवल यह कारण अकेला नहीं है। जोधपुर का कारण तो गत पांच साल के मिसकंडक्ट और मिसगवर्नेंस सबसे बड़े कारण हैं, लेकिन साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सौ करोड़ रुपये से ऊपर के नगरीय विकास कर की वसूली अभी जोधपुर में बाकी पड़ी है। इस प्रकार नगर निगम भी उसमें एफर्ट करेगा, आगे बढ़ेगा तो राज्य सरकार के लेवल पर क्या हो सकता है, इसकी चिंता हम बजट में लेकर कहेंगे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपने मुझे कहा कि छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को विशेष आबंटन ज्यादा मिला और जोधपुर को कम मिला। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन हो, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, यह जब तक डिवोल्यूशन करता है, यू.एल.बीज को डिवोल्यूशन करता है, पंचायत को जब डिवोल्यूशन करता है, उस डिवोल्यूशन का एक फार्मूला है, माननीय अध्यक्ष महोदय। उस फार्मूलों के तहत उसकी पापुलेशन एक बेसिस है, उसका एरिया एक बेसिस है, एवरेज रेवेन्यू उसकी बेसिस है, उसका टैक्स एफर्ट भी एक बेसिस है, उसकी परफोर्मेंस भी उसकी एक बेसिस है और इस आधार के ऊपर डिवोल्यूशन होता है। तो थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन का जो टोटल पैसा ट्रांसफर होता है, उसका 30 परसेंट पैसा तो थर्ड ग्रेड की और फोर्थ ग्रेड की नगरपालिकाओं को चला जाता है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। उनका एक अलग फार्मूला है। 30 परसेंट आफ थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन का, आपका थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन का 30 प्रतिशत पैसा तो तीसरी किस्म की और चौथी किस्म की पालिकाओं में चला जाता है क्योंकि वे बहुत ही असमर्थ हैं, उनकी नीड ज्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर भी कम है। इस कारण उनका पैसा अलग है और उनसे कंपेरिजन करना तो ठीक नहीं होगा।

लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पैसे के लिए आपने कहा है, वह अनुदान का पैसा तो फार्मूला बेस्ड है। उस फार्मूला बेस में एक काम तो नगर निगम को यह करना चाहिए कि उसका जो टैक्स एफर्ट है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि सौ करोड़ से ऊपर की वसूली वे नहीं कर पाये हैं, अगर वह करते तो वसूली पैसे की भी होती और टैक्स एफर्ट के कारण मिलने वाली परफोर्मेंस आरियंटेड ग्रांट भी उनको मिलती। तो मेरे ख्याल से इस ग्रांट के अन्दर जिस प्रकार की कमी आपको दिखी, वह कमी नहीं दिखती।

आपने विशेष आबंटन की चर्चा की है। विशेष आबंटन, माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 परसेंट पैसा तो इस फार्मूले से डिवाल्व हो जाता है और 10 प्रतिशत पैसा जो बचता है उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है, हाई पावर कमेटी बनी हुई है, हाई लेवल मानिटरिंग कमेटी बनी हुई है स्टेट में, चीफ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हैं, उसकी मीटिंग होती है और मीटिंग के अन्दर जितनी भी आपकी लोकल बाडीज की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशल नीड हैं, उन नीड के बेसिस के ऊपर वह पैसा विशेष आबंटन होता है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अब जोधपुर शहर दुर्भाग्य शहर है, गत पांच साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं आई। जयपुर के लोगों ने डिमांड की, डिमांड की तो उनको 833 करोड़ रुपये मिला लेकिन जोधपुर से केवल पर्यटन स्थलों के और बस स्टैंड पर शौचालयों और पेयजल के खर्चे के अलावा कोई डिमांड नहीं आई, कोई स्पेशल डिमांड नहीं आई। थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन के स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के आधार के ऊपर यह मानिटरिंग कमेटी जो बनी हुई है, हाई पावर मानिटरिंग कमेटी उन्हीं के आधार के ऊपर काम करती है। जब प्रस्ताव ही जोधपुर नगर निगम से नहीं आएगा, जब जोधपुर निगम पैसा ही नहीं मांगेगा स्पेशल आबंटन के लिए, तो उसको उस कमेटी के द्वारा आबंटन करने का कोई कारण नहीं बनता। जितनी मेरी जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कारण से यह कमी रही है।

अब चूंकि धीरे-धीरे स्थितियां बदल रही हैं, जोगाराम जी जैसा फरमा रहे थे, आने वाले समय में निश्चित रूप से जोधपुर नगर निगम की आर्थिक हालत में किस प्रकार से बदलाव हम कर सकते हैं और किसी प्रकार से, चाहे वह अनुदान के रूप में हो, आने वाले समय मे इनकी कौनसी स्पेसिफिक नीड हैं, उन स्पेसिफिक नीड की भी चिंता की जाएगी; और भी, किस प्रकार से मिल-बैठकर कि सारे नगर निगमों की और जोधपुर नगर निगम की खास तौर से आर्थिक स्थिति किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो गये सालों में मेस हुआ है, जो सौ-सवा सौ करोड़ रुपये उसके माथे पर कर्जे के रूप में अभी पड़ा हुआ है और आने वाले समय में लगातार अनवरत जो कमिटेड एक्सपेंसेज हैं, इन दोनों को पूरा करने के बाद बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। उसको हम किस प्रकार से मैनेज करें, इसकी चिंता हम मिल-बैठकर करेंगे तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जितनी आपकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों में निश्चित रूप से कमी आएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम भींचर। नो, नो, यह बहस का विषय नहीं है।

मकराना में सीवरेज लाइन (द्वितीय फेज) की स्वीकृति

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मकराना के अन्दर जो सीवरेज लाइन का प्रथम फेज का काम चल रहा है, वह आज एक साल

(श्री श्रीराम भींचर)

डिले होने के बाद भी उसमें काफी काम बाकी है। उस काम को पूरा करने के लिए माननीय मंत्रीजी ने तीन महीने का जो आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरा माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन यह है कि जब प्रथम फेज का काम तीन महीने में पूरा हो रहा है तो सेकण्ड फेज का काम जो है, प्रथम फेज का काम पूर्ण होने से पहले स्वीकृत किया जाएगा या नहीं? और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, बहुत शोर्ट। जवाब दे रहे हैं आप?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले सदस्य ने सीवरेज की मकराना के लिए फेज-टू की चर्चा की है। अभी दो-तीन दिन पहले ही उन्होंने सदन में फेज-1 के बारे में एक सवाल लगाया था, उसका जवाब मैंने विस्तृत रूप से दिया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना की जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीवरेज के लिए बनी थी, उस पर दो फेज हैं, फेज-I और फेज-II। यह दोनों ही इंटिग्रेटेड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी। पहले फेज की रिपोर्ट तो थी, 70 परसेंट मकराना की जनगणना की आबादी के आधार पर 70 प्रतिशत लोगों के लिए सीवरेज थी फेज-I में, जिसका काम चल रहा है, जिसके लिए मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था माननीय सदस्य को, इस सितम्बर के महीने में हम काम पूरा कर देंगे; न केवल काम पूरा कर देंगे, बल्कि प्रोजेक्ट को कमीशन भी कर देंगे और जनता को इस बात के कनेक्शन भी दे देंगे। रही बात दूसरे फेज की 30 परसेंट की, वह 30 प्रतिशत मकराना के बाहर का इलाका है जो फेज-II में है। वहां केवल मकराना की वर्तमान जनगणना में 30 परसेंट आबादी रहती है। इंटीग्रेटेड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर फेज-II इसीलिए लिया गया कि अभी की 30 प्रतिशत आबादी और आने वाले तीस साल के अन्दर किस प्रकार से आबादी का उस इलाके में विस्तार होगा, उसको ध्यान में रखते डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी। यह दोनों प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलकर के 200 किलोमीटर की थीं। यह पहला फेज पूरा हो गया है और यह फेज-II 92 किलोमीटर का है और केवल 30 परसेंट जनता के लिए है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सोचते थे कि फेज-।। के अन्दर हम अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन के तहत कुछ पैसा लेने की व्यवस्था करेंगे, जब यह स्थिति आएगी, लेकिन 31.3.2014 को दिल्ली की यह योजना समाप्त हो गई। जब तक दिल्ली की इस प्रकार की कोई नई योजना नहीं आती, तब तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फेज-।।, जिसके अन्दर केवल 30 प्रतिशत की जनसंख्या कवर होगी, उसको लिया जाना स्टेट के रिसोर्सेज से फिलहाल सम्भव नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन की स्कीम के एवज के अन्दर कोई नई स्कीम आएगी तो अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दूसरे चरण का काम भी हम निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आई तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि.109 दिनांक 26 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपालसिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट बजट वर्ष 2013-14 व आउटकम बजट वर्ष 2014-15

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, आउटपुट बजट वर्ष 2013-14 एवं आउटकम बजट वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : युनुस खान।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2013-14)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री गजेन्द्र सिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालू लाल गुर्जर मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 11)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 9 मार्च 2015 को मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 10 मार्च, 2015 से 27 मार्च,

(श्री कालू लाल गुर्जर)

2015 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च 2015	- 1. वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन; 2. वर्ष 2010-11 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन; एवं 3. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर सामान्य वाद-विवाद।
बुधवार, दिनांक 11 मार्च 2015	- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2015	- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015	- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य की ओर से उसका उत्तर।
शनिवार, दिनांक 14 मार्च 2015 एवं रविवार, दिनांक 15 मार्च, 2015	- बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2015	- अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार, दिनांक 17 मार्च 2015	- अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2015	- अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
गुरुवार, दिनांक 19 मार्च 2015	-अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015	-अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 21 मार्च 2015 एवं रविवार, दिनांक 22 मार्च 2015	-बैठक नहीं होगी।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2015	-अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार, दिनांक 24 मार्च 2015	-अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2015	-अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर दिनांक 25 मार्च, 2015 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
गुरुवार, दिनांक 26 मार्च 2015	-1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015	-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 एवं राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

डा. मंजू बाघमार।

याचिका

नागौर से फरडौद पर अस्थायी पेयजल पाइपलाइन

डा. मंजू बाघमार (जायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, जायल (नागौर) में पेयजल आपूर्ति की गम्भीर समस्या के कारण

(डा. मंजू बाघमार)

नागौर से फरडौद पर अस्थायी पाइपलाइन जोड़ने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

रामगंजमण्डी के वन क्षेत्र में बसी कालोनियों व गांवों का भू-रूपान्तरण कर स्वामित्व प्रदान किया जाना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के वन क्षेत्र में बसी कालोनियों व गांवों का भू-रूपान्तरण कर स्वामित्व प्रदान करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह रावत।

भीम व देवगढ़ सी.एच.सी. में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र भीम के सी.एच.सी. भीम व देवगढ़ में रिक्त चल रहे कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों के पदों को तत्काल भरने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

किशनगढ़ (अजमेर) श्रम निरीक्षक कार्यालय का क्रमोन्नयन

1. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय को आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में क्रमोन्नत कर समुचित स्टाफ लगाने बाबत; एवं

निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद से किशनगढ़-हनुमानगढ़ तक सड़क मार्ग का चौड़ाईकरण एवं डामरीकरण

2. किशनगढ़ (अजमेर) के निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद से मेगा हाइवे (किशनगढ़) हनुमानगढ़ मार्ग तक के 11 किलोमीटर सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण एवं डामरीकरण कराने बाबत।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं।

बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जलाशय की टंकी का निर्माण

1. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जलाशय की टंकी बनाकर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत; एवं

बांदीकुई राजेश पायलट कालेज में खेल मैदान का विकास

2. बांदीकुई राजेश पायलट कालेज में खेल मैदान को विकसित करने बाबत।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं :-

सायला उपखण्ड (जालौर) में महाविद्यालय की स्थापना

1. जालौर विधान सभा क्षेत्र के सायला उपखण्ड में महाविद्यालय खोलने बाबत; एवं

जीवाना ग्राम जालौर में पुलिस चौकी की स्थापना

2. जालौर विधान सभा क्षेत्र के सायला उपखण्ड में जीवाना ग्राम में पुलिस चौकी खुलवने बाबत।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

निम्बाहेड़ा चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

1. सामान्य चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना बाबत; एवं परियोजना रेणका नाका लघु सिंचाई (निम्बाहेड़ा) की स्वीकृति

निम्बाहेड़ा की रेणका नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

2. रेणका नाका लघु सिंचाई परियोजना, तहसील-निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ की स्वीकृति जारी कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने बाबत।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-15 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2010-11 का उपस्थापन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अनुपूरक अनुदान (वर्ष 2014-15) की मांग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वर्ष 2014-15 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

अतिरेक मांगें वर्ष 2010-11

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वर्ष 2010-11 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

1. ''इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2015-16 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2015-16 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 231 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2015-16 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से

(श्री कालू लाल गुर्जर)

समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समित, 2015-2016 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।''

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री कालू लाल गुर्जर।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233खा(1), द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2015-16, प्राक्कलन समिति 'क', 2015-16, प्राक्कलन समिति ख, 2015-16 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16, प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्व अभिस्वीकृति प्रस्ताव के अधिलंघन में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231 सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

घोषणा

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 पर सामान्य वाद-विवद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

क्र. सं.	**पार्टी/दल का नाम**	**आबंटित समय**
1.	भारतीय जनता पार्टी	12 घण्टे 45 मिनट
2.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	1 घण्टा 56 मिनट
3.	नेशनल पीपल्स पार्टी	20 मिनट
4.	बहुजन समाज पार्टी	15 मिनट
5.	नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
6.	निर्दलीय	34 मिनट

इस तरह कुल 16 घण्टे हैं।

मैं सभी पक्षों से निवेदन करना चाहता हूं..., सत्ता पक्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : हां, अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपापूर्वक अभी समय का विभाजन किया है। आपके निर्देशन पर अभी आय व्यय अनुमान 2015-16 में सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ भी हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने बड़े उदार मन से कार्य सलाहकार समिति में मुझे निर्देश देकर कहा था कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सदन की नेता उपस्थित रहें। सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता की उपस्थिति में आपके सामने जो गतिरोध पैदा हुआ था तथाकथित लाठी चार्ज को लेकर, उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर पूरी बात हुई। अध्यक्ष महोदय, उसी समय आपने श्रीमुख से फरमाया था कि उस दिन की घटना, तथाकथित लाठीचार्ज की घटना पर सारे फुटेज देखकर उस पर उचित निर्णय ले लिया जाएगा।

आपने समय का बंटवारा किया, अच्छा रहता, हम चाहते हैं, प्रतिपक्ष भी हमारे साथ इस बहस में भाग ले, क्योंकि बजट सत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सत्र नहीं है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आसन ने इतना सहृदय दिखाया। मुझे कष्ट इस बात का है, आज सुबह जब प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, तब वे हम पर टिप्पणी करते, हम सत्ता पक्ष में हैं, हालांकि सदन की परिभाषा में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर पूरी करते हैं, पर उन्होंने आसन पर टिप्पणी की। आसन पर टिप्पणी करने के पश्चात् भी आपने उनको यह कहा था कि आप प्रश्न काल समाप्त होने के पश्चात् इस बात को उठाएं।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, ताकि राजस्थान के आम अवाम में यह संदेश जाए, हम अपील कर रहे हैं कि अब प्रतिपक्ष आए। आपके वेश्म में सारी बातों पर एक निर्णयात्मक दौर से गुजर कर एक निर्णय हो गया था, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता भी भागीदार थे। अब अपने ही द्वारा किये गये निर्णय से मुकर कर वे सदन से बहिर्गमन करें और कार्यवाही में भाग नहीं लें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्षमहोदय कहीं यह रिकार्ड में नहीं चला जाए कि सत्ता पक्ष ने कोई गतिरोध तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैं संसदीय काकर्य मंत्री के रूप में अपील कर रहा हूं कि वे आएं और सदन की कार्यवाही में भाग लें।

अध्यक्ष महोदय, हमने तो बिना आपकी अनुमति के कोशिश की थी कि सब बात हो जाए। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने इसकी सारी औपचारिकताएं, उनका निलम्बन वापस लेने के लिए, अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा काम हो जाता तो आज वे सामने बैठे रहते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सत्ता पक्ष तैयार है, प्रतिपक्ष इसमें भाग ले, वरना आपने जो बंटवारा किया, यह समय जाया होगा। राजस्थान की आम जनता चाहती है कि इस पूरे बजट में, जो लोक कल्याणकारी बजट है, इसमें उनके सकारात्मक सुझाव हमें मिलें। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल मेरे कक्ष में एक बैठक हुई थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी थीं, प्रतिपक्ष के नेता भी थे और प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्यगण, नारायणसिंह जी थे, मालवीया जी थे, प्रद्युम्न सिंह जी थे, ये सब थे, तब यह चर्चा आई। बड़े उदारतापूर्वक, बडे सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रतिपक्ष के नेता वहां उपस्थित थे। माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया ने वहां प्रस्ताव रखा था कि अभी तक जो फुटे मैंने देखा है, जैसा उन्होंने आज स्वयं वक्तव्य में कहा, उसके अलावा भी दूसरे फुटेज हैं, वे देख लिए जाएंगे; प्रतिपक्ष जहां से हमको फुटेज देगा, उन सबको देखने के बाद अगर मुझे यह महसूस हुआ कि कहीं न कहीं पुलिस की गलती है, तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही कराऊंगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। मुझे आपको यह सूचित करते हुए बड़ा दुःख होता है, इस बात को वहां प्रतिपक्ष के नेता ने भी स्वीकार किया था, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन इसलिए कहना पडता है, उस समय प्रतिपक्ष के जो कांग्रेस के सदस्य थे, दूसरे वरिष्ठ सदस्य, उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता से भी कहा, देखिए, यहां जो बात हो रही है, इस पर आप सदन में भी कायम रहना, इससे आप इधर-उधर मत होना।

मैं यह बात कहना नहीं चाहता था लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ मुद्दे उठते हैं, कुछ तनाव हो जाता है, कुछ आपस में आरोप-प्रत्यारोप भी हो जाता है, लेकिन सदन को चलाने के लिए हमको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए और सत्ता पक्ष को हमेशा नरम रहना चाहिए। यह स्थिति कल पैदा हो चुकी थी। हम करीब-करीब कल की स्थिति को आज यहां रखने वाले थे कि यह स्थिति है और उसके आधार पर यह गतिरोध समाप्त होने वाला था, लेकिन कल ही मुझे कुछ शंका हो रही थी कि प्रतिपक्ष के आपस में जो झगड़े हैं उन आपस के झगड़ों की वजह से, जिस प्रतिपक्ष के नेता ने कल मेरे कक्ष में स्वीकार किया, वे यहां आकर बदल गये। उनके वरिष्ठ सदस्य असहाय रहे हैं। यह स्थिति जो प्रतिपक्ष के आपसी फूट की है उस फूट का प्रकटीकरण जो हो रहा है, मुझे अफसोस है कि नहीं होना चाहिए।

हम सदन को चलाने के लिए सब मिलकर कार्य करें। राजस्थान की जनता इस बजट की ओर विशेष तौर से देख रही है, बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में क्या खामियां हैं, क्या सुधार किये जाने चाहिए, कैसे इसको ठीक ढंग से करके हम राजस्थान की जनता की सेवा में इसको लगाएं, इस पर प्रतिपक्ष के विचार आना मैं अनिवार्य मानता था, और इसीलिए मैंने पहले भी की। मैं आज फिर

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन करना चाहता हूं कि कल मेरे कक्ष में जो बात हुई उसके आधार पर प्रतिपक्ष को अपना पक्ष लेकर आ जाना चाहिए और यह गतिरोध समाप्त हो जाए।

प्रतिपक्ष, जो कांग्रेसी है, केवल कांग्रेस; कई अखबारों में छपा, सम्पूर्ण विरोध नहीं, केवल कांग्रेस के बाहर गये हैं।

मैं विनम्र अपील इसलिए करना चाहाता हूं कि मेरा भी यह कर्तव्य है कि सदन ठीक ढंग से चले, इस सदन में बहस भी ठीक ढंग से हो, इस सदन के निर्णय भी ठीक ढंग से हों, उसमें प्रतिपक्ष का सहयोग रहे, यह मैं आवश्यक मानता हूं। अनिवार्य मानते हुए मैं अपनी ओर से अपील करता हूं कि मेरे कक्ष में कल जो बात हुई, उसके आधार पर यह समझौता हो जाए। यहां जो निलम्बन का प्रस्ताव पास हुआ है, उस तारीख को, इस निलम्बन के प्रस्ताव को यही सदन, जिसने निलम्बन का प्रस्ताव पास किया था, यह वापस ले ले और प्रतिपक्ष ईमानदारी से इस बहस में भाग ले। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस अपील का भी, संसदीय कार्य मंत्रीजी की अपील का भी, उन पर कोई असर पड़ेगा और वे अपने को ठीक ढंग से सदन में वापस लाएंगे।

इसलिए यह टाइम तय किया है, इस टाइम के हिसाब से वे आएंगे। बाकी तो, प्रतिपक्ष राजस्थान की जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है तो यह उनके लिए सोचने की बात है। विधान सभा में आना, उनके क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनके जिन मतदाताओं ने इस विधान सभा में भाग लने के लिए यहां भेजा है और यह उम्मीद करते हैं इनके मतदाता कि ये विधान सभा में जाकर राजस्थान की सेवा में और विधान सभा क्षेत्र की सेवा में अपनी बात रखेंगे, इससे वे पीछे हट रहे हैं। यह मैं उचित नहीं मानता हूं।

इसलिए फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना आपसी विवाद छोड़ कर, पार्टी का, वह छोड़ कर एक स्वस्थ वातावरण के साथ, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, वापस एक प्रतिनिधि के रूप में इस विधान सभा में पधारें और पधारने के बाद, क्योंकि कल यह बात हो चुकी थी, गुलाबचन्द जी कटारिया, गृह मंत्रीजी ने कहा था कि मैं ये दोनों फुटेज देखकर, आपकी उपस्थिति में, और अगर पुलिस की कोई गलती हुई, ईमानदारी से कार्यवाही करूंगा। यह आश्वासन मेरे कक्ष में गुलाबचन्द जी कटारिया ने दे दिया था।

(श्री अध्यक्ष)

इस आश्वासन के आधार पर अब कोई बात रहती नहीं है। अब इसमें हठधर्मिता है, हठधर्मिता का कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी की राय से सहमत हूं, उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिपक्ष को आमंत्रित किया है, कांग्रेस को, कि वे आएं और इस बहस में भाग लें। अन्यथा वे अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो रहे हैं। यह कहने में मुझे कहीं एतराज नहीं है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 । प्रथम अवस्था। सामान्य वाद-विवाद। अब बहस चालू करेंगे। सबसे पहले श्री मदन राठौड बहस में भाग लेंगे।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 9 मार्च को राजस्थान की श्रद्धेय मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री के नाते राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में जो बजट प्रस्तुत किया, वह बहुत शानदार बजट था, जिसको राजस्थान की जनता ने बहुत सराहा है। परिस्थितियां तो भयंकर विपरीत थीं।

(13.42 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

जो विरासत में हमको मिला चरमराया हुआ ढांचा, क्षतिगस्त सड़कें, पेयजल की व्यवस्था नहीं, बिजली की दूभर स्थिति, यहां तक कि 4-5 घण्टे भी बिजली जनता को नसीब नहीं होती थी और दिन भर घरेलू बिजली भी, उसमें भी खूब कटौती हुआ करती थी, ऐसी स्थिति राजस्थान सरकार को, वसुंधरा जी को मिली। लेकिन इन सबके बावजूद, परिवार की मुखिया होने के नाते, राजस्थान को एक परिवार मानते हुए, सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया, उसकी चारों ओर प्रशंसा हुई है। वित्त विशेषज्ञों ने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यहां तक कि कई चैनलों ने जनता की राय ली थी, उसमें इस बजट की प्रशंसा में 82 प्रतिशत लोगों ने अपनी राय जाहिर की। केवल 18 प्रतिशत लोगों ने इसके विपरीत अपनी कोई बात रखी। जब जनता ने पसन्द किया, आम लोग इस बजट को पसन्द कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना

(श्री मदन राठौड़)

चाहिए। उन्होंने थोड़ा-बहुत जो करों में भार बढ़ाया भी, तो वह भी उन लोगों पर बढ़ाया जो बरदाशत कर सकते थे। करों में राहत दी, जिससे आमजन को लाभ मिला, आमजन लाभान्वित हुआ। इस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया है।

सभापति महोदय, देश को आजाद हुए 67 वर्ष बीत गये, इन 67 वर्षों में 55 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? आज भी गांवों में जाते हैं तो जनता मांग करती है कि बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, कहीं पर भवन नहीं है। यानी, जर्जर स्थिति आज भी है। तो 55 वर्षों में जिन्होंने शासन किया, उनकी जवाबदारी है। उन लोगों ने इस प्रान्त की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया।

सभापति महोदय, कांग्रेस के लोग तो, मैं सोचता हूं, एक ऋषि थे, ऋषि चार्वाक, उनका एक दोहा है, उसको उन लोगों ने अंगीकार कर लिया। ऋषि चार्वाक ने एक दोहा दिया था – 'यावज्जीवेत सुखं जीवेत् ऋण कृत्वा घृतं पिवेत। जब तक जीएं, सुख-चैन से जीएं; चाहे कर्जा भी लेना पडे, लेकिन घी पीएं।' इन्होंने यही किया। इन्होंने वह कर्जा लिया, लेकिन स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं किया। कर्जा खूब लिया, कर्ज का भार इस प्रान्त पर इतना बढा दिया कि आम-व्यक्ति का जीवन दूभर हो गया, उसके ऊपर कर्ज का भार बढ़ता गया लेकिन परिसम्पत्तियां नहीं बनाईं। कर्ज लें, कोई चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर के कुछ निर्माण करें, स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करें, तब तो ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि कर्जा लेख कर्जा लेकर खाता रहे, यह कितने दिन चलेगा, सभापति महोदय? कर्ज ले, कर्ज के बदले में कोई निर्माण नहीं करे। चलो, कोई सोना-चांदी भी खरीद लेते, तब भी समझ में आता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। केवल बांटने का काम किया और जो बांटा, वह भी थोड़े दिनों में खा-पीकर समाप्त हो गया। फिर वही हाल, ढाक के तीन पात। फिर गरीबी की स्थिति में उस व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया।

सभापति महोदय, कांग्रेस ने जब 2003-04 में हमको शासन दिया था, जब अशोक गहलोत मुख्य मंत्री पद से हटे और जब हमको शासन मिला, तब यहां का जो राजस्व घाटा था, वह 3,424 करोड़ था। इतना घाटा, हम पर राजस्व घाटा थोप दिया। आदरणीया वसुंधरा जी ने उसमें सुधार किया और

(श्री मदन राठौड़)

निरन्तर प्रयास करके, मेहनत करके, सुधार करते-करते 2007-08 में जब हम सत्ता से हटे, तब 1,653 करोड़ का राजस्व सरप्लस था। यानी, उस घाटे की पूर्ति भी की और राजस्व सरप्लस लाकर छोड़ा। यह होता है वित्तीय प्रबंधन। लेकिन कांग्रेस ने वित्तीय प्रबंधन नहीं किया, इनका कुप्रबंधन था। फिर देखिये, इन्होंने 2013 में, यानी जो हम सरप्लस छोड़कर गये थे, वह भी अपने काम में ले लिया। और फिर से घाटा 2,500 करोड़ का कर दिया, यह राजस्व घाटा। यानी, यह घाटा बढ़ाते गये। यह स्थिति इनकी बनी।

इसी प्रकार से फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 2003-04 में जो 6 प्रतिशत से अधिक था, यानी प्रति व्यक्ति आय की जो बात थी, जिसे हमने सुधार करके 1.75 किया था, लेकिन कर्ज का भार तो कांग्रेस ने फिर बढ़ाया और बढ़ाते-बढ़ाते, 2014 में इन्होंने यह जो कर्ज भार बढ़ाया, 1,30,640 करोड़ का, यह कर्ज भार इन्होंने बढ़ा दिया। सभापति महोदय, एफ.आर.बी.एम. में भी, उसमें राजस्थान के जो गरीब लोग हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए हमारी श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने 850 करोड़ रुपया जमा करके दिया था, वह जमा भी ये खा गये। वह जमा भी इन्होंने पूरा काम में ले लिया। फिर कर्जा इतना बढ़ा दिया।

यह एक विचारणीय विषय है कि कांग्रेस ने क्या किया है। क्या इनको प्रबंधन आता ही नहीं है, या प्रबंधन की इनकी इच्छा-शक्ति नहीं है? इस प्रकार की स्थिति इन्होंने पैदा की।

सभापति महोदय, 2003-04 में जो कर्जा लिया, उसका केवल 42 प्रतिशत इन्होंने उपयोग में लिया था, जो पूंजीगत व्यय किया था। इसे बढ़ाकर हमने 2007-08 में 109 प्रतिशत किया; यानी, 109 प्रतिशत, इतना हमने यह किया; मतलब, परिसम्पत्तियों का निर्माण किया। इसी प्रकार, जी.एस.डी.पी. का भी 3.4 प्रतिशत था। यह राजस्व आधिक्य के कारण से हम कर पाये थे। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई, जिसे कांग्रेस ने पांच वर्षों में जी.एस.डी.पी. का 2.95 तक गिरा दिया।

सभापति महोदय, एक उदाहरण अपन बिजली कम्पनियों का भी लें। बिजली कम्पनियों में, जब हम सत्ता से गये, तब 15 हजार करोड़ का कर्जा था लेकिन इन्होंने पांच वर्षों में कर्ज कितना बढ़ा दिया! यह बहुत चिंता का विषय

(श्री मदन राठौड़)

है। यानी, 77 हजार करोड़ का कर दिया। 77 हजार करोड़ कर्जा! यानी, इन तीनों डिस्काम्स को डुबोने का काम किया।

इन्होंने, देखिये, 2013 में बजट अनुमान में इन्होंने बताया कि 1,025 करोड़ का राजस्व आधिक्य हम करेंगे, इन्होंने 2013-14 के बजट अनुमान में दिखाया लेकिन वास्तव में 2,500 करोड़ का घाटा हुआ। यानी, अनुमान तो किया कि बजट आधिक्य दिखायेंगे लेकिन हुआ बिलकुल उलटा, 2,500 करोड़ का घाटा।

यही नहीं, 2014-15 में संशोधित अनुमान जो हमने 4,219 करोड़ तक पहुंचाया था, राजस्व आधिक्य पहुंच सकता था 456 करोड़ 82 लाख। कांग्रेस ने पूंजी खाते में भी बजट अनुमान बताया था 689 करोड़ 34 लाख, जबकि घाटा इससे भी अधिक हुआ है। सभापति महोदय, हमारे बजट अनुमानों में जो घाटा 382 करोड़ 51 लाख की संभावना है। इसी तरह, राजकोषीय घाटा भी 20,609 करोड़ अनुमानित है।

यानी, हम लगातार कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं; सी एम इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं; राज्य को आर्थिक और सामाजिक उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए मुख्य मंत्रीजी बहुत प्रयास कर रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें 2014-15 में संशोधित अनुमान में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यानी, हम धीरे-धीरे असेट्स का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं; आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा।

राजस्थान की सरकार ने अभी विजन 2020 लिया है। यह 2020, A healthy, educated, gender-sensitive, prosperous and smiling Rajasthan, with a well-developed economic infrastructure.

यही नहीं, राजस्थान को हम देश के अन्य प्रांतों की तुलना में अग्रणी राजस्थान बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जन-प्रतिनिधियों और अधिकारी मिलकर सकारात्मक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं।

प्रत्येक परिवार को हम रोजगार देने के लिए चिंतित हैं। अभी केन्द्र का बजट भी आया था, उसमें भी नरेन्द्र भाई मोदी ने इस प्रकार की बात कही थी कि हम 2022 तक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देंगे। ठीक इसी दिशा में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी प्रयास कर रही है।

(श्री मदन राठौड़)

हमने जो सुशासन का वादा किया था, सर्वजन उत्थान सर्वजन विकास, इसमें मूलभूत आवश्यताएं जैसे बिजली, पानी, कृषि, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हो, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने जानकारी ली होगी, यह पता चला होगा आपको कि हमने पहले 2007 में 'रिसर्जेंट राजस्थान' का प्रयास किया था, कई निवेशक भी राजस्थान में आये थे लेकिन उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही। कांग्रेस ने खूब कोशिश की। ये वहां मुम्बई जाते थे, वहां अप्रवासी राजस्थानियों से चर्चा करते थे, उनको कहते थे राजस्थान में आओ, राजस्थान में उद्योग लगाओ लेकिन उनका कांग्रेस सरकार पर विश्वासन नहीं था। सभापति महोदय, वे आयें किस आधार पर? न तो यहां पर वे पानी दे सकते हैं, न बिजली दे सकते हैं, न जमीन दे सकते थे और भ्रष्टाचार चरम पर था। कई बार कांग्रेस के शासन के लिए माननीय न्यायालय ने भी विपरीत टिप्पणियां की थीं। इतनी शर्मनाक टिप्पणियों की थीं कि इनको शर्म भले ही न आवे, लेकिन राजस्थान के नागरिक होने के नाते हमको भी लगता था कि यह कैसी सरकार है। इस प्रकार न्यायालय भी इनके खिलाफ टिप्पणी कर रहा है।

अभी हमने फिर से प्रयास किया, राजस्थान औद्योगिक निवेश नीति 2014 बनाई। फिर से लोग आने लगे। 'रिसर्जेंट राजस्थान' की दिशा में लोग आयें और अभी आपको पता होगा कि कई लोगों ने यहां पर निवेश करने की इच्छा-शक्ति दिखाई है।

यही नहीं, अभी जालौर जिले में एक ड्राई पोर्ट बनाने की बात भी आई है। पहले एक बार भैरोंसिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि हम समुद्र को राजस्थान में लाना चाहते हैं, तो कई लोगों ने मजाक बनाया कि कभी समुद्र भी राजस्थान में आ सकता है। यह कैसी मजाक की बातें कर रहे हैं! लेकिन अब यह सफल हो सकता है। समुद्र से दो फर्लांग चौड़ी नहर निकालकर राजस्थान में लाने के लिए एक उद्यमी ने इस प्रकार का एक आवेदन भी किया है, एम ओ यू भी उसने साइन किया है कि वह यहां पर नहर लाकर के पानी लायेगा और उस पानी से परिवहन करके

(श्री मदन राठौड़)

ड्राई पोर्ट, यानी यहां का माल निर्यात किया जा सकेगा। परिवहन की रेट कम होगी, कम कीमत पर परिवहन किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे उद्यमी भी राजस्थान में आने लगे हैं।

इसी प्रकार की औद्योगिक निवेश नीति का यह प्रभाव है और वसुंधरा जी पर सबका विश्वास भी है कि जो वे कहती हैं वह करके दिखायेंगी, निश्चित रूप से करेंगी। इस प्रकार का आम जन में विश्वास है। इसी आधार पर वे निवेशक राजस्थान में आ रहे हैं।

सौर ऊर्जा नीति 2014 बना रहे हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि बिजली की बहुत तकलीफ है और ये डिस्काम भी घाटे में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से हम और अधिक बिजली पैदा कर सकें, कहां से इस प्रकार की व्यवस्था हो सके। विंड एनर्जी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे गुजरात में हम देखेंगे कि नहरों के ऊपर सोलर प्लांट लगा दिये। इससे दो प्रकार के फायदे हुए, एक तो पानी का वाष्पीकरण रुका, दूसरा ऊर्जा भी प्राप्त होती रही। इस प्रकार की व्यवस्था जब गुजरात ने की है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? उसी नीति पर राजस्थान भी चल रहा है और इस प्रकार सौर ऊर्जा नीति 2014 के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं।

विकेन्द्रीकरण की प्लानिंग को बढ़ावा देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है।

सड़क के बारे में भी विचार करें तो पहले पी पी पी मोड पर 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की बात हमने कही थी और उसके प्रथम चरण में अलवर और धौलपुर में जो प्रयास हुआ, उसमें कई कांट्रेक्टर भी आये, जो 8 वर्ष के लिए रख-रखाव करेंगे। उनको पैसा दिया जायेगा, फिर 8 वर्ष तक उसका रख-रखाव वही ठेकेदार करेंगे। इस प्रकार का प्रयास हमने किया था। इस बार भी 10 हजार किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणी की सड़कें निर्माण करने की घोषणा इस बजट में की गई है।

ग्रामीण गौरव पथ की बात भी कही गई। शहरों में तो विकास हो रहा है, शहरों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे हम गांवों में भी देना चाहते हैं। इस प्रकार की योजना है। हर गांव में चौड़ी सीमेंटेड सड़क और नालियों के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गांवों हेतु हम 500 करोड़ की लागत से 1,440 किलोमीटर सडक का निर्माण करेंगे और वह

(श्री मदन राठौड़)

काम भी प्रगति पर है। इस प्रकार का प्रयास भी चल रहा है। 1,100 ढाणियां अब और जोड़ेंगे, जिस पर 960 करोड़ रुपया खर्च आयेगा।

नान-पैचेबल सड़कों की हालत बहुत खराब है। अभी कई गांवों में हम जायें तो गांव के लोग कहते हैं कि यह सड़क तो बनाओ, इस सड़क की हालत बहुत खराब है। आप देखिए कि पांच वर्षों में नान-पैचेबल सड़कों के निर्माण के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके रख-रखाव की चिंता नहीं की। अब कोई भी सड़क का निर्माण हो जाये और उस पर यदि कोई खड्डा पड़ जाये, उसको अगर तुरन्त नहीं संभाला गया, तो सभापति महोदय, वह खड्डा बढ़ता जायेगा और वह सड़क उखड़ जायेगी, सड़क बिलकुल समाप्त हो जायेगी। उस सड़क को भी अगर यथा-समय संभाल लिया जायें, उस पर पैच-वर्क करवा दें, तो वह सड़क काफी लम्बे समय तक चल सकती है। इस प्रकार का जब कांट्रेक्टर के साथ एग्रीमेंट था पांच वर्ष तक रख-रखाव वही करेगा लेकिन इन्होंने तो पता नहीं, ठेकेदारों से किस प्रकार की मिलीभगत कर दी कि रख-रखाव के लिए उन पर दबाव बनाया ही नहीं। जब उन पर दबाव नहीं बनाया तो वे सड़कें टूटती गईं, बिखरती गईं। आज यह स्थिति है कि हमको नान-पैचेबल सड़कों पर निर्माण करने की जरूरत है और राजस्थान की सरकार ने 4,000 किलोमीटर नान- पैचेबल सड़क निर्माण करने का निर्णय लिया है, जिस पर 847 करोड़ रुपया खर्च आयेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी राजस्थान की सरकार ने की है।

सभापति महोदय, खानों की स्थिति बहुत खराब है, जबकि खानों से कितना रेवेन्यू प्राप्त होता है। उन खानों तक पहुंचने के लिए जो साधन जा रहे हैं, उनके टायर्स बहुत कम समय तकचल पाते हैं क्योंकि वहां पर तो सड़कें हैं ही नहीं। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने 50 करोड़ लगाकर खानों के लिए मार्ग सुगम बनाने का जो निर्णय लिया है, मैं सोचता हूं यह सराहनीय कदम है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब खानों तक पहुंचने के लिए सड़कों के निर्माण पर सरकार खर्च कर रही हो।

सभापति महोदय, हमने पहले जो घोषणा की थी हम 8 आर ओ बी का निर्माण करेंगे तो आर ओ बी निर्माणाधीन हैं। सबसे पहले, भरतपुर-मथुरा जो एन एच 24 है, वह तो पूरा ही हो गया, और पर निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे अंडरा-ब्रिजेज का भी निर्माण कर रहे हैं। जयपुर में भी 6-7 अंडर-

(श्री मदन राठौड़)

ब्रिजेज और निर्माण होंगे। राज्य भर में 14 करोड़ रुपया आर यू-ब्रिज पर खर्च होने वाला है।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, रोडवेज की स्थिति बहुत खराब है। आपका तो शायद काम पड़ता है कि नहीं, हम लोग कई बार वहां गये। सिंधी कैम्प बस स्टैंड पर इन्होंने खोद कर छोड़ दिया। अब हम भी नहीं समझ पाये, इतना भीड़भाड वाला इलाका है, बसों को घूमने में, खड़े रहने में भी तकली होती है, लेकिन जो बीच का भाग है उसमें बहुत बडा खड्डा करके छोड़ दिया और बाहर चद्दर लगा कर उसको और भी सकड़ा कर दिया। पता नहीं, इनकी क्या योजना थी, क्यों वहां पर खड्डा करके छोड़ दिया। यदि कोई योजना थी तो उसमें धन देते और उस योजना को पूरा करते। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। विगत ढाई-तीन वर्षो से यह खड्डा खुदा हुआ पड़ा है। अभी हमारी सरकार ने उसको ठीक करने के लिए प्रयास किये हैं।

यही नहीं, रिफोर्म लिंक्ड असिस्टेंस के आधार पर 120 करोड़ का अनुदान देने की भी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। निश्चित रूप से राजस्थान स्टेट रोडवेज की स्थिति सुधरेगी। इसको और सुधारने के लिए राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल अथोरिटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित रूप से कई अच्छे सुझाव भी आयेंगे और उसमें स्थिति सुधरेगी। इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान रखा है। पूर्व में भी हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी, 365 करोड़ एक-मुश्त उनको देने की बात कही थी और 10 करोड़ रुपया प्रति माह, ताकि वे अपने कर्मचारियों को वेतन, वगैरह दे सकें। इस प्रकार की बात पहले भी कही गई थी लेकिन इसमें जो थोड़ा-बहुत सकारात्मक प्रयास हुआ, उसमें और अधिक करने की आवश्यकता है ताकि यह स्थिति भी सुधर सके।

रोडवेज को कई ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे वरिष्ठजन है, उनका किराया कम लेना पड़ता है। ऐसे ही, महिलाओं का शायद आधा पैसा लेना पड़ता है। ऐसी कई रियायतें देनी पड़ रही हैं। उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने 160 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, रियायतों के बदले, ताकि रोडवेज घाटे में नहीं रहे, रोडवेज अपनी स्थिति को सुधार सके।

(श्री मदन राठौड़)

नई बसों को भी खरीदेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने 1,500 नये मार्ग खोलने की घोषणा भी की है। जहां बसें नहीं चलती थीं, वहां निजी बसें चलेंगी, 6,000 अतिरिक्त वाहन वहां पर चलेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। न केवल रोजगार की चिंता है, इसके अलावा उन गांवों को आवागमन का साधन भी उपलब्ध होगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार ने की है, जिससे लगभग 26 हजार निजी बसों का संचालन बढ़ेगा।

सभापति महोदय, फिटनेस के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिला केन्द्रों पर ही आना पड़ता है। इसको सुधारने के लिए ट्रैक फिटनेस सेंटर जगह-जगह खोले जायेंगे। वहां पर पी पी पी मोड पर ऐसे ट्रैक सेंटर बना देंगे कि कोई भी लाइसेंस लेने के लिए व्यक्ति आयेगा तो उसको कैसे सिग्नल का ध्यान रखना चाहिये, कहां पर किस प्रकार से ओवरटेक करना चाहिये, इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम भी पी पी पी मोड पर करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसमें लाइसेंस सुविधा और फिटनेस का भी सरलीकरण हो जायेगा।

बस अड्डों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। अभी कुछ बस अड्डे हैं जो कप्यूटरीकृत हैं, शेष को भी करेंगे। इस प्रकार की घोषण भी की है।

स्मार्ट कार्ड आनलाइन देने की बात भी कही है। कोई भी टैक्स कराना चाहे तो वह आनलाइन टैक्स जमा करा सकता है। उसको बार-बार मुख्यालय पर जाकर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अन्य राज्यों से जो वाहन आयेंगे, उनको भी आनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा देने की घोषणा इस बजट में की गई है।

उड़न दस्ता वाहनों पर जी पी एस लगायेंगे ताकि यह पता चल सके कि कौनसा वाहन कहां पर है।

इसी प्रकार से, राजस्थान स्टेट रोड सेफ्टी अथोरिटी एक्ट बनेगा ताकि वह ऐसे निर्णय ले सके कि सुरक्षा के क्या उपाय किये जा सकते हैं, किस प्रकार से सुरक्षा दी जा सकती है। बच्चों को भी शिक्षा देने का प्रयास किया जायेगा। यह पहली बार हो रहा है। मैं सोचता हूं कि इसके लिए भी राजस्थान सरकार का और आदरणीया वसुंधरा जी का धन्यवाद देना चाहिये। क्योंकि बच्चे भी तुरन्त वाहन लेना पसंद करते हैं, थोड़ा-सा तैयार हुआ, वाहन लेकर

(श्री मदन राठौड़)

थोड़ा-बहुत स्टीरिंग पकड़ लिया तो वह ड्राइवर बन जाता है, ऐसा वे मान बैठे हैं। यह ठीक बात नहीं है। बच्चों के पाठ्यक्रम में यह जोड़ दिया है कि बच्चे कैसे वाहन चलायेंगे, चाहे टू-व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। उसके लिए भी पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं कि इसकी भी सराहना आम जन कर रहा है और हम सब भी करेंगे।

हवाई परिवहन। आज राजस्थान में सोचें तो अलग-अलग, जैसे उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, इन क्षेत्रों में आने-जाने के लिए हवाई सुविधा नहीं है, कई स्थानों पर एयर-ट्रैक बने हुए हैं, उन ट्रैक्स को ठीक करेंगे। हवाई पट्टियों के सुधार के लिए राजस्थान सरकार ने 30 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है ताकि हवाई पट्टियां सुधर सकें, और निजी वायुयान को भी आमंत्रित करने का प्रयास किया है। वायु यान ईंधन पर पहले 20 प्रतिशत टैक्स था, उसको घटा कर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है। मैं सोचता हूं कि इससे कई निजी कम्पनियां राजस्थान में आकर अपना निवेश करेंगी।

पेयजल के लिए यदि हम सोचें, सभापति महोदय, राजस्थान में 1,21,133 गांव-ढाणियां हैं, उनमें से अभी तक केवल 70,171 गांव-ढाणियों को ही पेयजल सुलभ है, शेष ढाणियों को पेयजल उपलब्ध नहीं है। कोई हैंडपम्प के भरोसे है, कोई निजी सोर्सेज के माध्यम से है, या फ्लोराइड-युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उनको भी अब लाभान्वित करने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। 67 लम्बित पेयजल योजनाओं में से 12 योजनाएं 2014-15 में पूर्ण की जायेंगी। उसके लिए 289 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने की घोषणा इस बजट में की गई है। 12 योजनाओं को 2015-16 में 494 करोड़ से हम पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, एस एल एस एस सी के माध्यम से अन्य कई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसका केन्द्र सरकार से हमको सीधा पैसा मिल सकता है। इसके लिए भी राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से हमें इससे भी लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, पेयजल के लिए अभी मैंने भी एक विषय रखा था कि पी एच ई डी आत्मनिर्भर कैसे बन सकें, इसकी चिंता करने की जरूरत है। अभी जलदाय विभाग जो सिंचाई के सोर्सेज हैं उन्हीं पर योजनाएं बना रहा है। यह ठीक बात नहीं है, आगे जाकर इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि किसान उम्मीद लगाकर बैठा है कि हमको सिंचाई का पानी मिलेगा, लेकिन

(श्री मदन राठौड़)

जलदाय विभाग उसमें से पानी लेकर के, पहली प्राथमिकता पेयजल होती है, इसको आधार बनाकर पेयजल के लिए उसमें से पानी ले लेता है। धीरे-धीरे यह स्थिति बनेगी, किसान यह प्रयास करेगा कि हमको पानी मिले। यह संघर्ष की स्थिति बनेगी। इसको टालने के लिए जलदाय विभाग को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, आपको पता होगा कि गुजरात से हम पानी मांगते हैं। नर्मदा नहर के माध्यम से राजस्थान सरकार को वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने भी कहा था कि आप पानी ले जाइए, लेकिन पूर्व की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। जब 2003 से 2008 में आदरणीया वसुंधरा जी मुख्य मंत्री बनीं, तब उन्होंनें नर्मदा नहर के लिए पैसा लगाया, नर्मदा नहर बनी और सांचौर तक वह पानी पहुंच सका। इस प्रकार का जो प्रयास किया, यह हमारी सरकार ने ही किया, कांग्रेस ने इसके बाद कुछ भी नहीं किया। आज वहां क्या स्थिति है, सिलू पाइंट पर जाकर देखें तो वहां पर पानी अभिशाप बन गया। क्यों अभिशाप बन गया, क्योंकि कांग्रेस ने पांच वर्षों तक वहां जो पानी आ रहा है, उस पानी का कैसे उपयोग होना चाहिए, जो योजनाएं हमने बनायी थीं, उन योजनाओं पर एक धेले का भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। इस कारण से वह पानी अनुपयोगी पड़ा है। तो मैं सोचता हूं कि अभी राजस्थान सरकार इसके लिए काम कर रही है, यह बहुत अच्छा काम है और इसके लिए इनकी सराहना की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, उस सिन्दरू से, पानी सिलू पाइंट से सिन्दरू बांध तक लाने का जो एक प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, मैं सोचता हूं कि यह भी लाभ की बात है। जिससे सिरोही जिला भी लाभान्वित होगा, पाली जिला भी होगा और जालौर का भी कुछ भाग इससे लाभान्वित हो सकेगा। इस प्रकार का प्रयास भी, निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

आज फ्लोराइडयुक्त और खारा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो इसके सुधार के लिए हमारी सरकार ने दो हजार आर.ओ. प्लांट्स लगाने की घोषणा की है, 2015-16 में। अभी 2014-15 में भी कुछ लगाये थे, आर.ओ. प्लांट्स लगे हैं, मेरे क्षेत्र में भी लगे हैं। पाली जिले में और अन्य कई क्षेत्रों में आर.आ. प्लांट्स लगे हैं, जिससे पानी शुद्ध होगा। वह पानी आम जन को पीने के लिए,

(श्री मदन राठौड़)

बाकी नहाने-धाने के लिए तो दूसरा पानी काम आ जाएगा लेकिन पीने के लिए तो शुद्ध पानी उनको मिल सके, इस प्रकार के आर.ओ. प्लांट्स लगाने की घोषणा की है। दो हजार आर.ओ. प्लांट्स अब लगेंगे, यह बहुत खुशी की बात है।

माननीय सभापति महोदय, 2007 में, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे तखतगढ़ में अभी भी नगरपालिका के जिम्मे पानी की, पेयजल की व्यवस्था है। पेयजल नगरपालिका को ही सम्भालना पड़ रहा है, जबकि हमारी सरकार जब थी, 2003 से 2008 में, तब राज्य सरकार ने जलदाय विभाग को देने की घोषणा कर दी थी। बाद में जब कांग्रेस सरकार आयी तो उन्होंने इस पर अमल नहीं किया; यानी, यह योजना नहीं बनी। आज हालत यह है कि जवाई बांध का पानी तखतखगढ़ के तालाब में डाल रहे हैं और तखतगढ़ के तालाब में डालने से वहां के कुएं रिचार्ज हो रहे हैं और फिर उन कुओं से पानी निकालकर जनता को पीना पड़ रहा है। यह कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है। कितनी चिंता की बात है। हम शुद्ध पानी, जवाई बांध का जो रेन वाटर है, उसको तालाब में डाल रहे हैं और वहां का जमीन में से फ्लोराइड मिक्स होकर कुओं में आ रहा है और उस कुएं से वहां की तखतगढ़ की पेयजल व्यवस्था चलाई जा रही है। कैसे दुर्भाग्य की बात है।

अभी राजस्थान की सरकार आयी और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को, उन्होंने साण्डेराव में फिल्टर प्लांट की घोषणा की। फिल्टर प्लांट बन रहा है, फिल्टर प्लांट आधा बन चुका है और पाइप लाइन लग चुकी है। अब इससे तखतगढ़ को शुद्ध पानी, फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था पिछले टेन्योर में, पिछले टेन्योर क्या, अभी 2014-15 में यह राजस्थान की सरकार ने किया और वह काम प्रगति पर है। ठीक इसी प्रकार से जवाई डैम के पास में भी फिल्टर प्लांट बन रहा है। इससे हमारे लगभग 200 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार का यह प्रयास चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, कोसेलाव, यह एक गांव है हमारे इलाके में, वहां पर भी शुद्ध पानी हमने पिला दिया अभी वर्ष 2014-15 में।

अब एक समस्या बहुत बड़ी है, मैं सोचता हूं, यहां पर आदरणीय गुलाबजी भाई साहब भी विराजमान हैं और आप सब भी इसको समझेंगे कि

(श्री मदन राठौड़)

अभी किसी भी गांव में अपन जाएं तो वहां पर कीचड़ मिलता है, पानी फैला हुआ मिलता है। अब अपन यह सोचें कि बार-बार अपन योजना बनाते हैं, नालियां भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन वह पानी सड़क पर फैलता है। यदि इस पानी को हम वहां कहीं भी बोरिंग करके जमीन में डाल दें, कहीं पर भी जगह मिले, यह विचार कर सकते हैं इस विषय पर कि जहां कहीं भी, शहरों में भी जो नालियों का निर्माण हुआ है, उसके स्लोप सही नहीं हैं। जब स्लोप सही नहीं हैं तो नालियों में पानी भरा पड़ा रहता है। यदि बीच में कहीं पर ऐसी जगह मिल जाए कि वहां पर बोरिंग कर दें, दो-ढाई सौ फीट का गहरा बोर करके उस पानी को नीचे डाल दें जमीन के अन्दर और ऊपर आर.सी.सी. कर दें और साइड में जालियां लगा दें ताकि गंदगी उसके अन्दर नहीं जा सके, केवल पानी-पानी ही उसमें जा सकें और उसकी यदि सफाई हो सकें, तो मैं सोचता हूं कि भू-गर्भ में यह रिचार्ज होगा, यह बढ़ेगा। इस पर चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार का यदि प्रयास किया जाए, गांवों में भी इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। यानी, बोरिंग करके या वेल करके, जैसे अपन गटर बनाते हैं, अभी जो शौचालय का निर्माण हो रहा है, उसमें वहां जो गटर बनाते हैं, तो वह जमीन मं ही तो जा रहा है? ठीक इसी प्रकार से, इस पानी को भी यदि जमीदोज किया जा सके तो मैं सोचता हूं कि यह कीचड़ गांव-गांव में देखने को नहीं मिलेगा और यह पानी जमीन में जाएगा तो जल स्तर भी जमीन का, भू-गर्भ का ऊंचा आयेगा। यह पानी का जो अपन वेस्टेज मानते हैं, मैं सोचता हूं कि यह वेस्टेज कैसे है? आप यदि इसका सही उपयोग करेंगे तो उपयोग हो जाएगा, यदि उसको जमीन में डालेंगे तो कुएं रिचार्ज होगे। तो निश्चित रूप से हमारे हैडपम्प्स और इतना जो पैसा सरकार ने लगा रखा है, यह भी उपयोगी हो सकता है, ज्यादा इसका भी नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार का प्रयास यह निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। एक यह सुझाव मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवेल, जो बोरवेल कर रहे हैं, अब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती है। बिजली वहां पर पहुंचायी ही नहीं जा सकती। तो यह सोच पहले किसी के दिमाग में नहीं आयी। यह आदरणीया वसुन्धरा जी के दिमाग में आयी कि हम ऐसा तो कर ही सकते हैं। क्योंकि, जहां पर, कहीं पर भी, ऐसे इलाके में जहां नजदीक में बिजली नहीं है, वहां से बिजली वहां पर पहुंचा पाना सम्भव

(श्री मदन राठौड़)

नहीं है, तो वहां पर ऐसे सोलर एनर्जी के यह लगा दें, ऐसे पम्प्स लगादें जिससे वहां का पानी जनता के लिए निकाला जा सके और उपयोग में लाया जा सके।

अब जनता जल योजना के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि हमारी सरकार ने अभी 139 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान रखा है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह मैं सोचता हूं कि यह पैसा भी ले लेंगे, सुधार तो इससे निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से सुधार होने वाला है लेकिन यह जनता जल योजना इसलिए स्वीकृत कर दी गयी थी कि लोग घरों में कनेक्शन करवाना चाहते थे। तो वहां पर उस गांव की आबादी इतनी नहीं थी कि उन घरों में कनेक्शन की योजना बनाई जा सके। क्योंकि आबादी आधारित योजनाएं बनती हैं, चार हजार की आबादी हो, ढाई-तीन हजार की आबादी हो तो वहां पर इस प्रकार के घरेलू कनेक्शंस दिये जा सकते हैं। वहां की जनता ने सोचा कि हम जनता जल योजना के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे, हम अपना टैंक बना लेंगे, घरेलू पाइप, कनेक्शंस हम ले लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने उत्साहित होकर जनता जल योजना में जाना स्वीकार कर लिया लेकिन अब वह उनसे सम्भल नहीं रही है। अब वे सम्भाल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसी जानकारी है कि कई गांवों में, ग्राम पंचायतों में डेढ़-डेढ़, दो-दो वर्ष के बिजली के बिल का भुगतान उन्होंने नहीं किया है, यह पेमेंट नहीं किया है। अब यह लोड एक साथ बढ रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार को और इतना पैसा स्वीकृत करना पड़ रहा है ताकि वह व्यवस्था भी सुधार सके। यदि अपन विचार कर सकें, यह जनता जल योजना अब सरकार अपने हाथ में ले सके तो निश्चित रूप से वहां की व्यवस्था संभल सकेगी। इसके लिए हमको कई और इंजीनियर्स की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी क्योंकि उन पंचायतों के पास में इंजीनियर्स नहीं हैं। पंचायतों के पास में मिस्त्री भी पूरे नहीं हैं। तो यह व्यवस्था उनसे सम्भल नहीं पाएगी। जलदाय विभाग के पास में यह व्यवस्था है, वे सम्भाल सकेंगे।

हैण्डपम्प के रख-रखाव के लिए दस करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। आज यह भी मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है।

डिग्गी और टंकी की सफाई के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मैं, पिछली बार एक कमेटी, एस्टिमेट कमेटी 'ए' का मैं सभापति था, तो हम दिल्ली गये थे। दिल्ली में हमने देखा, यानी शुरुआत की बात है, वहां की

(श्री मदन राठौड़)

टंकी, जो राजस्थान हाउस की टंकी है, उसकी भी सफाई समय पर नहीं हुई थी। उसके अन्दर भी काई जमा थी। यह हमने वहां इंजीनियर को ऊपर भेजकर दिखवाया। यानी, केवल तारीख लगा देते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। उसका रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 90 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है कि डिग्गी और टंकी की सफाई भी समय पर हो जाएं और उनकी पाइप लाइन व्यवस्था भी सुव्यस्थित हो जाएं। इसके लिए भी प्रयास किया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, अभी लोस की बात मैंने कही कि 77 हजार करोड़ रुपया, यह इन्होंने कर्जा और बढ़ा दिया। उसके लिए नोर्थ-ईस्ट के, जैसे अपन सोचें कि यह कर्जा कितना है, तो उत्तर-पूर्व के जो सात-आठ प्रांत हैं उनके कुल बजट से भी अधिक है। अतमना कर्जा इन्होंने चढ़ा दिया। तो इसके लिए अब एफ.आर.पी., फाइनेंशियल रि-स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत यह वापस सुधारने का अब हम काम करेंगे।

2012-13 में इन्होंने जो एम.ओ.यू. किया, कांग्रेस ने, अब यह भी समझ में नहीं आया, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने केवल तीन वर्ष के लिए क्यों किया था। 2012 में किया इन्होंने एम.ओ.यू., जिस पर इनके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं। जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे सलाउद्दीन अहमद साहब, उनके हस्ताक्षर हैं, तो उन्होंने तीन वर्ष के लिए ही क्यों किया? इसका एक मात्र कारण है कि इनको लगता था कि हम तो केवल तीन वर्ष और रहेंगे। क्योंकि फिर से इनको सत्ता में आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन्होंने केवल तीन वर्ष के लिए ही एग्रीमेंट किया है। वह एग्रीमेंट भी बैंकों के साथ में कैसा किया, मतलब, कि हम प्रति वर्ष बिजली की दरें बढ़ायेंगे। बिजली की दरें प्रति वर्ष बढ़ाने की बात इन्होंने कही, लेकिन बढ़ाई तो नहीं। बढ़ाई नहीं और वह बोझ हम पर लाद दिया। आज हमसे पूछ रहे हैं कि आपने दरें क्यों बढ़ायीं? अब दरें इसलिए बढ़ायीं कि एग्रीमेंट आप करके गये थे। एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया बैंकों से कर्जा लेने के लिए, वे बैंक तैयार नहीं थे क्योंकि इनकी स्थिति बडी दयनीय हो गयी थी, खराब हो गयी थी, डिस्काम सारे समाप्त होने की स्थिति में, फेल होने की स्थिति में आ गये थे, ऋण और देना सम्भव नहीं था, तो इन्होंने इस प्रकार का एग्रीमेंट किया कि हम टैरिफ बढ़ायेंगे।

(श्री मदन राठौड़)

यही नहीं, सभापति महोदय, अभी हमको यह सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट बिल हम इसी सत्र में और सदन में लाएंगे। तो निश्चित रूप से उससे वितरण व्यवस्था सुधरेगी, छीजत कम करने का प्रयास होगा और इसमें चोरी कैसे रोकी जा सके, इसके लिए भी सकारात्मक प्रयास होंगे। तब जाकर यहां की यह स्थिति सुधरेगी।

अभी राजस्थान सरकार ने फागी व अंता में जी.एस.एस. की स्थापना करने की घोषणा की है; 765 के.वी. प्रसारण तंत्र की स्थापना करेंगे, यह घोषणा की है। चित्तौड़ में 400 के.वी.ए. का एक ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे भी उस इलाके में नागरिकों को लाभ मिलेगा। 220 के.वी.ए. के 6 और 132 के.वी.ए. के 16 ग्रिड सब-स्टेशन और ये तैयार करेंगे, इस प्रकार की घोषणा भी राजस्थान सरकार ने की है। 400 के.वी.ए. का उदयपुर में और जोधपुर से उदयपुर तक 400 के.वी.ए. की नई लाइन बिछेगी, यह घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। मैं सोचता हूं कि यह भी एक सराहनीय काम है और इसके लिए भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिये। 2015-16 में 33 के.वी.ए. के 200 नये सब-स्टेशन स्थापित करेंगे, यह घोषणा की है। अभी 2014-15 में तो मैं बताऊं, मेरे इलाके में भी हमने अभी 33 के.वी.ए. के 3 नये सब-स्टेशन स्वीकृत भी करवा दिये, उनका निर्माण भी हो गया और चालू भी करवा दिये। केवल एक चालू होना बाकी है, वह भी जल्दी हो जायेगा। इस प्रकार का प्रयास राजस्थान सरकार ने किया है। अब पुराने बाकी हैं।

कृषि कनेक्शंस 34 हजार हम इस टेन्योर में जारी करेंगे, इस प्रकार की घोषणा इस बजट में की गयी है और 40 हजार नये और जारी करेंगे। यह तो सराहनीय काम है। इसकी सराहना सभी जगह हो रही है।

आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यह केन्द्र सरकार ने अभी घोषणा की थी और केन्द्र के ऊर्जा मंत्री भी राजस्थान में आये थे और उन्होंने भी कहा कि हम सुदूर ढाणी में भी कैसे बिजली उपलब्ध करवा सकते हैं, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से उसी आधार पर राजस्थान की सरकार भी कर रही है और उसमें 816

(श्री मदन राठौड़)

करोड़ से 5 लाख 40 हजार विद्युत कनेक्शन और जारी करने की योजना राजस्थान सरकार की है।

जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्काम में सेंट्रलाइज्ड काल सेंटर स्थापित करेंगे जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनकर उनका समाधान कैसे किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की है। यही नहीं, बिजली की खपत कैसे कम हो, इसके लिए एल ई डी और इसके लिए माडल याजेना प्रारम्भ करने की घोषणा की है। इस प्रकार के कई नगरों में और एल ई डी वितरित करवाने का और उसका सस्ता करने का, इस प्रकार का प्रयास राजस्थान सरकार ने किया है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा नीति 2014 जारी की है। उसका प्रभाव यह है कि 14 हजार मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी कई एम ओ यू राजस्थान सरकार के साथ में साइन हुए हैं। सन एडिशन सोलर पावर, एन जी आर पावर और अन्य के साथ में एम ओ यू साइन किया है। जो 26 हजार मेगावाट के सोलर पार्क हेतु अडाणी एंटरप्राइजेज, रिलायंस पावर, आई एल एण्ड एफ एस लिमिटेड, एस एल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ जोइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है, एम ओ यू साइन हुआ है, यह निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा जब यह स्थिति बनेगी। अभी आपको पता होगा, इसके लिए, यानी अभी राजस्थान सरकार का जो पहला बजट था, जिसमें 1 लाख 10 हजार करोड़ का था, और लगभग इतने करोड़ का यह एम ओ यू एक दिन में साइन हो गया, अभी हो गया। कितनी प्रशंसा करनी चाहिए इनकी और सर्वत्र जनता तो प्रशंसा कर रही है, यह कांग्रेसियों के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वे यहां सदन में भी मौजूद नहीं हैं। यह अब बोलें तो किस मुंह से? क्योंकि जब कभी मैं कई बार इनके साथ में चैनल में भी गया तो इनकी घिग्गी बंध जाती है, ये बोलने की स्थिति में रहते नहीं हैं। यह स्थिति इनकी है और इसलिए सदन में भी ये क्या बोलेंगे? इसलिए ये यहां से गायब हैं।

सभापति महोदय, पयर्टन के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अभी राजस्थान सरकार ने 244 करोड़ 46 लाख का प्रावधान किया है। यह बहुत जोरदार बात है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह घोषणा कितनी, पहले जो घोषणा हुई, उससे 68 प्रतिशत अधिक है। यानी, पहले की जो

(श्री मदन राठौड़)

घोषणाएं हुईं, उससे 68 परसेंट अधिक राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। इसके पर्यटन के लिए कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए पर्यटकों को सूचना इसकी मिल जाए कि कौन-कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कहां-कहां पर राजस्थान में ऐसे-ऐसे संग्रहालय हैं, कहां पर इस प्रकार के लेपर्ड कंजर्वेशंस हैं, तो उसके लिए भी प्रचार-प्रसार के लिए 38 करोड़ की व्यवस्था की है। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट, इसके रूप में प्रोजेक्ट, यह तैयार करने की व्यवस्था की है और पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए 38 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

अब मेरे जवाई बांध को विकसित करने के लिए इन्होंने पहले भी घोषणा की थी, उसमें भी कुछ थोड़ा-बहुत काम हुआ और इस बार भी, वहां पर भी होगा। अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा, बाकी जगह का भी कई लोगों को पता है, मेरे वहां पर बाहर से कई लोग आते हैं; यह कांग्रेस की जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी वहां आई थीं। वे भी वहां आकर एक निजी होटल में ठहरी थीं। वे भी चीता-शेर देखने के लिए दो दिन वहां पर रुकी थीं। तो कई लोग वाहं आकर्षित हो रहे हैं, कई विदेशी पर्यटकी वहां आ रहे हैं और वे भी वहां आकर्षित हो रहे हैं। और वहां पर होटल्स का निर्माण हो रहा है। इतनी होटलें बन रही हैं। यानी, आप कल्पना करें कि टैक्सी वाले को भी लाभ मिलेगा, होटल वालों को भी रोजगार मिलेगा। वहां पर सफारी विकसित की जाएगी। कई लोगों ने अपनी-अपनी सफारी वहां विकसित की है। तो वे वहां बिठाकर और टाइगर्स को दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। कई ऐसे गाइड्स हैं, मैं सोचता हूं कि एक यह भी थोड़ा सोचना कि जो गाइड हैं, वे भी लाइसेंस्ड हों तो ज्यादा ठीक रहेगा। उनको कि हम देखें, नहीं तो कई ऐसे सुओमोटू खुद ही गाइड बन गये और वे ले जाकर वहां टाइगर्स दिखाने का काम कर रहे हैं। वहां पर मचान बनाकर और इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। थोड़ा इस पर और सुधार करने की जरूरत है।

अब आप, सभापति महोदय, यह भी देखें कि संग्रहालयों के लिए किसने चिन्ता की पहले? पहले किसी ने चिन्ता की ही नहीं थी। संग्रहालयों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने 20 करोड़ रुपयों की यह घोषणा की है कि संग्रहालयों को विकसित किया जायेगा।

(श्री मदन राठौड़)

देवस्थान के लिए भी 20 करोड़। अभी सभापति महोदय भी बैठे थे, हम सोमनाथ मंदिर में गये थे तो वहां पर भी लोगों ने मांग की कि इसके लिए भी कुछ घोषणाएं करवाओ। यानी देवस्थान के लिए विभाग के पास में जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस बार हमारी सरकार ने यह किया है, वहां पर एप्रोच रोड्स के लिए, एप्रोच रोड्स नहीं हैं। कई ऐसे अच्छे-अच्छे और दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन रास्ते सुगम नहीं हैं तो वहां पर पर्यटक जा नहीं सकते। उन रास्तों को ठीक करने के लिए भी, वहां रैम्प बनाने के लिए, इस प्रकार की घोषणा की है।

जयसमन्द झील, शेखावाटी की हवेलियां, भरतपुर, अजमेर के हेरिटेज, जैसलमेर का सोनार किला, इनको भी विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। यह भी मैं सोचता हूं कि सराहनीय कदम है।

वन के बारे में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप थोड़ा सीमित करें। आपको बराबर 43 मिनट हो गये हैं, थोड़ा सीमित करें अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ठीक, साहब, आपका आदेश मानेंगे।

उदयपुर में एक बायोलोजिकल पार्क का काम भी प्रगति पर है, बीकानेर में बन रहा है। नेचर पार्क चूरू में भी बन रहा है, मंत्रीजी के यहां पर। वहां पर भी अभी सात करोड़ रुपया अतिरिक्त देने की जो घोषणा की है, मैं सोचता हूं कि यह भी बहुत अच्छी बात है।

जयपुर, पुष्कर में हर्बल गार्डन, झालावाड में स्मृति वन, इस प्रकार की जो घोषणा की है, वे भी निश्चित रूप से लाभकारी होंगी।

पायलट बेसिस पर वन धन योजना, यह भी की है। अब यह क्या है, यह वह है, जैसे कि लियोपार्ड कंजर्वेशन के लिए ऐसा रिजर्व कर दिया, तो वहां पर नागरिक क्या करेगा? नागरिक लकड़ी कहां से लाता है? तो उसके लिए हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि 2,000 गैस कनेक्शंस जारी करेंगे, उनको गैस कनेक्शंस देंगे ताकि वे अपना खाना उससे बना सकें। मैं सोचता हूं कि उनके लिए वरदान साबित होगा।

इसी प्रकार से, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014, यह भी लाने की जो घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से उद्योगों को राहत मिलेगी। लोग राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए आने को तैयार हैं लेकिन

(श्री मदन राठौड़)

भूमि उपलब्ध नहीं थी, तो लैंड बैंक बनाने की घोषणा की है। लैंड बैंक बनेगा तो कोई भी उद्यमी आयेगा, उसको भूमि उपलब्ध हो जायेगी, जहां वह अपना उद्योग स्थापित कर सकेगा। इसके लिए सैंक्शंस हैं, वे भी आनलाइन करने की घोषणा की है, मैं सोचता हूं कि इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। इस प्रकार से नये उद्यमी भी आकर्षित होंगे।

अब कई स्थानों पर जिला उद्योग केन्द्र भी कम्प्यूटराइज्ड नहीं हैं तो उनको भी कम्प्यूटराइज करने के लिए तीन करोड़ रुपया, यह घोषणा की है, उद्योगों को और मजबूत करने के लिए।

मैं आपको बताऊं, पाली के लिए, सभापति महोदय, सी ई टी पी प्लांट्स को और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर लाने के लिए, इसके लिए जो भी सहायता देने की घोषण की है, यह बहुत सराहनीय कदम है।

खाद्य प्रसंस्करण मिशन लागू किया। सभापति महोदय, इसमें देखिये कि जो सब्जियां आती हैं, या फल आते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोटिंग होती है कि वह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसकी जांच कैसे की जा सकती है, इसके लिए 15 करोड़ रुपया, सब्जियों की जांच कैसे हो सके, ऐसे जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

सभापति महोदय, हमने यह भी घोषणा की है, प्रत्येक सम्भाग में इंजीनियरिंग और एम.बी.ए. महाविद्यालय में युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, उद्यमियों को प्रशिक्षण, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की है और इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है। मैं सोचता हूं कि यह भी सराहनीय है।

प्रिंटिंग के क्षेत्र में थ्री-डी प्रिंटिंग, यह एक नयी चीज होगी, जो रोबोटिक्स लैब की स्थापना है, उसके लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान रखा है।

सभापति महोदय, आप आगे आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं।

मैं खान की बात करूं। अभी केन्द्र सरकार ने 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान घोषित किया। यह मैं सोचता हूं कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। इससे राज्य के 98 परसेंट खनन पट्टे, क्वारी लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं। तो निश्चित रूप से खान उद्योग को भी लाभ मिलेगा।

(श्री मदन राठौड़)

यही नहीं, अभी जैसे मार्बल पाउडर है, उसको टैक्स फ्री किया। यह कितनी अच्छी बात है। इससे निश्चित रूप से पाल्यूशन कंट्रोल भी होगा और उन उद्यमियों को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

कृषि के मामले में, मैं आपसे बताऊं, थोडा-सा कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, 1,410 ग्राम पंचायतें और 59 पंचायत समितियों में कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करेंगे। इस प्रकार की योजना राजस्थान सरकार ने की है और इसके लिए 5 करोड़ 22 लाख का प्रावधान रखा है। किसान को कई बार यूरिया के लिए या डी.ए.पी. के लिए भटकना पड़ता था, परेशानी होती थी और कई बार संघर्ष की स्थिति बनती थी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने पहले से ही, कि पूर्वानुमान लगा दो, अधिकारियों को सावधान कर दिया कि आप पहले से बता दीजिए कि आपको कितना यूरिया चाहिए, कितना डी.ए.पी. चाहिए। इसके लिए तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया और एक लाख मैट्रिक टन डी.ए.पी. का अग्रिम भण्डारण करने की जो घोषणा की है, मैं सोचता हूं कि यह किसान के लिए लाभकारी है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। इसके लिए 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, इसका प्रावधान रखा है।

उत्कृष्ट किसान को प्रोत्साहन, यानी, किसान अच्छी फसल पैदा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए और वह किसान औरों को भी लाभान्वित करे, इस प्रकार का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं कि इसको एक्सपोजर मिलना चाहिए और यह भी बहुत अच्छी बात है। जैविक खाद का ज्यादा उपयोग कैसे हो सकता है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी यह प्रयास किया है।

सभापति महोदय, पहले कई किसानों को विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाता था तो वे विदेश में घूम-घाम कर आ जाते थे, मौज-शौक कर के आ जाते थे। वापस लौट कर के जनता को प्रेरित करने का प्रयास नहीं करते थे। तो अब यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई किसान बाहर जाए, घूम कर के आये, वहां से जो कुछ भी सीख कर के आये, वह यहां आकर के और किसानों को लाभान्वित करे, प्रेरित करे, तभी जाकर के इनकी यात्रा सार्थक होगी। इस प्रकार का प्रयास किया है।

किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली उपलब्ध करवाने की जो घोषण की है, मैं सोचता हूं कि यह बहुत लाभकारी है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा

(श्री मदन राठौड़)

होगी। यह जब किसान को पता चलेगा तो वह वसुन्धरा जी की निश्चित रूप से पूजा करेगा। डिस्काम्स को 2015-16 में ही 6,116 करोड़ 58 लाख की टैरिफ सब्सिडी, यह देने की जो घोषणा की है, यह बहुत सराहनीय कदम है और मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, शून्य ब्याज पर जो ऋण देने की बात कही है और इस पर 17,500 करोड़ रुपया, किसानों को शून्य ब्याज पर कर्जा मिलेगा और इसके लिए को-आपरेटिव बैंक्स को 370 करोड़ रुपया जो अनुदान देने की घोषणा की है, मैं सोचता हूं कि यह सराहनीय कदम है। बैंक को ब्याज का जो अनुदान, उस पर 150 करोड़ रुपया देने की बात की है। दीर्घकालीन ऋण के लिए लैंड डवलपमेंट बैंक के माध्यम से 30 करोड़ का प्रावधान रखा है।

100 नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्माण करने की घोषणा की है। इससे कोआपरेटिव सेक्टर को भी लाभ मिलेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा।

गोडाउन के निर्माण के लिए दस-दस लाख रुपया प्रत्येक जी.एस.एस. को देने की जो घोषणा की है, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। पहले के जो गोदाम थे, उनकी स्थिति जर्जर है। उनका फिर से किस प्रकार से पुनर्निर्माण किया जा सके, उनकी वाइट-वाशिंग कैसे की जा सके, इसके लिए भी प्रयास किया गया है।

सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहूंगा, जल संसाधन के क्षेत्र में आपका पता है कि पहले सेई बांध जो जवाई बांध से ऊपर था...

श्री सभापति : नहीं, आपके क्षेत्र की कोई बात है तो वह भी आप रख दो क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ठीक है।

तो जो पहले सेई बांध का पानी बह कर गुजरात जाता था, गुजरात सरकार ने वहां एक टावर लगा रखा था जो गुजरात सरकार को यह सूचना देता था कि इतना पानी निकलकर आ रहा है, कई गांव खाली कराओ। तो गुजरात के लिए तो वह पानी अभिशाप था, उनको गांव खाली करवाने पड़ रहे थे। वह हमारे लिए वरदार साबित हो सकता था। तो जब 2003-08 टेन्योर था, हमारी वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, तब हमने उनसे निवेदन किया था, तो सेई बांध को उन्होंने अपग्रेड कराया और वहां की जो 6.77 किलोमीटर टनल

(श्री मदन राठौड़)

थी, जिसमें कचरा फंसा हुआ था, उसमें सफाई करवाकर के वह पानी जवाई बांध में लाये। यही पानी आज पूरे पाली जिले की जनता को पीने के लिए मिल रहा है।

कई पंचायतों को भी तालाब विकसित करने के लिए, प्रत्येक तालाब को एक-एक करोड़, यानी, 35 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत किया है।

53 सिंचाई योजनाएं, फोर वाटर कंसेप्ट।

आप पशुपालन के क्षेत्र में भी देखें, मैं आपसे बताऊं, पशुपालन के लिए जयपुर शहर के अन्दर जो पशु चिकित्सालय है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आपकी अपनी कोई रखनी हो न तो वह रख दो। बाकी लगभग-लगभग सारी बातें....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : हां, मैं अपनी बात ही कह देता हूं। मैं मेरे सुमेरपुर की बात कहकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : हां।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, जैसे जयपुर में पांच बत्ती पर एक पशु चिकित्सालय है, वहां पर घायल पशु तो आ ही नहीं सकता। स्वस्थ आदमी भी ढंग से नहीं जा सकता, तो स्वस्थ पशु या घायल पशु भी वहां नहीं पहुंच सकता है। वसुन्धरा जी ने जो घोषणा की है कि हम इसको बाहर स्थानान्तरित करेंगे, वहां पर बहुत अच्छा पशु चिकित्सालय बन सकेगा और इस भूमि का और दूसरा उपयोग करेंगे।

ठीक इसी प्रकार से, मेरे सुमेरपुर में भी है कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में पशु चिकित्सालय है। वहां पर कोई मोटरसाइकिल भी नहीं पहुंच सकती। इतनी भीड़ रहती है कि वहां पर पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैं यह चाहूंगा, अभी मंत्री जी कहीं इधर-उधर हैं, तो मैं उनसे भी यह मांग करूंगा, उस पशु चिकित्सालय को भी हम बाहर स्थानान्तरित करना चाहते हैं। नगर पालिका उस भूमि को विकसित कर के और बाहर इनकी इच्छा के अनुरूप, इनके नोर्म्स के अनुरूप हम अस्पताल बनाकर के दे देंगे ताकि वहां पर घायल पशु का इलाज हो सके, बीमार पशु का इलाज हो सके और उस भूमि का उपयोग नगरपालिका मल्टीमार्ट बनाने के लिए उपयोग में ले सकेगी। इस प्रकार की मैं यह मांग करूंगा।

(श्री मदन राठौड़)

एक बात लास्ट में कहूं, जो कैमल मिल्क है, वह अभी आम आदमी को पता नहीं है कि ऊंटनी के दूध का क्या उपयोग हो सकता है। यह बहुत गुणकारी है। कई लोग इसमें जानते हैं। अभी पशुपालन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं लेकिन उनको पता है कि ऊंटनी का दूध कई बीमारियों का सफल इलाज है। इस पर रिसर्च करके, इसका सही उपयोग आम नागरिक किस प्रकार से कर सके, इसके लिए भी 20 करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : **श्री रामचन्द्र** जी सुनारीवाल।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट पर आपने मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने चैत्र माह की तृतीया, संवत 2071, 9 मार्च, 2015 को यह बजट पेश किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अपनी विरासत और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है। राजस्थान राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान प्रत्येक मामले में, चाहे वह शौर्य के मामले में हो, चाहे धैर्य के मामले में हो, विश्व में जाना जाता था। देश आजाद होने के बाद, पिछले कुछ सालों से, जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू हुई, सतत् कांग्रेस की सरकारें इस देश पर राज करती रहीं। 67 साल के इस आजाद भारत में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक विकास का जो पहलू है, वह बहुत कमजोर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कई सारी केन्द्र की योजनाएं हैं और विभिन्न प्रकार की लोक-लुभावनी योजनाएं सरकारें देती रही हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब यह बजट पेश किया था तो उनको करीब 3 लाख करोड़ का घाटा विरासत में मिला। 77 हजार करोड़ के वित्तीय घाटे को लिए हुए यहां की बिजली कम्पनियां ही हैं। आप देखिए, पिछले एक साल के अन्दर पूरे राजस्थान में घरेलू एवं किसानों को बिजली की आपूर्ति सुचारु रूप से की। मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को

(श्री रामचन्द्र)

कि उन्होंने अपने दूरगामी और सालिड विजन के साथ इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, सभी को याद है कि 2003-08 की सरकार में माननीया सदन की नेता ने इस राजस्थान को चरमोत्कर्ष पर लाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि यह तो राजस्थान का दुर्भाग्य था कि पिछले 5 साल की सरकार ने जिस प्रकार इस प्रदेश को गर्त में धकेला है, यह प्रदेश के लिए हमेशा अंकुश रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी जब कल बजट पेश कर रही थीं तो वे सतत 155 मिनट बोलीं, बिना पानी पिये और उनका जो ओज था उस वाणी में, उनके प्रवाह में कहीं कमी नहीं आई। ऐसा जो उनके अन्दर एक शक्ति का स्वामित्व है, ईश्वर की कृपा से, मैं उसको भी नमन करता हूं। बजट पेश करने के बाद कई लोग आपस में जब चर्चाएं करने लगे तो मैं देख रहा था कि इस बार जो जिलेवार बजट दिया, तो सदन में जिस प्रकार से एक कौतूहल-सा होता है, हर व्यक्ति अपनी-अपनी टेबल को जैसे -जैसे जिले का नम्बर आ रहा था, वैसे बजा रहा था।

प्रधान मंत्रीजी ने भी एक दिन कहा था कि मैं बड़े-बड़े काम करके छोटे काम नहीं करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी यह साबित किया है कि मैं छोटे-छोटे काम से बड़े काम करना चाहती हूं। यह छोटे-छोटे काम, जिनसे बडे काम होते हैं, लोग बड़े-बड़े काम से छोटे काम कर जाते हैं लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी की धारणा है कि मैं छोटे-छोटे काम से बड़े काम करना चाहती हूं।

इस बार बजट में, जैसा कि उनके नाम के अनुरूप, उनका पर्याय है विकास, वे अभिप्राय बनने वाली हैं विकास की और उनका विजन भी विकास है। राजस्थान सशक्त हो, सम्पन्न हो, यहां के हर आम-ए-खास के अन्दर समृद्धि का वास हो, इसी तरीके से यह बजट पेश किया। तो इसके लिए मैं दो लाइनें कहना चाह रहा हूं-

फिर धीरे-धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है,
वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है।
पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है,
जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है।

(श्री रामचन्द्र)

हमको पता भी नहीं था, वो आग ठंडी पड़ी थी,
जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है।
यह घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहां पर,
हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है।
बातें बहुत हो रही हैं मेरे-तुम्हारे विषय में,
जो रास्ते में खड़ा था, वह पर्वत पिघलने लगा है।

यह माननीय सदन की नेता की भूरी-भूरी प्रशंसा मैं करना चहता हूं। मैं झालावाड़ से हूं और पिछले 25 साल से झालावाड़ का जो नाम है, वह इनके नाम का पर्याय बन गया है। पूरे विश्व में इनको झालावाड़ के नाम से जानते हैं। अब तो राजस्थान की मुखिया हैं, यह हमारा गौरव है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश का बजट पूरी तरह से आम जनता को समर्पित बजट है। इसमें सभी वर्गों की जरूरतों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ख्याल रखा गया है। मेरा विश्वास यह है कि बजट जन-आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरेगा। इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी।

गांव के विकास के लिए सुचारु परिवहन व्यवस्था पहली जरूरत है। प्रदेश सरकार हमेशा से छोटे-छोटे गांव एवं ढाणियों को सड़कों के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए 2,154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 2,119 ग्रामीण गौरव पथ स्वीकृत किये। इसके अलावा, 250 या इससे अधिक की आबादी वाले 1,100 ढाणी, मजरों को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम भी इसी वर्ष किया जाएगा। खानों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में 1,500 नये मार्ग खोले जाएंगे।

किसान खेती के नये और आधुनिक तरीके अपनाएं जिससे उपज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितिवार कृषि सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड दिये जाएंगे। बीजों के मिनी किट्स बांटे जाएंगे। इन सबके अलावा, सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण देने जैसी अनेकानेक घोषणाएं की गईं, जिनका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा।

(श्री रामचन्द्र)

जल संसाधन के विकास के लिए भी प्रदेश की सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाये गये हैं। इसके लिए तालाबों, जलाशयों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा; पक्के नालों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार एवं नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण जैसी कई योजनाओं को अमल में लाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, फार वाटर कंसेप्ट के तहत जिस प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर करीब 17 एनिकट जो नदियों में बनाये गये हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं, चम्बल है, आहू है, कालीसिंध है, परवन है, इन सभी नदियों को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे काफी पानी की उपलब्धता होगी। किसान अगर उससे चाहे तो 2-2, 3-3 फसलें आराम से कर सकते हैं।

सड़क परिवहन के क्षेत्र में सरकार का फोकस ना केवल सड़क परिवहन सेवा के विस्तार पर है, बल्कि सड़क यात्रा सुविधा पूर्ण होने के साथ-साथ सुरक्षित भी हो, इसका बजट में पूरी तरह ध्यान रखा गया है।

आर एस आर टी सी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बजट रिफार्म लिंक्ड प्रोग्राम के तहत 120 करोड़ की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, किराये में रियायतों के लिए भी आर एस आर टी सी को 60 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

इसी तरह से, प्रदेश की ऊर्जा वितरण कम्पनियों को वित्तीय घाटे से उबारने और प्रदेशवासियों को बिजली की अबाध आपूर्ति के लिये प्रदेश की सरकार की ओर से राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन बिल लाने का एक सराहनीय प्रयास किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को नये आयाम देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रिड सब-स्टेशंस की स्थापना के साथ 40 हजार नये कनेक्शन भी जारी किये जाएंगे।

राज्य को सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए विभिन्न कम्पनियों के साथ एम ओ यू साइन किये जाएंगे। मैं इस हेतु मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि मेरे पड़ोस में है, उसमें इतने बड़े-बड़े सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाती है, और वे उस जगह हैं जहां जमीन पूर्ण रूप से बंजर है, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। उन जगहों पर सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार ने सोलर एनर्जी के प्लांट

(श्री रामचन्द्र)

लगाये हैं। मेरा भी सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार से बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, उसी प्रकार से झालावाड़ में मनोहरथाना और डग विधान सभा क्षेत्र में अगर ये स्थापित किये जाएं तो इससे वहां के किसानों को बहुत फायदा होगा।

राजस्थान देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए सदा ही आकर्षण का केन्द्र रहा है, क्योंकि राजस्थान के अन्दर पश्चिम में, पूर्व में सभी जगह राजपूताना की दष्टि से, हवेलियों की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ है। इस आकर्षण में चार चांद लगाने के लिए जहां पर्यटन स्थलों के विकास हेतु बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, वहीं प्रचार-प्रसार के लिए 38 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा, जयपुर शहर को मीटिंग, इन्सेंटिव्स, कांफ्रेंसिंग, एक्जिबिशन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। रणथम्भौर में टाइगर सफारी का विकास, बीकानेर में बायोलोजिकल पार्क की स्थापना और चूरू में नेशनल पार्क को विकसित करने की घोषणाएं भी बजट में की गई हैं।

धोरों की धरती राजस्थान में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सदा से चिंता का विषय रहा है। राजस्थान सरकार प्रदेश में पेयजल की समस्या के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। प्रत्येक व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में 2,000 आर ओ प्लांट स्थापित किये जाएंगे। विभिन्न पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन के अलावा, सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवेल लगाने व हैंडपम्पों के रख-रखाव के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर रेवा बांध, भीमड़ी बांध, माधवी बांध, इनके द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो-तिहाई हिस्से में पेयजल की व्यवस्था हुई है, लेकिन चौमेला और डग के आगे के क्षेत्र में पानी की कमी है। डार्क जोन है और वहां पर सारे हैंडपम्प भी खराब हैं और ट्यूबवेल भी खराब हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार गर्मी के अन्दर उनमें पेयजल की व्यवस्थ कराए ताकि जिस प्रकार से यह बजट में जो प्रोविजन्स लिये गये हैं, उनके आधार पर शीघ्रातिशीघ्र आम जन को पीने का पानी मुहैया हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार ने उद्योगों के अधिकाधिक विकास का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल रोजगारों

(श्री रामचन्द्र)

का सृजन होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। इस दिशा में माइक्रो, स्माल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए नई प्राइस प्रिफरेंस नीति, एम एम एस ई फेसिलिटेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उद्योगों के लिए लैंड बैंक स्थापना करने जैसी कई लुभावनी घोषणाएं बजट में की गई हैं। मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदम सराहनीय हैं।

बालिकाओं के लिए सेल्फ-डिफेंस योजना को हर जिले में लागू किया जाएगा। जनजाति एवं सहरिया क्षेत्र में मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में बालिकाओं के लिए 5 खेल छात्रावास खेले जाएंगे।

प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए बजट में ठोस कदम उठाये गये हैं। स्टेडियमों के विकास और खेल अकादमियों की स्थापना, खिलाड़ियों के दैनिक भत्तों में बढ़ोत्तरी जैसी लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं।

प्रदेश में बालिका शिक्षा को नये आयाम देने के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा भी प्रदान की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में सरकार की ओर से उठाये गये कदम निश्चित ही स्वागत योग्य हैं। चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए जहां विभिन्न प्रकार के प्रावधान किये गये हैं, वहीं नये ब्लड बैंकों की स्थापना, प्रसूति केन्द्रों का विकास, जिला अस्पतालों में हीमोडायलिसिस, सीटी स्कैन, एम आर आई मशीन का संचालन, कैंसर केयर की सुविधा, आई वी एफ सेंटर का संचालन और डायल-एन-एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त, एस एम एस अस्पताल में सेंटर-फार-आर्गन-ट्रांसप्लांट की स्थापना की जाएगी।

युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए स्किल एंड डवलपमेंट विभाग का भी गठन किया जाएगा; आई टी आई को विकसित किया जायेगा। इसके

(श्री रामचन्द्र)

अतिरिक्त, कामगारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जायेगा।

शहरी क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार की योजनाओं का पिटारा खोला गया है, जिनमें जयपुर में बोटो निकल पार्क, सेंट्रल पार्क, सिल्वन पार्क का विकास कार्य किया जाएगा, बिजली के तारों को भूमिगत करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत राज संस्थाओं को 3,500 करोड़ रुपये अनुदान देने के साथ ही, शहरों को ओपन डिफेकेशन फ्री जैसे विकास कार्य करने की घोषणा इस बजट में की गई है।

डिजिटल राजस्थान बनाने की दिशा में सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाये हैं। इसके लिए डिजिटल लिटरेसी योजना एवं नई आई आई टी एवं ई-गवर्नेंस पालिसी लाई जाएगी। राजस्थान स्टेट टयूरिज्म, राजस्थान हायर एजुकेशन पोर्टल बनाया जाएगा। जयपुर में चिन्हित स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी।

राज्य के बजट में प्रत्येक जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। यह बजट समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है। इस बजट में प्रस्तुत कई ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं।

राजकोषीय संकेतक-वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष 556.82 करोड़ रुपये, राजकोषीय घाटा 20,609.75 करोड़ रुपये, जो जी एस डी पी का 2.99 परसेंट है। 2015-16 के बजट में कुल राजस्व आय 1,11,361.66 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। 2014-15 के संशोधित अनुमानों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 39,740.88 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2015-16 में 47,096.05 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 18.37 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2015-16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 6.84 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 11,962.09 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.74 प्रतिशत है।

आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास। सड़क के क्षेत्र में निजी सहभागिता के आधार पर 5 बड़ी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जाएगा और 2,000 किलोमीटर की मिसिंग लिंक का निर्माण 900 करोड़ रुपये

(श्री रामचन्द्र)

की लागत से किया जाएगा। दिसम्बर, 2015 तक 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गांवों को जोड़ने के लिए 1,440 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का कार्य भी किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हम गांव, ढाणी, मजरे, जिनको हम राजस्व ग्राम नहीं बना पायें और कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास नाम का शिशु अभी पहुंचा ही नहीं है, लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 250 से अधिक की आबादी के लिए 1,100 ढाणी, मजरों को 900 करोड़ रुपए देकर सड़कों से जोड़ने का जो कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सड़क परिवहन के लिए आर एस आर टी सी को रिफार्म लिंक्ड प्रोग्राम के तहत 120 करोड़ रुपये की सहायता दी। आर एस आर टी सी को 160 करोड़ रुपए स्टेट बस टर्मिनल अथोरिटी को भूमि आदि उपलब्ध कराने के लिए दिये हैं। आर एस आर टी सी को किरायों में रियायतों के लिए 160 करोड़ रुपये सबसे बड़ी बात, ग्रामीण बस सेवा के लिए 1,500 नये रूट खोले जाएंगे।

जयपुर में पी पी पी के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटराइज्ड फिटनेस सेंटर तथा फुल्ली आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण, वाहन पंजीयन, वाहन कर, ड्राइविंग लाइसेंस के आनलाइन आवेदन भी प्रारम्भ किये जाएंगे।

इसी प्रकार, पूर्व में माननीय सदस्य, मदन जी राठौड़ ने बताया था कि हवाई परिवहन के लिए 30 करोड़ रुपये दिये। पेयजल के लिए बहुत सारी योजनाओं में पैसा इस बजट में रखा गया है। सबसे अधिक स्वागत-योग्य जो है, वह है 2000 आर ओ प्लांट्स की स्थापना की जाएगी जिससे गांवों के अन्दर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके। 1,000 सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवेल की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की।

(15.00 बजे)

ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट बिल को लाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में 400 केवी जी एस एस सब-स्टेशन और 220 केवी जी एस एस और 132 केवी जी एस एस 16 और 33 केवी जी एस एस 200 राजस्थान में और स्थापित किये जाएंगे, जिससे गांवों के अन्दर पानी की किसानों की आपूर्ति है, विद्युत का संचालन, है वह सही हो सके।

(श्री रामचन्द्र)

पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं माननीया मुख्य मंत्री जी ने इसमें दी हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन एवं जयपुर को ''माइस'' डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना; मंदिरों के रख-रखाव और विकास के लिए 20 करोड़; वन-रणथम्भौर टाइगर सफारी का विकास, बीकानेर में बायोलोजिकल पार्क, जयपुर-पुष्कर बाइपास हर्बल गार्डन, नोलक्खा जिला झालावाड़ में स्मृति वन।

उद्योगों की दृष्टि से 'रिसर्जेंट राजस्थान' का आयोजन, यह बहुत बड़ी बात है। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में जिस प्रकार की खेती होती हैं, जीरा, धनिया, सोयाबीन, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की फसलें पैदा होती है, उसमें आम आदमी को उस फसल के साथ-साथ उद्योग की स्थापना हो जाय तो राजस्थान का माल राजस्थान में ही रहे, बाहर न जाय। जो औद्योगिक विकास है, यदि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से उन्नति हो, तो यहां का जो बेरोजगार युवा है और यहां के जो कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अधिक से अधिक काम मिल सके। इस हेतु राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से डवलप करने का माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सपना संजोया। उस दृष्टि से राजस्थान में लैण्ड बैंक की स्थापना की है। नये होण्डा वेंडर्स के लिए 125 एकड़ भूमि की स्थापना; सलारपुर (भिवाड़ी) में इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए 50 एकड़ भूमि; कलड़वास एक्सटेंशन, उदयपुर में आई टी एंड ई एस डी एम के लिए जोन में 127 एकड़ भूमि आबंटन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने करवाया है। लघु उद्योग में भी बहुत सारी योजनाएं हैं।

कृषि में 1,410 ग्राम पंचायतों तथा 59 पंचायत समितियों पर कृषि सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण करवाया जाएगा। केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5.22 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। 3 लाख एम टी यूरिया एक लाख एम टी डीएपी के अग्रिम भण्डारण के लिए 55 करोड़ की राशि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में रखी है।

निजी आनरेरी एक्सटेंशन वर्क योजना; जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड; नई तकनीकी जानकारी के लिए किसानों को देश-विदेश में भ्रमण; राजस्थान बीज निगम द्वारा सब्जियों के बीज का उत्पादन; उदयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना; जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं चिन्हित

(श्री रामचन्द्र)

क्षेत्रों के किसानों को संकर बाजरा प्रमाणित बीज के मिनी किट्स वितरण; नागौर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना। इसी प्रकार से, राजस्थान में 100 ग्राम सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये; दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान में 30 करोड़ रुपये। इस प्रकार किसानों को समृद्ध करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसमें काफी योजनाएं शामिल की हैं, जो स्वागत योग्य है।

पी.आर.आइज. को स्थानान्तरित तालाबों में 35 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ रुपये; 70 सिंचाई परियोजनाओं की बेंच-मार्किंग; 32 जलाशयों का जीर्णोद्धार 36 करोड़ रुपये की लागत से; 33 सिंचाई परियोजनाएं 15 करोड़ की लागत से पूर्ण की जाएंगी, झालावाड़ में गुराड़िया-रोशनबाडी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये; चूरू में चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर प्रणाली में स्प्रिंकलर सिस्टम में 70 करोड़ रुपये। इस प्रकार से, सिंचाई के मामले में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अधिक प्रावधान बजट में रखा है।

200 छात्रावास, 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाइट सिस्टम की स्थापना; 4,110 संबल गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण; गैर सरकारी वृद्धाश्रमों की रेटिंग; पालनहार योजना के लिए 171 करोड़ रुपये का प्रोविजन; निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों के 2 आवासीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा; 901 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे; बालिकाओं के लिए सेल्फ-डिफेंस योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

युवा एवं खेल मामले में भी विभिन्न स्टेडियमों के विकास कार्यों के लिए 28.80 करोड़ रुपये; नेशनल एकेडमी फार आर्चरी एण्ड शूटिंग की स्थापना, हाकी एवं बास्केटबाल हेतु नयी अकादमी की स्थापना; समर एण्ड विंटर ओलाम्पिक खेलों, एशियन गेम्स, कामनवैल्थ गेम्स के पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार की पैकेज की घोषणा; योग्य ट्रेनिंग सेंटर; स्पोर्टस काम्प्लेक्स, उदयपुर में इनडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये।

657 ग्राम पंचायतों में फेज्ड मैनर में चयनित स्कूलों को 12वीं कक्षा तक क्रमोन्नत; प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय का आदर्श विद्यालय के रूप में विकास; 37 शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण, जिसमें 48 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया है, 134 माडल विद्यालयों के लिए 438

(श्री रामचन्द्र)

करोड़ रुपये; डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का गठन, यह अपने आप में अभिनव प्रयोग होगा राजस्थान के लिए, जिसके माध्यम से जो क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे हैं, उनमें यह डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड बनाकर, वहां आपस में आंतरिक विश्लेषण की दृष्टि से छात्रों को आगे लाने के लिए और उच्च शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा; 'डाईट' में ई-ट्रेनिंग; राज्य के निजी विद्यालयों के छात्रों को एन टी एस ई में चयनित होने पर 10 हजार रुपये दिये जाएंगे।

ऐसे ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में स्टेट हायर एजुकेशन डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। निर्माणाधीन 32 महाविद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण करने हेतु 33.93 करोड़ का प्रावधान किया है। महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली 1,650 मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण की योजना; आहोर, जिला जालौर एवं डेगाना, जिला नागौर में नवीन राजकीय महाविद्यालयों की घोषणा की।

चिकित्सा के क्षेत्र में 28 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया है। 8 चिकित्सालयों में नये ब्लड बैंक की स्थापना; 7 नई ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स की स्थापना; 100 नई मोर्चरी का निर्माण; सी एच सी, आबू रोड, जिला सिरोही का विस्तार 3 करोड़ की लागत से। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं माननीय सदन की नेता, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इसमें शामिल कीं।

चिकित्सा के क्षेत्र में मास्टर प्लान; सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मल्टी-डिसिप्लिनरी रिसर्च लैब की स्थापना, सेंटर आफ आर्गन ट्रांसप्लांट की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पी पी पी के आधार पर बायो मेडिकल अकादमी की स्थापना।

इसी प्रकार, खाद्य एवं आपूर्ति में वर्ष 2016 में रबी विपणन हेतु जयपुर व भरतपुर सम्भाग में गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना, उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण के लिए 16 करोड़ 66 लाख रुपये की घोषणा।

(श्री रामचन्द्र)

कौशल राजस्थान एवं रोजगार की दृष्टि से ग्रामीण आजीविका कौशल मिशन और शहरी कौशल मिशन। यह माननीय प्रधान मंत्रीजी का सपना है और माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी सपना है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर बहुत बेरोजगारी है, क्योंकि सरकारी नौकरियां मिलना असम्भव है, इसलिए आवश्यक है कि लोगों को आप अलग-अलग चीज में प्रशिक्षण देकर उनको उन कार्यों के प्रति प्रेरित करें जिनमें वे प्राशिक्षण प्राप्त हों। उन प्रशिक्षण के माध्यम से अन्य–अन्य जिस प्रकार के उद्यमी हैं, उनमें उनको नौकरी मिल सके और वे अपना रोजगार पा सकें, इस हेतु कौशल कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त साबित होगा।

शहरी विकास के लिए अजमेर-पुष्कर में हेरिटेज योजना; कोटा बैराज के समानान्तर 85 करोड़ का पुल; मुख्यमंत्री जन आवास योजना; साथ ही साथ, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गयी है। नरेगा के लिए 50 करोड़ रुपये एडिशनल मैटेरियल कंपोनेंट कोष की भी स्थापना की गयी है।

भामाशाह योजना में 61 लाख परिवारों का नामांकन; पी ए सी एस लैम्प्स तथा ई-मित्र केन्द्रों को बिजनेस कारस्पोंडेंट बनाने का निर्णय; 9,900 पंचायतों को माइक्रो ए टी एम; ई-मित्र केन्द्रों की संख्या 15 हजार की जाएगी, अटल सेवा केन्द्रों को वीडियो-कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी; बिग डैटा टेक्निक से लैस एनेलाइटिक सिस्टम का विकास होगा, नई आई टी एवं ई-गवर्नेंस पालिसी लायी जाएगी; जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालयों की स्थापना की जाएगी; जयपुर में चिह्नित स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा; राजस्थान स्टेट ट्यूरिज्म पोर्टेल बनाया जाएगा, 2,000 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना, 50 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है।

एस डी ओ और तहसील कार्यालय भवनों और आवासों के लिए 110 करोड़ रुपये; राजस्व लोक अदालत अभियान चलाया जायेगा। राजस्थान में करीब-करीब तीन करोड़ केस पैंडिंग हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि ग्रीष्मकाल के अन्दर लोगों के राजस्व सम्बन्धी मामले राजस्व लोक अदालत के मध्यम से निपटाये जायेंगे।

जिला पुलिस लाइन, आर ए सी लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों की मरम्मत के लिए 48 करोड़ रुपये दिये हैं। 234 थानों में सी सी टी वी कैमरा, 22 जिला कारागृह और अन्य में सी सी टी वी कैमरा; अलवर जेल को केन्द्रीय कारागृह में क्रमोन्नत करना; 2.40 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न जेलों में आधुनिक बंदी मुलाकात कक्ष; 36 नयी बंदी बैरकों का निर्माण; पांच कारागृहों

(श्री रामचन्द्र)

में न्यायालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग। यह माननीय मुख्य मंत्री महोदया के उच्च सोच का ही प्रमाण है जिसमें ये सब चीजें नजर आ रही हैं।

25 एन आई एक्ट न्यायालय, दो महिला उत्पीड़न न्यायालय, चार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के नवीन कार्यालय खोले जायेंगे।

गौ-तस्करी से बचाये गये गौ-वंश की चारे, आदि की सहायता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उदयपुर में नवीन उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना, जयपुर क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का अपग्रेडेशन; सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में भी जिला सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण; पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से दी जाने वाली एकमुश्त सहायता में बढ़ोतरी; अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज की ए सी व वोल्वो बसों में 50 प्रतिशत की छूट।

टोंक में नवीन सैनिक विश्राम गृह का निर्माण; द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं को पेंशन में वृद्धि; शौर्य पदक विजेताओं और सेना, वायु और नौसेना मेडलधारकों को पुरस्कार राशि में वृद्धि; सैनिकों के लिए काल सेंटर।

परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों को फिक्स्ड वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि; राजकीय कर्मचारियों को वर्दी के बजाय वर्दी भत्ता; पेंशन के लिए डिजिटल

(15.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

लाइफ सर्टिफिकेट की योजना लागू की गई; स्पेशल पेंशनरी अवार्ड में वृद्धि; पंचायती राज कर्मचारियों का वेतन कोषालय के माध्यम से ड्रा किया जायेगा।

बजट 2015-16 के कर प्रस्तावों के महत्वपूर्ण बिन्दु मैं प्रकट करना चाहता हूं। ई-गवर्नेंस, फार्म वैट 47 व 49, मोबाइल के माध्यम से ये उपलब्ध कराये जायेंगे। यह सुविधा वाहन प्रभारी के मोबाइल नम्बर पर एस एम एस भेजकर प्रदान की जायेगी। यदि वाहन प्रभारी के पास मोबाइल में एस एम एस है तो फार्म 47/49 की हार्ड कापी की आवश्यकता नहीं होगी। कमीशन एजेंट द्वारा उपयोग किये जाने वाले फार्म वैट 35, 36 और 36 क आनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 36 के अन्तर्गत विवादित प्रश्न की अवधारणा करने के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार, कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का आवेदन फार्म वैट 27 कोन्डोनेशन के आवेदन की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु देय 50 रुपये कोर्ट फीस को समाप्त किया गया है। अपील और पंजीयन आवेदन में आनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

वर्तमान में वैट तथा सी एस टी के रिटर्न का एक कामन फार्म है। अब वैट, सी एस टी, प्रवेश कर तथा विलासिता कर के लिए रिटर्न का एक समन्वित फार्म होगा। एंटरटेनमेंट टैक्स हेतु भी ई-रिटर्न की व्यवस्था की जायेगी।

डीलर को बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, समय से रिफण्ड देने हेतु, असेसमेंट के पश्चात् 30 दिन के अन्दर स्वत: ही ड्यू रिफण्ड डीलर के बैंक खाते में आनलाइन ट्रांसफर करने की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे डीलर जिनका गत वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक टर्नओवर इन्टरस्टेट सेल का है, उन्हें क्वार्टरली रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात् आनलाइन आवेदन करने पर 30 दिवस के भीतर ई-रिफण्ड प्रदान किया जायेगा।

विभाग के कुछ अधिसूचित कैजुअल कमोडिटीज जैसे मार्बल, कोटा स्टोन, आदि पर कर संग्रहण हेतु 26 कर संग्रहण केन्द्र बनाये गये हैं। इन संग्रहण केन्द्रों को आई टी इनेबल्ड किया जायेगा ताकि इन मदों का व्यवहार करने वाले व्यवहारियों को आई टी से सत्यापन आसानी से हो सके।

पुराने निर्माण एवं कर मूल्य में डेप्रिशिएशन के प्रावधानों का सरलीकरण; रीको क्षेत्र की परिधि के बाहर औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन रीको की दर के स्थान पर कृषि भूमि की दो गुना दर से करने का प्रावधान; स्थानीय निकायों द्वारा जारी मिश्रित भू-उपयोग के पट्टों के अधीन रिक्त भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक कर भूमि की दर से 75 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान; अनुमोदित भू-भाग, भू-उपयोग से भिन्न उपयोग में प्रयुक्त भूमि का मूल्यांकन वास्तविक उपयोग के अनुसार किया जाना।

इसी प्रकार, कोटा स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट सेक्टर को आर आई पी एस 2014 के अन्दर थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जायेगा। इसमें कई नई

(श्री रामचन्द्र)

इकाइयां एवं एक्सपांशन न्यू यूनिट को देय वैट का 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत सब्सिडी में दिया जा रहा है।

निम्न वस्तुओं पर प्रवेश कर हटाया गया, उसमें 14 ऐसे वस्तुओं के नाम हैं और इस प्रकार से आम जन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूजा, हवन सामग्री बिक्री को कर मुक्त किया है, पत्थर की चौखट, जूट, रस्सी, कलौंजी, काली जीरी, मोस्किटो नेट, बर्ड नेट, मोतियाबिंद के आपरेशन में प्रयुक्त होने वाले लेंस को बिक्री कर से मुक्त किया गया है।

राजस्थान का यह बजट हर दृष्टि से आम और खास के लिए एक वरदान होगा और मील का पत्थर होगा। इसमें जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, राजस्थान की जो तस्वीर है, उनका जो अपना एक विजन है, वे इन तीन-चार सालों में विकास की धुरी को गति देकर राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में लाने की कोशिश कर रही हैं। जिस समय 2003 से 2008 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश में कई बीमारियां थीं, उस समय विद्युत की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत पीछे था। तब राजस्थान से लाइट उधार लेते थे, चोरी करते थे। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी के मन की उत्कंठा को और उन्होने एक प्रण लेकर मध्य प्रदेश को जिस तरीके से भारत के राज्यों में खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम किया, विद्युत आपूर्ति और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर लाये, वैसे ही माननीय मुख्य मंत्री महोदया, क्योंकि 2003 से 2008 में जब आप सरकार की मुखिया थीं तब मध्य प्रदेश बहुत पीछे था, सरकार में बीच में दूसरों के आने से यह प्रदेश बिलकुल 'बीमारू' प्रदेश और पिछड़े प्रदेश की गिनती में आने लगा है लेकिन जिस प्रकार से माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट राजस्थान की जनता को पेश किया है, जिसमें हर किसी आदमी का, हर किसी पहलू की दृष्टि से जो एक विकास का इनका पैमाना है और विकास की दिशा और दृष्टि है, वह आम लोगों के लिए फलीभूत होगी; राजस्थान सम्पन्न और समृद्ध होगा।

इसी के साथ, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति : श्रीमती राजकुमारी जाटव।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन) : सम्माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, नौ मार्च को सदन की नेता, माननीया वसुन्धरा राजे जी ने

(श्रीमती राजकुमारी)

राजस्थान का बजट पेश किया है, उसकी प्रसन्नता सारी जनता को हुई, लेकिन कल का जो दिन था, विपक्ष ने अपना रवैया दिखाया और शायद विपक्ष के अलावा पूरे राजस्थान की जनता ने इस बजट की सराहना की है। माननीया वसुन्धरा राजे जी को मेरी ओर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से पिछली सरकार ने राजस्थान की जनता को जिस हाल में छोड़ा था, आप हर योजना को देख सकते हों, पिछली बार जैसा कि हमारी सरकार ने और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के टाइम से जो जनता जल योजना चली आ रही थी, उस समय मैं जिला प्रमुख थी और गांव-गांव में उस समय हमारी सरकार ने जनता जल योजना स्वीकृत की थी, लेकिन इस सरकार ने उन गांवों को जो पानी की सप्लाई मिलती थी, वे सारी ठप पड़ी हुई हैं उसको देखते हुए माननीया हमारी सदन की नेता ने इसके लिए बजट का जो प्रावधान रखा है, वह बहुत ही सराहनीय है और उसके लिए भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में जगह-जगह जनता जल योजनाएं जो पी.एच.ई.डी. के माध्यम से चल रही हैं और अभी नवीन पंचायती राज के जो चुनाव हुए हैं, उसमें, माननीय सभापति महोदय, जो सरपंच बने हैं, उनको विभाग द्वारा एक-एक लाख रुपये, अस्सी–अस्सी हजार रुपये के बिल थमा दिये गये।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं कीं लेकिन उन्होंने किसी भी योजना को पूरा नहीं किया। जैसे कि सड़कों की घोषणा की, 33 के.वी. सब-स्टेशनों की घोषणा की, चुनाव के समय इन लोगों ने बहुत सारी और भी घोषणाएं कीं लेकिन एक घोषणा को भी पूरा नहीं कर पाये, जिसका परिणाम जनता ने इनको दिया।

माननीय सभापति महोदय, जैसी कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सरकारी अस्पतालों में, 17 राजकीय चिकित्सालयों में नि:शक्तजन के लिए, दंपत्तियों के लिए आई.वी.एफ. सेन्टर खोलने की घोषणा की है, यह भी महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है। इससे गरीब लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा।

33 हजार कृषि कनेक्शन के लिए जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में प्रावधान रखा है। किसानों के द्वारा काफी बोरिंग खोद दी गई हैं और उनके द्वारा काफी समय से कनेक्शन के लिए, फाइल लगा रखी है लेकिन पिछली सरकार ने कृषकों के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है।

(श्रीमती राजकुमारी)

हमारी माननीया वसुंधरा जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वह हर वर्ग को, हर गरीब को, महिला को, किसान को, सबको राहत पहुंचाने वाला बजट है। जैसा कि खनिज क्षेत्र में, मैं ऐसे जिले से विधायक चुनकर आई हूं जो करौली जिले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। उसके अन्दर ज्यादातर लोग अपना जीवनयापन खनिज क्षेत्र से करते हैं। सभापति महोदय, इस एरिया में खनन क्षेत्र में कोई रास्ते नहीं हैं। माननीया वसुंधरा जी ने खनिज क्षेत्र में जो सड़क बनाने की घोषणा की है और इसमें 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जो हमारी माननीया सदन की नेता ने की हैं, चाहे हमारे करौली जिले को ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जो भी योजनाएं माननीया वसुंधरा जी ने रखी हैं, वे आम आदमी तक, आम जनता तक राहत पहुंचाने वाली हैं और इसका परिणाम निश्चित रूप से आगे चलकर जनता को मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, सभापति महोदय, माननीया वसुंधरा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीया वसुंधरा जी ने कल जो राजस्थान की जनता के लिए बजट पेश किया, निश्चित रूप से इस सराहनीय बजट की पूरे राजस्थान में प्रशंसा हुई। प्रत्येक वर्ग के लोगों ने इस बजट को प्रदेशोन्मुखी बजट बताया, क्योंकि इस बजट के अन्दर कोई भी ऐसा वर्ग अछूता नहीं रहा जिसके विकास के लिए कोई न कोई घोषणा नहीं की गई हो।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अन्दर सडकों के निर्माण की बात हुई, खासकर के गांव से गांव जोड़ने के लिए जो मिसिंग लिंक रोड बनाने की बात हुई, वह अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। जिस तरह से गौरव पथ के निर्माण हमारे गांवों में हो रहे हैं, उनके साथ नालियों बनेंगी और जब हमारी मिसिंग लिंक रोड बनकर प्रत्येक गांव से गांव को जोड़ेंगे तो आम ग्रामीण को उससे बड़ा फायदा होने वाला है। सड़कों के विकास से ही गांव का विकास हो सकेगा, यह हम जानते हैं लेकिन कुछ ऐसी सड़कें जिनकी आवश्यकता थी, मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पूरक मांगों में जरूर हमें मिलने वाली हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से एक निवेदन

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ से अनूपगढ़ तक की जो सड़क है, राजस्थान में सबसे बुरी हालत की शायद वह सड़क है। पिछली सरकार ने लगातार पांच साल तक यह प्रलोभन दिये रखा कि इस सड़क का निर्माण करवाएंगे लेकिन उसका निर्माण आज तक नहीं हुआ है। मेरा और मेरे क्षेत्रवासियों का मानना है कि इस सड़क का निर्माण इसी बजट के अन्दर घोषणा होने के साथ ही शुरू होगा क्योंकि यह एक ऐसी सड़क है जो कि पूरी की पूरी विधान सभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है और सूरतगढ़, जैतसर, विजयनगर, रामसिंहपुर और अनूगपढ़, पांच मण्डियों को जोड़ती है। हजारों किसानों का आवागमन, उनके ट्रैक्टर-ट्रोलियों के साधन और दूसरे अन्य साधन वहां से गुजरते हैं। इस अति महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण होना अति-आवश्यक है और निश्चित रूप से प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगी।

इसके अलावा, पेयजल के लिए जनता जल योजना के लिए जो विशेष बजट का प्रावधान रखा है, वह एक सराहनीय कदम है। हमारे नहरी क्षेत्र के अन्दर जहां ट्यूबवेलों का साफ पानी नहीं, बल्कि नहरों से सीधा पानी पीने के लिए मिलता है, उसके अन्दर बड़ी-बड़ी डिग्गियों के अन्दर पानी संग्रह करके उनको फिल्टर करके गांवों में पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन जनता जल योजना के तहत बहुत ऐसे लम्बे-लम्बे पाइप और लाइनें हैं। बीस-बीस किलोमीटर की, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर की जिनसे उन लाइनों के बीच में उनके बार-बार टूटने की समस्या बनी रहती है। अभी इस बजट के अन्दर 90 करोड़ रुपये का प्रावधान और उस नई पाइपलाइन और जनता जल योजनाओं का जीर्णोद्धार करने की जो घोषणा की गयी है, उससे आने वाले समय के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घटिया पाइप सामग्री लगाकर जो निर्माण किया गया था, उससे हम लोगों को निजात मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र को उससे निश्चित रूप से फायदा होगा और पीने के पानी की समस्या का समाधान भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत कनेक्शन के लिए हमारे जिस तरह से ढाणियों के अन्दर विद्युत सप्लाई करने के लिए पिछली सरकार द्वारा बडी-बड़ी घोषणाएं की गईं, पांच ढाणियों के समूह को हम कनेक्शन देंगे, अन्य दूसरे जो कनेक्शन हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन पिछली सरकार ने एक भी पांच समूह की ढाणी को कनेक्शन नहीं दिया। अभी जिस तरह से हमारे इस बजट के अन्दर घोषणाएं हुई हैं, प्रत्येक ढाणी के अन्दर बिजली

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कनेक्शन देने की बात की गई है। उससे किसानों को राहत मिलेगी। किसान के जब ढाणी के अन्दर कृषि कनेक्शन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इनको उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।

सभापति महोदय, यूरिया का इस बार बड़ा किसानों को संकट रहा। यूरिया की कमी को देखते हुए इस बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह महसूस किया कि सबसे बड़ी किसान की जरूरत यूरिया होती है। जब वह गेहूं के अन्दर या अन्य फसलों के अन्दर पहला पानी लगाता है, तभी से उसको यूरिया की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। जिस तरह से इस बार इस बजट के अन्दर यूरिया और डी.ए.पी. के भण्डारण की जो व्यवस्था की है, यह किसानों के लिए बहुत बड़ा राहत का समाचार है। इस बात को लेकर सिंचित क्षेत्र के किसानों में एक उत्साह का वातावरण बना है और पहली दफा क्षेत्र के किसानों ने महसूस किया है कि हमारी नेता माननीया वसुंधरा जी किसानों के बारे में सोच रही हैं। इस बात को लेकर माननीया मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, उसके लिए वास्तव में मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद की पात्र हैं।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के अन्दर, जैतून की खेती के लिए अनुदान देने की जहां तक बात है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जैतून की खेती से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन इसके प्रचार-प्रसार तंत्र की अभी बहुत कमी है। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाते। निश्चित रूप से जैतून की खती के बारे में कृषि विभाग द्वारा जितना भी ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा तो जैतून की खेती पैदा करने के कारण पूरे किसानों को इस बारे में अर्थ लाभ होगा, एक अच्छी व्यवस्था होगी।

सिंचाई के पानी के हमारे क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी, भाखड़ा और गंग कैनाल के साथ-साथ, घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र है। हमोर क्षेत्र में गंग कैनाल से और भाखड़ा कैनाल से पानी मिलता है। ट्यूबवेलों की खेती वहां होती है। ऐसी स्थिति में, अभी पिछले दिनों आई जी एन पी में कई जगह रिसाव हुआ। कई जगह सेम की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए भी राज्य सरकार कोई न को उपाय करेगी। अभी पांच-सात रोज पहले ही इस बारिश की वजह से हमारे वहां घग्घर फ्लड के अन्दर ओटू हैड से होता हुआ पानी हमारे राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया और हजारों-हजारों बीघा जमीन में

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

किसनों को जो खड़ी फसल थी, जहां बहुत बड़ी फसल होने की उम्मीद थी किसानों को, उनकी फसलें सारी तबाह हो गईं, उजड़ गईं। तो इस बेमौसमी पानी को या जो सर्दियों में बारिश आती है, घग्धर बहाव क्षेत्र के माध्यम से या ओट्टू हैड के माध्यम से, तो क्यों न एक ऐसा वहां पानी को संग्रह करने के लिए अलग से हैड निर्माण किया जाए, ताकि उसमें ये बेमौसमी पानी या जो भी सेम का पानी है, उसको वहां डाल कर, इस पानी का निस्तारण दूसरी जगह करके, अन्य जो बारानी खेत हैं उनके अन्दर भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके।

इसके साथ-साथ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत के ऊपर जो उच्च न्यायालय विद्यालय खोलने की बात की है, उससे भविष्य में बच्चों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा।

सबसे बड़ी जो इस बजट की बात है और जो राजस्थान सरकार की सोच है, वह स्किल्ड लेबर की है। स्किल्ड लेबर तैयार करने से हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है। अभी तक इस स्किल्ड लेबर के जो हमारे ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं, किस-किस तरह की उनमें शाखाएं खोली हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होने के बावजूद हमारे जो मजदूर साथी हैं या हमारे बेरोजगार जो युवा हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे पूरी ब्रांचेज हैं उनमें काम नहीं हो रहा है। खास करके मजदूरों के लिए जिस तरह से, चाहे वे चुनाई के मजदूर हों, चाहे डेली वेजेज पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हों, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आस-पास चाहे श्री सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले लोग हों या हमारे इतने बड़े थर्मल का, जो अभी छठी, 7वीं और 8वीं यूनिट का जो निर्माण हो रहा हे, उसके अन्दर बहुत बड़ी लेबर की जरूरत है। हमारी 6 यूनिट पहले से सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के अन्दर पावर उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा, सूरतगढ़ के आस-पास बहुत बड़ा कृषि फार्म और मिलिटरी का इतना बड़ा स्टेशन है जहां बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत रहती है। तो यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है राजस्थान सरकार का। इससे यह मंशा साफ जाहिर होती है कि पन्द्रह लाख लोगों को जो रोजगार देने का काम है, वह स्किल्ड लेबर के जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनके माध्यम से यह बहुत जल्दी पूरा

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

होने वाला है। ऐसी राजस्थान सरकार की सोच की मैं प्रशंसा करता हूं और माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

इसके अलावा, पंचायत राज संस्थाओं में जिस तरह की अभी पूरे राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई, हमारी सदन की नेता और माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृतव में जिस तरह से पंचायत राज के अन्दर नये कानून बने, शिक्षा की दृष्टि से हमारे सरपंच, प्रमुख और प्रधान बने हैं, यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। नया पुनर्गठन पंचायतों का हुआ, लेकिन उसमें जो नयी पंचायती बनी हैं, हमारा ऐसा मानना है कि जल्दी से जल्दी जब तक अटल सेवा केन्द्र या दूसरे निर्माण कार्य पूरे नहीं होंगे, जब तक वहां पूरे निर्माण के लिए पंचायतों के लिए पूरे स्तर पर काम नहीं होंगे, पूरे जब तक वहां कार्यालय नहीं खुलेंगे, तो वह सुचारु रूप से काम होने में अभी समय लगेगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में उनके निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे।

इन सब बातों को देखते हुए तथा और बहुत सी ऐसी लाभकारी योजनाएं हैं जिनकी इस बजट में घोषणा हुई है। इन सब बातों को देखते हुए, मैं माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को इस बजट पर धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्री ने जो कल हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम जन के लिए बजट पेश किया, इसके लिए मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने राजस्थान के आम तबके का, हर वर्ग का ख्याल रखा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, हर बिन्दु पर जो हमें महत्वपूर्ण बजट देकर के आम जनता को एक सौगात बख्शी है, वह बहुत स्वागत योग्य है।

हालांकि मैं सबसे पहले यह भी धन्यवाद दूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन जो कि भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, हम जिस

(श्री तरुण राय कागा)

क्षेत्र से आते हैं वह बहुत ही बड़ा पिछड़ा इलाका है, वहां मुख्य मंत्रीजी ने हमें चौहटन विधान सभा क्षेत्र के सेऽणा में एक आई टी आई कालेज खोलने की सौगात दी है, उसके लिए और हमारे चौहटन सी एच सी के लिए बिल्डिंग बनाने की बात कही है, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, इसमें पहले हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का शासन था तब हमारे क्षेत्र में एक बिलकुल ही कच्छ के रण से लगते हुए बाखासर क्षेत्र है, वहां पर नमक उत्पादन के लिए एक योजना बनाई थी और योजना के लिए वहां काफी कुछ काम भी हुआ लेकिन बीच में कांग्रेस शासन के काल में वह योजना बंद करके उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, जो इस बजट में होना लाजिमी था। हमारे वहां उस इलाके में जो खानाबदोश की जिन्दगी व्यतीत करके बाहर गुजरात की ओर पलायन कर जाते हैं; हमारे वहां कोली जाति के हैं, मेघवाल जाति के हैं, भील जाति के हैं, गरीब तबके के जो लोग रोजगार की तलाश में वहां जाकर खानाबदोश की जिन्दगी बसर करते हैं, उनकी रुकावट होती तो यह अच्छा होता। वैसे अभी हमारे बजट पर भाषण देते हुए माननीय सदस्य, मदन लाल जी ने कहा था, हमारे इस इलाके में एक सूखा बन्दरगाह खोलने की जो बात कही थी, वह हमारे इलाके के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। अगर उस तरह से होगा तो हमारे नमक उत्पादन का परिवहन और इस तरह से हमारे इलाके की काया बदल सकती है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, लोग तो जिस तरह से पानी की वजह से परेशान हैं, वहां नदियों की वजह से परेशानी होती है, लेकिन हम वहां एक-एक बूंद के लिए तरसतें हैं। हमारे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उस किल्लत के लिए हमने पहले भी निवेदन किया, अब भी कहते हैं। कल मैडम ने बजट में नर्मदा नहर परियोजना का आगाज भी किया है, उसका उल्लेख भी किया है,लेकिन मैं चाहता था कि हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में जिस तरह से पिछली बार जो एक नर्मदा नहर का आगाज करके छोड़ा था, बीच में कांग्रेस सरकार ने उसको रोका, लेकिन अभी जो एक साल में उसको वापस चालू करके 14 नवम्बर, 2014 को हमने उसका पानी सिंचाई के लिए भी आगाज किया है, जिससे हमारे इसी मौसम में काफी अच्छी फसलें लहलहाती रहीं, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन पेयजल की जो बात है तो हमारी नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड है जिसमें फर्स्ट फेज में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुल 329 गांव, 141

(श्री तरुण राय कागा)

और 188, कुल 329 गांव मीठे पानी से लाभान्वित हो सकते हैं, वह योजना विचाराधीन है। मैं सोचता हूं कि उस योजना को, जिस तरह से कल कहा है, उसमें शामिल हैं या नहीं, लेकिन उसका खुलासा होना बहुत ही जरूरी है।

हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता में टी डी एस 1500 पी पी एम से ज्यादा हैं। इसमें सोलर आधारित योजना मंजूर नहीं हो सकती। पानी की गुणवत्ता में अगर टी डी एस की छूट 3000 पी पी एम तक दी जाए तो हमारे गांव की ढाणियों में, आधारित योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान 1971 में आये हुए भारत-पाक विस्थापितों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी पिछली सरकार में वसुंधरा राजे जी ने उन पाक विस्थापितों के लिए 40 ग्राम पंचायतों में 567 परिवारों को भारतीय नागरिकता देकर स्थायी बसाया था। अभी भी इस तरह से ऐसे लोग हैं जो अभी तक उस नागिरकता से वंचित भी हैं और उस अलाटमेंट से वंचित हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे लोगों की समस्याएं, जिस तरह से पाकिस्तान से आये हुए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर लोक सभा क्षेत्र सहित चौहटन, बाड़मेर, शिव, जैसलमेर, कोलायत, खाजूवाला, सूरसागर, लूणी, आदि विधान सभा क्षेत्रों में बसे हुए हैं; जिस तरह से नागरिकता, शरणार्थी दर्जा, पुनर्वास पैकेज, वीजा सरलीकरण, शिक्षा, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, स्थानीय निकायों की आवासीय योजना में शामिल करना, वहां से जो डाक्टर आये हैं उनको अनुमति प्रदान करना, इस प्रकार से काफी हमारी समस्याएं हैं।

जिस तरह से नरेगा में काफी कुछ बजट का प्रावधान किया है, नरेगा के लिए बार-बार कहते हैं कि कोई पक्के काम होने चाहिए, इसके लिए मेरा निवेदन है कि स्वच्छ भारत के लिए सार्वजनिक के बजाय निजी शौचालय का निर्माण करने की अनुमति हो ताकि हमारे परिवारों को इससे लाभ हो सके।

हमारे इलाके में हस्तशिल्प का काम होता है। हर घर में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कपड़े पर कशीदाकारी का काम करती हैं, जिसकी डिमांड विदेशों में भी है। विदेशों में इतनी डिमांड है कि हमारे यहां का माल एक्सपोर्ट होता है। जो कुशल कारीगर हैं, उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। बीच में कई बिचोलिये, वगैरह उसका लाभ उठाते हैं। तो इसके विपणन की, विक्रय की, अगर नरेगा से जोड़कर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा।

(श्री तरुण राय कागा)

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले राज में नरेगा से हमारे इलाके में, शिव और चौहटन इलाके में बेरियों के लिए, चौहटन के लोगों को पेयजल की, सिंचाई की सुविधा की थी लेकिन बीच की सरकार ने उसको बन्द कर दिया। मेरा यही सुझाव है, अगर नरेगा से लोगों को निजी बेरियां बनाने का लाभ दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा।

हालांकि स्टेडियम के निर्माण के बारे में भी बात है, पर्यटन के बारे में भी है, हमारा क्षेत्र भी पर्यटन से अछूता नहीं है। मेरे क्षेत्र में अगर बिजली का 132 केवी का एक सब-स्टेशन बनाया जाए तो हमारे विकास के लिए ठीक होगा।

हमारा बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र है, इसके लिए मैडम ने पिछली बार मरु विकास बोर्ड की घोषणा की है। मरु विकास बोर्ड के लिए भी इसी बजट में काफी कुछ प्रावधान करके हमारे क्षेत्र की काया बदल सकती है।

मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कटारा। श्री देवेन्द्र कटारा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती द्रोपती मेघवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : बजट 2015-2016 पर मुझे जो समय दिया गया है, उसके लिए मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर, माननीया मुख्य मंत्रीजी का करिश्मा है कि मेरे जैसी साधारण गृहणी को आज प्रदेश के सर्वोच्च सदन में बोलने का अवसर मिला।

माननीया वसुन्धरा राजेजी ने देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी के लोक सभा में भारत के विकास के लिए मेक-इन-इंडिया की घोषणा से प्रेरित होकर राजस्थान के विकास के लिए मेक-इन-राजस्थान वर्किंग बजट प्रस्तुत किया, वह सराहनीय है; राजस्थानवासियों को प्रोत्साहित करता है।

विपक्ष द्वारा बजट का बहिष्कार करना, विपक्ष द्वारा सोचा-समझा षड्यंत्र जनता के सामने आ गया। जनता ने देखा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण पढ़ा नहीं, उससे पहले बहिष्कार करना, सर्वोच्च सदन की शोभा नहीं है, अवहेलना है। मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ। मेरे ये भाई सरकार को सहयोग देने की बजाय जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?

(श्रीमती द्रोपती)

मैं सदन के माध्यम से, अपनी सोच के अनुसार, मैंने जो बजट की समीक्षा की है, बताना चाहूंगी। राजस्थान के छोटे से छोटे किसान व बड़े से बडे उद्यमियों तक के विकास में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। शुद्ध पेयजल व ढाणियों में विद्युतीकरण, ग्रामीणों को सड़क से जोड़ने, स्वास्थ्य सेवा, कृषि पर बजट तैयार किया।

बजट का बड़ा हिस्सा बीकानेर सम्भाग व हनुमानगढ़ जिलो को दिया। किले का जीर्णोद्धार, हनुमानगढ़, जंक्शन व हनुमानगढ़ टाउन की घग्घर नदी पर पुल का नवनिर्माण करने की घोषणा कर जनता की ओर से मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करती हूं।

जय जवान, जय किसान को ध्यान में रखते हुए माननीया वसुन्धरा राजेजी ने यूरिया-मुक्त खेती करने के लिए तीन किसानों को पुरस्कारित करना व कृषि के विकास के लिए देश-विदेश में भेजना, जैविक खेती के विकास को प्रोत्साहित करना और खतरनाक बीमारी से बचाने का भी बजट में स्थान दिया गया। कितना मूल्यवान है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करती हूं।

राज्य से बाहर जाने से पानी को रोकना, मदरसा बोर्ड को 63 करोड़ का अनुदान बजट में देना, अल्पसंख्यकों को जो सम्मान दिया, वह भी सराहनीय है।

इस बजट को माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नर सेवा नारायण सेवा से भी चरितार्थ किया है।

बालिकाओं को बचाने व बालिकाओं को पढ़ाने, शिक्षित करने के लिए भी बजट के माध्यम से प्रेरित किया। कक्षा 12वीं में छात्राओं द्वारा 75 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटाप के साथ-साथ स्कूटी देकर दोहरा फायदा दिया है। इसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

चिकित्सालयों में आधुनिक उपकरणों को लगाने के लिए 8 करोड़ देना, गुर्दे की डायलिसिस कराने में राज्य व जिला स्तर पर सुविधा देना, दिसम्बर से मार्च तक आरोग्य अभियान चालाना, लावारिस बच्चों के पालन गृहों का निर्माण, 21 जिलों में सी टी स्कैन मशीनों को लगवाना, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाना, अंग प्रत्यारोपण का एस एम एस अस्पताल में काम शुरू करवाना, युवाओं को रोजगार हेतु बजट में 802 करोड़ का प्रावधान रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। एम डी व सी डी एम की परीक्षा

(श्रीमती द्रोपती)

की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा शुरू करना; राजस्थान में सर्वांगीण प्रकोष्ठ की स्थापना; कुपोषण को रोकने के लिए फोर्टिफाइड आटे का निर्माण करवाना; प्रत्येक सम्भाग में आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वस्थ रखने का ज्ञान देना, स्वर्ण पदक विजता को 75 लाख, रजत पदक विजेता को 50 लाख रुपये से पुरस्कारित कर खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने को प्रेरित करना खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करता है। राजस्थान की जनता के लिए यह बजट ममता भरा बजट है।

राजस्थान को मेक-इन-राजस्थान प्रदेश बनाने के लिए टैक्स में व्यापारियों को छूट देना, टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाना, कर निर्धारण के लिए नेट पर अपील व 50 रुपये कोर्ट फीस माफ करना, करदाताओं का ड्यू रिफण्ड 30 दिन में आनलाइन करके इनको बचत खाते में वापस कर दिया जाएगा, रक्षा कम्पनियों को राजस्थान में विशेष सुविधा देना, विद्युत बचत का ख्याल रखते हुए सी.एफ.एल. बल्ब पर वैट टैक्स कम करना, पत्रकार-मीडिया वालों को लग्जरी बसों में 50 प्रतिशत यात्री किराये में छूट देकर इनका भी ख्याल रखा गया है। पत्रकार जो देश में चौथा स्तम्भ माना गया है, उनका भी हमारी मुख्य मंत्री ने ख्याल रखा है, जो मीडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस फीस में 50 प्रतिशत छूट, शिक्षा के साथ-साथ वाहन सिखाने के लिए भी प्रेरित किया है। यह भी एक महिला होने के नाते बहुत खुशी की बात है।

राजस्थान की जनता ने माननीया वसुंधरा राजे जी के कुशल प्रबंधन, कुशल राजनीतिक अनुभव का फायदा लेने के लिए जो बहुमत दिया, उस पर माननीया मुख्य मंत्रीजी खरी उतरेंगी, यह मेरा और जनता का विश्वास है। बजट की घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभागों को तत्काल शुरू करने का निर्देश सम्बन्धित मंत्रियों को और अधिकारियों को तुरन्त दिया। यह भी कुशल प्रणाली का नमूना है। धन्यवाद।

जय-जय राजे, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति : सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्लडगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का 2015-16 का बजट जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

प्रस्तुत किया, इसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, राजस्थान की जर्जर आर्थिक व्यवस्था 'बीमारू' प्रदेश छोड़ करके, जो विरासत में हमको मिला, ऐसे कठिन समय में, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने बहुत प्रयास करके, ईमानदारी और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जो बजट पेश किया, वह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि राजस्थान के लोगों की जन-आकांक्षाओं के ऊपर खरा साबित होगा। जो बजट कल प्रस्तुत किया गया, उसमें हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लोगों का ध्यान रख करके, बिना कोई विशेष टैक्स लगाये, सभी का ध्यान रख करके, सभी की भावनाओं को, क्षेत्र के विकास के लिए बजट पेश किया गया। चिंता का विषय यह रहा कि इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, स्वस्थ लोकतंत्र की परम्परा कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं समझ पायें और शायद उनके पास कुछ जवाब नहीं था जिससे वे सदन में भी आज हमारे बीच में उपस्थित रहना ठीक नहीं समझ रहे।

बजट के बारे में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसी राजस्थान की टूटी हुई सड़कें, जिनका कि पिछली सरकार पैचवर्क तक का कार्य नहीं कर पाई थी, उसके लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दस हजार किलोमीटर की सड़कों का जो प्रस्ताव रखा है, इससे राजस्थान क्षेत्र आपस में जुडेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये यह बहुत लाभदायी सिद्ध होगा।

चम्बल के ऊपर गेंता के पास में जो बड़ा पुल बनाया जा रहा है, यह आवागमन के लिए बहुत जरूरी भी था।

खनिज क्षेत्र, जहां से लोगों से हाइएस्ट रेवेन्यू मिलता है, उस क्षेत्र के लिए हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने 50 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए और खनिज क्षेत्र के मजदूर, व्यवसायी लोगों को, सबको बहुत-बहुत फायदा मिलेगा।

ग्रामीण विकास का एक नायाब तोहफा, गौरव पथ, जो बहुत मजबूत तरीके से सी.सी. रोड से बनाया जाएगा, उसके साथ में नालियां, और जैसा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी चाहती हैं, सोलर ऊर्जा की भी व्यवस्था होगी। यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

सभापति महोदय, मिसिंग लिंक्स, जो क्षेत्र आपस में अभी टूटे हुए थे, सम्पर्क ठीक से नहीं हो पाता था, इस बात को ध्यान में रख करके दो हजार किलोमीटर के मिसिंग लिंक्स क्षेत्र के विकास के लिए बहुत लाभदायक होंगे।

परिवहन के क्षेत्र में हमारे यहां पर 1,500 नये जो भी रूट्स तय किये गये हैं, तो इससे राजस्थान के हम सभी लोगों को परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। एस.आर.टी.सी. के लिए 120 करोड़ रुपये की जो अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है, इससे परिवहन के कर्मचारियों को भी मदद मिलेगी। साथ ही, राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल अथोरिटी का जो गठन किया गया है, यह राजस्थान रोडवेज हेतु बहुत अच्छा कार्य करने के लिए एक नायाब कदम साबित होगा।

शिक्षा में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम को जोड़ना, आजकल के बालकों को शुरू से ही अच्छे संस्कार डालने के लिए बहुत प्रशंसनीय कदम है।

हवाई परिवहन, जो आज के इस आधुनिक युग में बहुत जरूरी है, सभापति महोदय, इसमें 30 करोड़ रुपये की राशि का जो प्रावधान रखा गया है, राजस्थान अग्रणी क्षेत्र में विकास करेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसा कि पिछली सरकार 77 हजार करोड़ रुपये बकाया रखकर गई और ऊर्जा के लिये, शायद, हमको कोई उधार भी नहीं देना चाह रहा था, ऐसी स्थितियों में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, फागी में 765 के.वी. का ग्रिड, चित्तौड़ में 220 के.वी., टोटल राजस्थान में 132 के.वी. के 16 ग्रिड और 33 के.वी. के 200 ग्रिड प्रस्तावित करना, एक बहुत कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने जैसा बजट है। आपने किस तरीके से, कितना सोच रख करके, समुचित व्यवस्था की होगी। राजस्थान प्रदेश के लोगों को ऊर्जा का अच्छा प्रबंधन मुख्य मंत्रीजी दे रही हैं। 40 हजार विद्युत कनेक्शन किसानों को देना, किसानों के हितों की रक्षा करता है।

प्रस्तुत बजट गौरवपूर्ण प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतया साबित होगा। खनन क्षेत्र में आपने जो भी घोषणाएं की हैं, इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। भामाशाह योजना, विश्व की अद्वितीय योजना, जिस पर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इतना ध्यान दिया और योजना को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ने से क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ऐसा मेरा विचार है।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

छोटे खनन क्षेत्र के लोगों को, मैं एक हैक्टेयर के लिए निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय, यह भी बजट में प्रस्ताव रखवाया जाए।

कृषि के क्षेत्र में किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण, किसान भाइयों को रबी और खरीफ की बुवाई के पहले पर्याप्त मात्रा में तीन लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. और यूरिया और उपलब्ध कराने का जो प्रस्ताव रखा, यह किसानों के हितों के लिए बहुत ही आवश्यक है।

पशुपालन, युवा मामले, खेल, सभी की बातों को बजट में रखा गया। बंदीगृह में सी.सी.टी.वी. कैमरे; पत्रकारों को भी ध्यान में रखते हुए बजट में व्यवस्था की गई।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना आज की महत्ती आवश्यकता थी। ग्रामीण बच्चों और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी जो आवश्यकता थी, इसको हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने समझा। बालिका शिक्षा, नवीं से प्रत्येक बालिका को साइकिल, एन.टी.एस.ई. छात्रवृत्ति दस हजार रुपये करना; मैं माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोलने की भी आपके द्वारा मांग रखना चाहती हूं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी के हौसले बुलंद है। इन्होंने बिगडी अर्थ-व्यवस्था की हालत की चुनौती को स्वीकार करते हुए कठोर परिश्रम का मार्ग अपनाया। स्थिति से एक-दो दिन या एक-दो साल में उबरा नहीं जा सकता। आप प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ी करेंगी, ऐसा प्रतीत होता है इस बजट को देखने से। सुराज संकल्प यात्रा का स्नेह, आओ साथ चलें, गौरवपूर्ण प्रदेश की खुशहाली, उन्नति, सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूं।

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए आपने, विशेष रूप से जैतपुरा बांध के जीर्णोद्धार के लिए जो 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति की है, इसके लिए

(16.00 बजे)

मैं सम्पूर्ण माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से और भीलवाड़ा जिले की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किस तरह पिछली सरकारों ने जैतपुरा के रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं रखी थी और बांध पिछली बरसात में बहुत भयावह स्थिति पर जा पहुंचा था। आज कोई भी विभीषिका हो, उससे पहले हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जन हित को ध्यान में

(सुश्री कीर्ति कुमारी)

रखकर जैतपुरा बांध के जीर्णोद्धार की जो राशि स्वीकृति की, इसका बहुत-बहुत आभार।

मैं इसी के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। जय भारत। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, मेरा नम्बर जाने के बावजूद भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धराजी ने जो बजट 2015-16 पेश किया है, यह बजट का जो दस्तावेज है, यह पूर्ववर्ती सरकारों की तरह कोई असत्य का पुलिंदा नहीं है। यह जो दस्तावेज है, यह दस्तावेज कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं है कि वह प्रदेश की अवाम को गुमराह करने वाला हो। माननीय सभापति महोदय, यह दस्तावेज धरातल के ऊपर बनाया हुआ एक रोड-मैप है, जिसके ऊपर आगामी एक साल की जो घोषणाएं की गयी हैं, वह उन सब घोषणाओं की पूर्ति आने वाले एक वर्ष में कर दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जिस भावना और जिस मन से यह बजट पेश किया है, यह बजट भी किन परिस्थितियों के अन्दर पेश किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज प्रतिपक्ष हमारे सामने नहीं है, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता की जो कठिन परिश्रम और मेहनत की कमाई थी, उसको लुटाने का जो काम किया था, राजकोष में अगर हम आंकड़े देखें तो एक भी पैसा वे छोड़ कर नहीं गये। जिन परिस्थितियों में सरकार बनी, अगर मैं एक विभाग के आंकड़े आपके सामने पेश करूं, माननीय सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण में जब 2013 के अन्दर हमारी सरकार बनी तो उस समय कर्मचारियों को तनख्वाह के पैसे देने के लिए एक भी रुपये उनके पास मौजूद नहीं था। जिस मिशन को लेकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने काम शुरू किया और जो विकास की गति प्रारम्भ हुई और इस बजट के अन्दर भी, माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से घोषणा की गयी कि स्वायत्त शासन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से विकास को एक गति देने का काम होगा, आज मुझे खुशी है कि एन.एच.-11 से लेकर जाहौता के बीच में जो रोड बनी हुई है, जो आधा घंटे से लेकर डेढ़ घंटे तक लोगों को इन्तजार

(श्री रामलाल शर्मा)

करना पडता है, वहां पर फ्लाइओवर बनेगा और आनन्द लोक-फर्स्ट और सैकण्ड को जोड़ने की अंडरपास की जो घोषणा की गयी है, वे निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण का यही काम नहीं है। पांच साल पूर्व में जो प्रोजेक्ट रिंग रोड का बना था, पूर्ववर्ती सरकार ने एक किलोमीटर की भी रिंग रोड बनाने का काम नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी ने आते ही, आने वाले समय में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, आये दिन जिस तरीके की दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर अभी से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी होगी। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक विल-पावर दिखाते हुए रिंग रोड के काम को शुरू किया और आज जिस तीव्र ग्रति से यह रिंग चल रहा है, आने वाले दस-ग्यारह महीने के अन्दर वह फेज पूरा बनकर तैयार होगा।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण ने केवल यही काम नहीं किये। आज जयपुर के सुन्दर बनाने का जो काम है, चाहे वह रोड्स की मरम्मत के काम हों, चाहे नवीन रोड बनाने के काम हों, चाहे फ्लाइओवर बनाने के काम हों, चाहे शूटिंग रेंज को विकसित करने का काम हो, चाहे गार्डन विकसित करने के काम हों, चाहे ट्रैफिक/यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए सर्किल्स को पुनर्सृजित करने के काम हों, माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, पूर्व बजट के अन्दर वीर हनुमानजी के विकास की जो घोषणा की थी, मुझे इस बात की खुशी है कि आज चौमूं से लेकर वीर हनुमानजी तक की रोड पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। करीबन 16-17 किलोमीटर की उस रोड में मात्र दस-पन्द्रह मिनट का समय लगता है। माननीय सभापति महोदय, सैकण्ड फेज का जो आंतरिक विकास है खोल का, वह भी जयपुर विकास प्राधिकरण उस विकास को गति देने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में आपके माध्यम से मैं छोटा-सा निवेदन और करना चाहूंगा। आज जिस तरीके की सरकार की भी और माननीया मुख्य मंत्रीजी की भी मंशा है कि बाहर से पर्यटक आयें और उनको सारी सुविधाएं मिलें, पर्यटक बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा और उससे रोजगार भी सृजित होंगे, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीया

(श्री रामलाल शर्मा)

मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन है कि हमारा एक धार्मिक स्थल जो वीर हनुमानजी, सामोद के नाम से प्रसिद्ध है, मात्र जयपुर जिले के ही उसमें श्रद्धालु नहीं आते दर्शन करने के लिए, बल्कि आस-पास के चार-पांच जिलों के श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से इस बजट के अन्दर भी धार्मिक स्थलों को विकसित करने की जो बात कही है, अगर वीर हनुमानजी के मंदिर के साथ-साथ में मालेश्वर धाम को, पंचमुखी हनुमानजी को और यदि महामाया के स्थान को भी अगर जोड़ दिया जाय, तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि आने वाले समय के अन्दर इको ट्यूरिज्म का एक केन्द्र वह विकसित होगा और उसके विकसित होने से आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र विशेष में विकास को गति देने का काम किया है लेकिन ऐसे स्थान को अगर इको ट्यूरिज्म के रूप में आप विकसित कर दें तो उससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो लोग रोजगार के लिए पलायन करके शहरों की ओर जा रहे हैं, उस पलायन के ऊपर भी रोकथाम लगेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस बजट के अन्दर बहुत-सी पेयजल योजनाएं ऐसी हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने उन पेयजल योजनाओं के ऊपर कोई काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, काम करना तो दूर, उन पेयजल योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से पेयजल योजनाओं की पुन: शुरुआत की है और नवीन पेयजल योजनाओं की आपूर्ति करने के भी, प्रोजेक्ट्स की घोषणा इस बजट के अन्दर की है।

माननीय सभापति महोदय, आज एक विडम्बना के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि तीन तरह की एजेंसीज पानी की सुव्यवस्था करती हैं। ग्राम पंचायत अपने स्तर के ऊपर बोरिंग करवाती है, पंचायत समिति अपने स्तर पर बोरिंग करवाती है और पी.एच.ई.डी. अपने स्तर पर बोरिंग करता है। माननीय सभापति महोदय, आज भी आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा कि कई बोरिंग ऐसे हैं जिनको तीन-तीन, चार-चार साल निकल गये लेकिन जो ट्यूबवैल करने वाले हैं, ग्राम पंचायत ने ट्यूबवैल करवाया, ठेकेदार को भुगतान किया और उस ट्यूबवैल की उपयोगिता आज दिन तक भी शुरू नहीं हो पायी। करीबन दो-ढाई-तीन-तीन साल हो गये, ऐसे ट्यूबवैल आज भी हमारे विधान

(श्री रामलाल शर्मा)

सभा क्षेत्र में मौजूद हैं जिनके बिजली के कनेक्शन नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, कई ट्यूबवैल्स आपके विधान सभा क्षेत्र में भी जब आप जाते होंगे तो आपको देखने को मिलते होंगे कि ट्यूबवैल तो हुआ, थोड़े दिन चला भी, लेकिन बिजली के बिल जमा नहीं होने की वजह से वे ट्यूबवैल नाकारा पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, पेयजल के इन स्रोतों को अगर एक यह मापदंड के तहत करवाये जाएं तो निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता भी सिद्ध होगी और वे जनता के काम भी आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन और है कि पानी सीमित है और पानी के बारे में सभी लोग चिंता कर रहे हैं। जमीन का जल स्तर जो है, जमीन के ऊपर जो पानी है, वह बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। माननीय सभापति महोदय, जैसा जमवारामगढ़ के बांध से जयपुर जब पहली बार पानी लाया गया था तो उस समय लोग यह कहते थे कि अब तो वर्षों की गई, वर्षों तक जयपुर को पेयजल की आपूर्ति जमवारामगढ़ का बांध करेगा, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, 15 से 17 साल के बीच के अन्दर ही जमवारामगढ़ जिस तरीके से समाप्त हो चुका है, वहां जमवारामगढ़ बांध के अन्दर एक बूंद पानी की नहीं आती है। जो जयपुर को पानी पिलाने का काम जमवारामगढ़ का बांध करता था, आज उसके अन्दर एक बूंद पानी नहीं है। वह सूख चुका है। माननीय सभापति महोदय, यही अगर स्थिति रही, बरसात का ऐसा ही आधार रहा तो मुझे नहीं लगता कि बीसलपुर का पानी भी आने वाली पीढ़ी को मिल पायेगा। इसलिए जो बरसात का पानी है, इसका एक मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। इस बरसात के पानी को किस तरीके से हम इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरीके से उसका दोहन करके पीने के योग्य बना सकते हैं, आने वाले समय में यही एक मात्र पीने का पानी उपलब्ध होने का एक स्रोत साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र में भी हमको काम करने की आवश्यकता है।

एक, माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर दो हजार आर.ओ. प्लांट लगाने की घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है। मैं इस बात के लिए तो माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में मैं एक बात और कहूंगा कि पूर्ववती सरकार ने भी आर.ओ. प्लांट लगाने का काम किया था और जो नोर्म्स थे, उन नोर्म्स की अनदेखी करते हुए वे आर.ओ. प्लांट लगे। अपने चहेते व्यक्तियों के घरों के

(श्री रामलाल शर्मा)

नजदीक वे आर.ओ. प्लांट लगे। फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, उसकी अनदेखी करते हुए वे प्लांट लगे। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय अभी उपस्थित हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि इस ओर वे ध्यान जरूर दें। पूर्ववर्ती सरकार ने जो आर.ओ. प्लांट बिना किसी मापदण्ड के लगाये, उनकी एक बार जांच करें और जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो तब तक उनके ठेकेदारों को जो भुगतान हो रहा है, उस भुगतान को एक बार रोकने का काम करें। क्योंकि उस मामले में मुझे ज्ञात हुआ है, सभापति महोदय, कई प्रकार के ऐसे लोग, बिना उपयोगिता के ही वे आर.ओ. प्लांट लगा चुके हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने, मैंने कई बार इस विधान सभा के पटल पर भी बात कही है, पूर्ववती सरकार ने सात नगरपालिकाओं के साथ जो अनदेखी की है, सभापति महोदय, गर्मियों की ऋतु शुरू हो चुकी है और दुर्भाग्य से एक नगरपालिका मेरी भी उसमें शामिल है, जहां पर पी एच ई डी ने पानी की जो सप्लाई है, उसकी व्यवस्था नगरपालिका को हैण्ड-ओवर कर दी। सभापति महोदय, आप भी जानते हों, आपके भी शाहपुरा के अन्दर नगरपालिका है, उसमें वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है। क्या शाहपुरा नगरपालिका आपके पेयजल की आपूर्ति कर सकती है? तो चौमूं भी कर सकती है। सभापति महोदय, आप भी जानते हों कि नगरपालिकाओं में इतने आर्थिक स्रोत नही हैं कि वे पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था कर सकें। इसलिए माननीय मंत्री महोदया से निवेदन से मेरा निवेदन है कि कम से कम ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था आप करें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, बिजली के क्षेत्र में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया है। सभापति महोदय, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने कृषि कनेक्शनों के ऊपर रोक लगा रखी थी, घरेलू कनेक्शनों में जिस तरीके में नीति बनाकर गयी थी, आज भी, सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि तीन सम्भाग हैं, तीनों सम्भागों की, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इन तीनों सम्भागों की नीति अलग से बनना बहुत जरूरी है। सभापति महादेय, भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें, तो तीनों स्थानों की जनसंख्या का जो घनत्व है, वह एक समान नहीं है। जयपुर सम्भाग के अन्दर आप देखोगे

(श्री रामलाल शर्मा)

तो लोगों के जो राजस्व ग्राम थे, वे तो खाली हो चुके। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने खेतों के अन्दर जाकर मकान बना चुका। सभापति महोदय, अगर आप भरतपुर की तरफ जाकर देखोगे तो भरतपुर के अन्दर दिन में किसान अपने खेतों पर काम करते हैं, लेकिन रात को जो अपनी आबादी जमीन है, मूल गांव है, उस गांव के अन्दर आकर निवास करते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बिजली के क्षेत्र में कम से कम तीनों सम्भागों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर नीतियां बनें, तो वे कारगर भी होंगी और उसका लाभ भी जनता को मिलेगा।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कनेक्शन देने की जो घोषणा की है, सभापति महोदय, निश्चित रूप से वे साधुवाद की पात्र हैं। ग्रामीण अंचल के अन्दर विद्यार्थियों को जो बिजली के अभाव में उनकी योग्यता के अनुसार उनका चयन नहीं हो पा रहा, उसमें भी लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2003 से लेकर 2008 की जो सरकार रही, उस समय भी फीडर सुधार के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय कार्य किया था और आज उसी का परिणाम है कि गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी 22 से 24 घंटे घरेलू बिजली आम आदमी को मिल पा रही है। इस क्षेत्र में, सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वोल्टेज की समस्या है। कई जी एस एस आज भी स्थापित करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से, जो जी.एस.एस. एक तो गुडल्या के अन्दर और एक सिंगोद के अन्दर और बनाने की आवश्यकता है। आने वाले समय के अन्दर बिजली के क्षेत्र में काम करने के लिए और बहुत व्यापक आवश्यकता है। आने वाले समय में, सभापति महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जो आवेदन करता है, उस आवेदन करने वाले व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन मिले, इसका प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि बिजली की जो भी व्यक्ति चोरी करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन, सभापति महोदय, होता क्या है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को तो पनिशमेंट मिलता नहीं है, जो ईमानदारी से बिल का भुगतान करता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। सभापति महोदय, कई कनेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने आज दिन तक बिजली का कोई बिल जमा नहीं कराया। अब सरकार उनके खिलाफ या विभाग

(श्री रामलाल शर्मा)

उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन, सभापति महोदय, कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके मीटर का बिल खराब होने की वजह से विभाग को उन्होंने सूचना दी, सूचना के साथ उसने रिसीप्ट भी ले ली, विभाग उनके मीटर को चेंज करने का काम करता नहीं है और उनकी वी.सी.आर. भरी जाती है। उसके लिए उपभोक्ताओं को कई बार जे.ईएन. कार्यालय में, ए.ईएन. कार्यालय में, एक्स.ईएन. कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि जिस प्रकार से पूर्व के अन्दर एक्स.ईएन. स्तर पर जो एक विजिलेंस कमेटी बना सकती थी, उसका चाहे आप 25 हजार, 20 हजार, 15 हजार, जितना भी आप निर्धारित करें कि इतने हजार तक के प्रकरणों का निस्तारण एक्स.ईएन. स्तर के ऊपर होगा, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत भी मिलेगी। चाहे वह निर्धारण 20 हजार रुपये का कर दें, चाहे 25 हजार कर दें, चाहे 30 हजार रुपये तक कर दें, यदि 20 और 25 हजार रुपये तक के बिलों की अगर कोई त्रुटि है तो उनका निर्धारण एक्स.ईएन. स्तर पर होगा, तो उससे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, उन किसानों का लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि अभी शहरी क्षेत्रों के अन्दर बिजली विभाग के अधिकारी कालोनियों को विद्युतीकृत करने के नाम पर एक-एक उपभोक्ता को एक-एक लाख रुपये का डिमांड नोटिस दे रहे हैं। सभापति महोदय, अगर पूरी कालोनी को आप विद्युतीकृत करते हों, तो आप एक लाख रुपये भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पोल तो एक लगाओगे, तार दो खींचोगे, अगर उसके भी एक लाख रुपये एक शहरी, जैसे एक कालोनी के अन्दर दो मकान बने हुए हैं और वहां पर अगर एक-एक, दो-दो लाख रुपये के डिमांड नोटिस जमा कराने लग गये तो मेरे ख्याल से उनके बूते की बात नहीं है। उनकी जमीन बेचकर या खुद के गहने बेचकर ही जमा करा सकते हैं। इस क्षेत्र के अन्दर भी इस नीति की एक बार पुर: समीक्षा करने की आवश्यकता है। नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो कालोनियां थोड़ी बहुत, जो आधे बीघा या एक बीघा के अन्दर विकसित हो रही हैं, उनके ऊपर उस लागत के अनुपात में जो आप पैसे का डिमांड नोटिस भेज रहे हों, वह सम्भव नहीं है कि इतना पैसा वे जमा करा सकें। इसलिए इसकी भी समीक्षा की एक आवश्यकता है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। आबादी का जो घनत्व बढ़ रहा है और जिस तरीके से शहर में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गांवों की आबादी खाली हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव दूंगा, जयपुर के अन्दर आये दिन जिस तरीके से सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि मैट्रो में जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका अगर 20 परसेंट पैसा भी जयपुर को केन्द्र बिन्दु रखते हुए जी एम यू ट्रेन पर खर्च करें तो आने वाले जो किसान और व्यापारी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो जयपुर से 50 किलोमीटर की परिधि में अप-डाउन करते हैं, चाहे जयुपर से लेकर दौसा हो, चाहे जयपुर से लेकर रींगस हो, चाहे जयपुर से लेकर फुलेरा हो, चाहे जयपुर से चाकसू हो, सभापति महोदय, इसमें पटरियां बिछी हुई हैं, सिर्फ रेलवे स्टेशन डवलप करने की आवश्यकता है। इसमें अगर डी एम यू ट्रेन चलती है, अप-डाउन, दिन भर के लिए, तो निश्चित रूप से यातायात का जो दबाव सड़कों पर आ रहा है और जो दुर्घटनाएं घटित होती हैं, निश्चित रूप से उनके अन्दर भी कमी आयेगी और आम जनता को उसका लाभ भी मिल पायेगा।

सभापित महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। वर्तमान में जिस स्थिति के अन्दर सरकार ने काम किये हैं, प्रदेश के चिकित्सालयों की स्थिति देखें जो पूर्ववर्ती सरकार छोड़कर गयी थी, ग्रामीण अंचल के अन्दर कोई भी चिकित्सक पी.एच.सी. के अन्दर लगा हुआ नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को और हमारे मंत्री महोदय को कि उन्होंने आने के बाद में लगभग एक हजार से अधिक मेडिकल आफिसर्स की भर्ती करके ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने का काम किया है। जिस तरीके से, सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि जयपुर के एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर पहली बार जो अंग-प्रत्यारोपण किया गया, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा पूरे भारतवर्ष के अन्दर हुई है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र में और अधिक सक्रियता निभाने की बात कही है, सभापति महोदय, आने वाले समय के अन्दर जयपुर का एस एम एस हास्टिपल, जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हास्पिटल है, इसमें एक सुझाव, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस एस.एम.एस. हास्पिटल पर दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए 30 किलोमीटर की परिधि में जितनी भी सी.एच.सीज.

(श्री रामलाल शर्मा)

हैं, उन सब सी.एच.सीज. को डवलप करने की आवश्यकता है। अगर वहीं पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो, सभापति महोदय, जयपुर के एस.एम.एस. पर दबाव भी कम होगा और आमजन में दुर्घटनाओं के समय जो पहुंचने में समय लगता है एक घंटे का और एक घंटे के समय की अवधि के अन्दर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके प्राण बच सकते थे, सभापति महोदय, आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा भी होगा, जैतपुरा में जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ उसमें पांच लोगों की मौत हुई, अगर समय पर उनको उपचार मिल जाता तो बच सकते थे। एस.एम.एस. पहुंचते-पहुंचते उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगर आस-पास के 30 किलोमीटर की जो सी.एच.सीज. हैं, उन सी.एच.सीज. को डवलप करके वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो निश्चित रूप से एस.एम.एस. पर दबाव भी कम होगा ओर लोगों की दुर्घटनाओं के अन्दर जो अकाल मौत होती हैं, उन मौतों के अन्दर भी कमी आयेगी।

एक अंतिम निवेदन और, सभापति महोदय, आपके माध्यम से करना चाहूंगा। माननीया मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट के अन्दर वह बात नहीं की जो अभी विगत कुछ दिनों पहले राजस्थान के कई गांवों का और कई किसानों को लाभ देने वाला काम है। सभापति महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा, कांग्रेस की सरकार 2010 के अन्दर उनकी सड़कों के ऊपर रोक लगाकर चली गयी थी। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पुन: उनके द्वारा इस रोक को हटाकर और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर की सड़कें, जो कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा स्वीकृत हुई हैं, वह इस दस्तावेज के अन्दर उन्होंने बात नहीं कही। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि कृषि विपणन बोर्ड से बनने वाली सड़कों की स्वीकृतियां जारी कराकर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर उन सड़कों का काम भी होना शुरू हुआ है और आज किसान को अपनी सब्जी या फसल को मण्डी तक लाने के लिए जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन परेशानियों का सामना करना भी दूर हुआ।

सभापति महोदय, एक गौरव पथ की और मिसिंग सड़कों की जो बात इस बजट घोषणाओं के अन्दर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है, निश्चित रूप से पिछली बार जो गौरव पथ शहरों के अन्दर बने थे, आज भी उनकी गुणवत्ता इतनी मजबूत है कि आज भी वे गौरव पथ कहीं पर भी डेमेज्ड नहीं हैं। मैं

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि गौरव पथ और मिसिंग सड़कें जो भी बनें, वे गुणवत्ता के साथ, मजबूती के साथ बनें ताकि आने वाले समय में भी लोगों को उनका फायदा मिल सके।

सभापति महादेय, एक मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वह चिंता जाहिर की है और उसके लिए सात करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान भी रखा है, जिस तरीके से फसलों में और सब्जियों में रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी है कि जैविक खेती को विकसति करने के लिए और उसको गति देने का काम हमारी सरकार करेगी। सभापति महोदय, निश्चित रूप से जिस तरीके से रासायनिक उपयोग की वजह से आदमी विभिन्न प्रकार के साइड- इफेक्ट पड़ने से बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और उनमें जिस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, इसके ऊपर निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए और आने वाले समय में जैविक खेती को विकसित करने के लिए हम और क्या–क्या उपाय कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता के साथ करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो 2015-16 का बजट पेश किया है, यह निश्चित रूप से धरातल पर उतरने वाला बजट है और आने वाले समय के अन्दर इस बजट का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपकी सूची इतिश्री हो गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 11 मार्च 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.22 बजे बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले के गावों में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

100. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ग्रामीण बस सेवा डूंगरपुर से बिजूडा वाया शिशोद, गामडी देवल, देवल खास पालपादर वाया सेरावाड़ा-बोखला साबली-घूघरा-सुन्दरपुर व सुरपुर संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। निगम की ग्रामीण बस सेवा डूंगरपुर से बिजूडा वाया शिशोद, गामडी, देवल, देवल खास पालपादर वाया सेरावाड़ा-बोखला साबली-घूघरा-सुन्दरपुर व सुरपुर मार्ग पर राजस्थान परिवहन निगम के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण वाहन संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

स्थगित प्रश्न संख्या-8

(दिनांक 26 फरवरी, 2015)

(स्थगित)

प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को अनाज आपूर्ति

101. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को अनाज की आपूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को कितना अनाज देने का प्रावधान है? वर्ष 2014 में उक्त परिवारों को जिलेवार कितना अनाज आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में बी.पी.एल. परिवार को प्रति व्यक्ति कितना केरोसीन तेल उपलब्ध कराने का प्रावधान है तथा वर्तमान में कितना तेल प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रावधानानुसार बी.पी.एल. परिवारों को पात्र लाभार्थियों के रूप में 05 किग्रा. प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराया जा रहा है। दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 से खाद्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सुरक्षा योजना लागू होने के पश्चात बी.पी.एल. परिवारों को पृथक से खाद्यान्न (गेहूं) का आबंटन नहीं किया जा रहा है।

(2) बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं (बी.पी.एल. परिवार सहित) को माह दिसम्बर, 2014 तक 3 लीटर प्रति राशन कार्ड तथा माह जनवरी, 2015 से 4 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह केरोसीन उपलब्ध कराया जा रहा है।

खण्डेला के गांवों में फ्लोराइड-रहित पेयजल की आपूर्ति

102. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में किन-किन ग्राम पंचायतों में पेयजल में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत फ्लोराइड की मात्रा है और किन-किन ग्राम पंचायतों में पेयजल में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में फ्लोराइड है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में फ्लोराइड-रहित शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व सरकार की इस सम्बन्ध में कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कुल सम्मिलित 149 आबाद राजस्व ग्रामों में से 137 ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा (1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर) की सीमा में है । क्षेत्र के शेष 12 ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक है । ग्राम पंचायत/ ग्रामवार वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न हैं।

(2) जी हां । क्षेत्र के उक्त फ्लोराइड प्रभावित 12 ग्रामों में से 4 ग्रामों में डी-फ्लोरीडेशन यूनिट लगाकर फ्लोराइड की निर्धारित मानक मात्रा अनुरूप सही गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाकर लाभान्वित कर दिया गया है । क्षेत्र के शेष 8 ग्रामों हेतु तकनीकी सम्भाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की उपलब्धतानुसार प्रस्ताव बनाये जाकर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

103. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से एवं उक्त योजना के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014 में अजमेर जिले में कितने श्रमिकों को उक्त योजनान्तर्गत चिह्नित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत अजमेर जिले के किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? उन्हें कितनी-कितनी बीमा राशि की सहायता दी गई? नाम एवं पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2012-13 से मनरेगा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों व बीड़ी श्रमिकों के लिए लागू की गई। नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी तथा एल एण्ड टी इंश्योरेन्स के माध्यम से क्रमश: राज्य के 25 व 8 जिलों में उपरोक्त वर्ग के श्रमिकों से 30 रुपये प्रति श्रमिक शुल्क लिया जाकर उनका नामांकन कर एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। स्मार्ट कार्ड में श्रमिक एवं उसके परिवार के 4 सदस्यों का विवरण अंकित होता है। बीमा कम्पनियों द्वारा समस्त जिलों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निजी व सार्वजनिक अस्पतालों का एम्पनलमेन्ट किया जाता है। एम्पैनल किये गये अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा नामांकित हिताधिकारी एवं परिवार के 4 सदस्यों को 30000 रुपये वार्षिक की सीमा तक अस्पताल में भर्ती होने पर योजना की अनुसूची में वर्णित बीमारियों के लिए देय है। यह योजना पेपरलेस, कैशलेस एवं पोर्टेबल है, अर्थात् कार्ड का उपयोग प्रदेश एवं देश में सभी एम्पैनल्ड अस्पतालों में किया जाकर इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। स्मार्ट कार्ड की वैधता एक

(श्रम राज्य मंत्री)

वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील है। बीमा कम्पनियों को देय प्रीमियम का 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा एवं 75 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर को डिस्ट्रिक्ट की-मैनेजर (डीकेएम) बनाया गया है।

(2) योजना का द्वितीय चरण, जिसकी अवधि 1.6.2013 से 18.12.2014 थी, में अजमेर जिले में 111,397 श्रमिकों (104,791 मनरेगा श्रमिक, 687 निर्माण श्रमिक एवं 5,919 बीडी श्रमिक) को नामांकित किया जाकर स्मार्ट कार्ड जारी किये गये हैं।

(3) लाभान्वित किये गये हिताधिकारियों का विवरण विधान सभा क्षेत्र अनुसार संधारित नहीं किया जाता है। यह विवरण उपखण्ड के ब्लाक्स के अनुसार संधारित किया जाता है। किशनगढ़ उपखण्ड के अराई व सिलोरा ब्लाक के 97 पंजीकृत हिताधिकारियों द्वारा एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज की सुविधा का लाभ उठाया गया है जिसके लिए नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा 7,13,623 रुपये की क्लेम राशि का भुगतान विभिन्न अस्पतालों को किया गया है। पंजीकृत लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

List of Claim of RSBY Beneficiaries

S. No.	Block Name	Patient Name	Address	Amount Claim
1	Arai	Sayari	SHANKARPURA KALANADA	2500
2	Arai	Manor Devi Naryana Kalu Ram Surma	JORAVARPURA GOTHIYANA	5250
3	Arai	Sayar Mali	AARI	10000
4	Arai	Manor Devi Naryana Kalu Ram Surma	JORAVARPURA GOTHIYANA	9000
5	Arai	Kanchan	SHANKARPURA KALANADA	5500
6	Arai	Kanchan	SHANKARPURA KALANADA	2250
7	Arai	Anil Kumar	AARAI	7000
8	Arai	Anil Kumar	AARAI	3750
9	Arai	Family of	AAKODIYA	11250
10	Arai	Narender Singh Daroga	BHARALA DEVPURA	2000

S. No.	Block Name	Patient Name	Address	Amount Claim
11	Arai	Suman	AARAI	1500
12	Arai	Sayari	SHANKARPURA KALANADA	3750
13	Arai	Kamla Devi	SIROI	13250
14	Arai	Vivek	AARAI	14000
15	Arai	Gopal Jaat	MANDI-YAVADKHURD DAUSK	7000
16	Arai	Sayari	SHANKARPURA KALANADA	20000
17	Arai	Manbhar	CHOSLA DEVPURA	18000
18	Arai	Naresh	AARAI	20000
19	Arai	Shivdyal Reagr	THASUK DASUK	9500
20	Arai	Ashok	KATSURA	3750
21	Arai	Siyaram Kamand	GUJARVADA MANOHARPUR	7500
22	Arai	Family of	SADAPURA BEEDLA	6000
23	Arai	Ashok	KATSURA	12000
24	Arai	Gita Prajapat	KATSURA	12500
25	Silora	Gopiram	NAVA	637
26	Silora	Three	GORDHANPURA BARNA	637
27	Silora	Sakuntla	BUHARU	1250
28	Silora	Rukma Devi	BUHARU	2500
29	Silora	Barji Devi	BUHARU	1000
30	Silora	Three	GORDHANPURA BARNA	850
31	Silora	Golib Devi	KAREDI	1000
32	Silora	Shatyanarayan	MUNDOTI NALU	12000
33	Silora	Laxma	BANDARSINDRI	2500
34	Silora	Nanna	AMARPURA	1000
35	Silora	Nanna	AMARPURA	2250
36	Silora	Mandor	KATHA KADA	6000
37	Silora	Ritesh	BUHARU	850
38	Silora	Radhakishan	MUNDOTI NALU	1000
39	Silora	Endra	BALAPURA KADA	15000
40	Silora	Gopiram	NAVA	850
41	Silora	Nanna	AMARPURA	16000
42	Silora	Ganpat Yadav Ghisa Yadav	PATAN	5500

S. No.	Block Name	Patient Name	Address	Amount Claim
43	Silora	Indara	BALAPURA KADA	10476
44	Silora	Raadheshyam	UDAYPURA KALA SELORA	850
45	Silora	Manhor	BALAPURA KADA	6000
46	Silora	Sampatee	AMARPURA	9500
47	Silora	Laxmi	RARI SARGAON	6000
48	Silora	Chotu Lal	TIHRI DIDWARA	850
49	Silora	Ramaniwash Bhabi	BANDARSINDRI	1000
50	Silora	Kishanlal	SILORA	4500
51	Silora	Raadheshyam	UDAYPURA KALA SELORA	850
52	Silora	Sakuntla	BUHARU	1874, 444444
53	Silora	Mansun	MUNDOTI NALU	14000
54	Silora	Kali Devi	BALAPURA KADA	18000
55	Silora	Kishan	HARMADA	5000
56	Silora	Three	GODHANPURA BARNA	6000
57	Silora	Chotu Lal	TIHARI DIDWARA	850
58	Silora	Gamla	BALAPURA KADA	18000
59	Silora	Manohar Lal Shamram	KUCHIL	1000
60	Silora	Rekha	BANDARSINDRI	1000
61	Silora	Vishram Lal	TILONIYA	17000
62	Silora	Ramdhan Thepdiya	BANDARSINDRI	1500
63	Silora	Sakuntla	BUHARU	3000
64	Silora	Suresh	MUNDOTI NALU	850
65	Silora	Dipak	MALIYO KI BADI MA KE BARI	3000
66	Silora	Ganpat Yadav Ghisa Yadav	PATAN	5000
67	Silora	Jetendar	SURSURA	6000
68	Silora	Nayna Bano	KAKNIYAVAS BUHARU	1000
69	Silora	Mansun	MUNDOTI NALU	5625
70	Silora	Girdhaari	SARGAV	5000
71	Silora	Shankar Lal	BHUNVADA TEEKAWADA	18000
72	Silora	Mahendra Kumar Sunarival	KUCHIL	18000

S. No.	Block Name	Patient Name	Address	Amount Claim
73	Silora	Sarju	TILONIYA	5250
74	Silora	Suraj Karan	MANDAVRIYA TEELONIYA	850
75	Silora	Kanaram	DIDVADA	3000
76	Silora	Sarju	TILONIYA	18000
77	Silora	Sartben	TITYARI PINGLOD	16000
78	Silora	Shita	BALAPURA KADA	18000
79	Silora	Sita Dabe	MALIYO KI BADI MA KE BARI	5000
80	Silora	Ranjit	RARI SARGAON	6000
81	Silora	Saroj	SINODIYA	15000
82	Silora	Muli	KHANDACH DIDWARA	22000
83	Silora	Parmeshar	AMARPURA	850
84	Silora	Mamta	BURJUPA KUCHIL	6000
85	Silora	Mukash	MALIYO KI BADI MA KE BARI	12500
86	Silora	Shrira	RAMPURA BUHARU	1000
87	Silora	Ratni Devi	DUDVADA	18000
88	Silora	Gora Devi	TIKAVDA	6000
89	Silora	Ram Kaniya	BALAPURA KADA	18000
90	Silora	Laximan	BALAPURA KADA	7000
91	Silora	Lali	BALAPURA KADA	16000
92	Silora	Hemraj	HARMADA	3000
93	Silora	Bhawridevi	MUNDOTI NALU	12500
94	Silora	Pratap Singh	KATHA KADA	2500
95	Silora	Rajandara	MANDAVRIYA TEELONIYA	9375
96	Silora	Rajandara	MANDVRIYA TEELONIYA	18000
97	Silora	Lali	BALAPURA KADA	6000
			Total	**713624.4444**

अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (श्रम)
राजस्थान जयपुर।

अलवर जिले में पंचायत मतदाता सूची में अनियमितताएं

104. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाये जाने में अधिकांश बी.एल.ओ. द्वारा भारी अनियमितताएं की गई हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने प्रकरण बी.एल.ओ. के विरुद्ध मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के सम्बन्ध में अनियमितताओं के दर्ज हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के ग्राम सेमलाखुर्द में मतदाता सूची में 18 वर्ष से कम उम्र के 30 से अधिक स्कूली बच्चों के नाम जोड़े गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में बी.एल.ओ. के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या यह सही है कि बी.एल.ओ. द्वारा इस सूची में ऐसे नाम भी जुड़वाये गये हैं जिन्हें विधान सभा चुनावों के दौरान हटा दिया गया था?

(4) क्या यह भी सही है कि बी.एल.ओ. द्वारा एक वर्ष में ही 500 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गये हैं?

(5) क्या सरकार रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सभी मतदाता सूचियों की जांच करवाकर 18 वर्ष से कम उम्र के एवं मृतक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाये जाने में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में बाड़मेर जिले में पांच प्रकरण, ग्राम देई जिला बूंदी में मतदाता सूची में नाम छुटने का एक प्रकरण तथा ग्राम पंचायत सेमला खुर्द पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाये जाने में बी.एल.ओ. द्वारा लापरवाही बरतने का एक प्रकरण दर्ज हुआ है।

(2) जी हां । अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पं.सं. के ग्राम सेमलाखुर्द में मतदाता सूची में 18 वर्ष से कम उम्र के 30 से अधिक स्कूली बच्चों के नाम जोड़े गये हैं । उक्त प्रकरण में बूथ लेवल अधिकारी श्री आजाद खां, पैराटीचर रा.उ.प्रा.वि. सेमलाखुर्द को दिनांक 10.1.2015 को निलम्बित कर दिया गया है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। बी.एल.ओ. द्वारा एक वर्ष में ही 500 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गये हैं।

(5) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 में निर्वाचक नामावली को निरस्त्त अधतन किये जाने का प्रावधान है । यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्वयं की जानकारी पर या उसको किये गये आवेदन से यह समाधान होता है कि नियम 20 के तहत निर्वाचन नामावली को संशोधित किया जाना है तो वह अपेक्षित संशोधन करने के लिए सक्षम है ।

खण्डार में वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी

105. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डार में वन क्षेत्र के आस-पास बसे हुए गांवों में वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा हेतु खेतों की तारबंदी करने के लिए ग्रामवासियों को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा हेतु खेतों की तारबन्दी की जाने के लिए ग्रामवासियों को अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रदेश में देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

106. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा देवनारायण योजना के तहत कुछ घोषणाएं की गयी थीं? यदि हां, तो क्या व कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना की समीक्षा की गई है? यदि हां, तो समीक्षा में क्या-क्या तथ्य सामने आये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) देवनारायण योजना के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में वर्षवार स्वीकृत राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री महोदया की वर्ष 2014-15 बजट घोषणा संख्या 66 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार बजट घोषणा निम्न प्रकार है: "अगले पांच वर्षों के लिए Infrastructure Gaps के विकास के लिए देवनारायण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करती हूं।"

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु संचालित कार्यक्रमों की मानिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय मानिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति की बैठक माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में दिनांक 6.11.2014 को आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) देवनारायण योजनान्तर्गत आरम्भ वर्ष 2008-09 से 2014-15 (जनवरी, 2015) तक वर्षवार स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	व्यय राशि (करोड़ों में)
2008-09	20.31	19.18
2009-10	26.67	23.61
2010-11	43.17	33.81
2011-12	50.74	44.92
2012-13	119.12	103.40
2013-14	110.48	99.92
2014-15	129.95	78.55 (जनवरी, 2015 तक)

परिशिष्ट-अ

माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु संचालित कार्यक्रमों की मानिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय मानिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति की बैठक माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2014 को दोपहर 12.00 बजे शासन सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन के

रूम नं. 19 में बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	बैठक में लिये गये निर्णय
1	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत योजना के मूल दिशा-निर्देशानुसार ही क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रोत्साहन राशि का लाभ 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिये जाने का निर्णय लिया गया एवं स्कूटी योजना के आवेदन पत्र में ही इस प्रकार की व्यवस्था की जावे कि स्कूटी के लिए मेरिट में नहीं आने पर वो आवेदन पत्र प्रोत्साहन राशि के लिए मान्य किया जावे।
2	देवनारायण गुरूकुल योजना जो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है इस सम्बन्ध में स्कूलों के चयन एवं विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में वर्ष 2015-16 से नई गाइडलाइन बनाकर ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2014-15 में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 350 विद्यार्थियों की प्रवेश सूची जारी की है शेष 150 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया गया।
3	गुरूकुल योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा 527 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु परिणाम जारी किया है। जिसके लिए गुर्जर प्रतिनिधियों द्वारा 500 के स्थान पर 527 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की मांग की गई। इस संदर्भ में केवल 2014-15 के लिए 500 के स्थान पर 527 को प्रवेश दिये जाने का निर्णय वित्त विभाग से सहमति मिलने की शर्त पर लिया गया।
4	गुरूकुल योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में विधवा, परित्यकता, बीपीएल परिवार के 300 विद्यार्थियों को 500 के अतिरिक्त प्रवेश दिलवाये जाने की गुर्जर प्रतिनिधियों की मांग के सम्बन्ध में पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की हुई है, इस पर वित्त विभाग की सहमति के उपरांत शीघ्र कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया।
5	देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में जिन विभागों के भवन निर्माण कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं हुए हैं उनमें गति लाकर सम्बन्धित विभाग निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करावें।

क्र. सं.	बैठक में लिये गये निर्णय
6	जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु जिला परिषद द्वारा भूमि आबंटन कर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वहां शीघ्र भूमि आबंटित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायें।
7	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करवाया जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्रों में केवल राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही लम्बित हैं। जिनमें शीघ्र मान्यता सम्बद्धता सम्बन्धी कार्य शीघ्र करवाकर निस्तारण कराया जायेगा तथा राज्य से बाहर अन्य राज्यों में राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं का वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होने के बारे में विचार विमर्श कर वेरिफिकेशन नहीं कराने का निर्णय लिया गया।
8	देवनारायण आवासीय विद्यालय भीलवाड़ा का संचालन वर्ष 2014-15 से करने हेतु महिला अध्यापकों का पदस्थापन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी सान्याअवि द्वारा अध्यापिकाओं के नाम प्रस्तावित कर सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित की जावेगी।
9	देवनारायण योजनान्तर्गत अलवर में निर्माण कराये जाने वाले छात्रावास भवन हेतु शीघ्र उपयुक्त भूमि आबंटित कराये जाने अथवा आबंटित भूमि पर समझाइश के बाद शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने का निर्णय हुआ।
10	बयाना गर्ल्स कालेज जो कि वर्तमान में कालेज शिक्षा विभाग द्वारा किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है उसमें आवश्यक कमरे एवं सुविधाओं का अभाव होने के कारण उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में कालेज का भवन बनने तक वर्तमान में जो राजकीय विद्यालय भवन अभी खाली हुआ है उसमें शिफ्ट करवाकर संचालन करवाने का निर्णय लिया गया। आयुक्त कालेज शिक्षा जिला कलक्टर भरतपुर को पत्र लिखकर कालेज को राजकीय विद्यालय भवन जो अभी खाली हुआ है उसमें शिफ्ट करवायेंगे।

क्र. सं.	बैठक में लिये गये निर्णय
11	छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास बयाना (भरतपुर) के भवन निर्माण हेतु भूमि का आबंटन अभी तक नहीं हुआ है। इस संदर्भ में जो प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन है उन पर शीघ्र निर्णय कर भूमि आबंटित की जावे।
12	देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित सभी योजनाओं में सम्बन्धित विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर नाम, पद मोबाइल नम्बर ई-मेल आई.डी., फैक्स नम्बर सहित सूचना सान्याअवि को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
13	देवनारायण योजनान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह नियमित रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये।
14	देवनारायण 10 मोबाइल यूनिट के लिए 255 लाख रुपये एवं 10 मोबाइल यूनिटों के संचालन हेतु 200 लाख रुपये स्टाफ वाहन क्रय करने हेतु मेडिकल विभाग के द्वारा मांग की गई। उक्त 200 लाख रुपये के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
15	गुर्जर प्रतिनिधियों के द्वारा अग्रस्त 2013 में स्वीकृत 7 आवासीय विद्यालय क्रमश: देवडूंगरी (पाली), गुडला (करौली), मेहरडा गुर्जरवास (खेतडी) झुंझुनूं, केकड़ी (अजमेर), भृर्तहरि (अलवर), आननपुरा (करौली), चौथ का बरवाडा तहसील (खंडार) सवाई माधेपुर एवं 6 छात्रावास क्रमश: बेगूं (चित्तौड़गढ़), कोटा, कुचामन सिटी (नागौर), चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) कोटा एव गुढामालानी (बाड़मेर) के भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कराने की मांग की गई इस पर विचार कर उक्त कार्यों का परीक्षण करवाकर वित्तीय स्वीकृति के लिए निर्णय लेने हेतु कहा गया।
16	आवासीय विद्यालय भीलवाड़ा के संचालन हेतु कक्षा 6 से 8 तक के लिए सुविधा की दृष्टि से दो अध्यापिकाओं का नाम यदि जिलाधिकारी, सान्याअवि, भीलवाड़ा द्वारा तय कर स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया जाता है तो शीध्र ही पदस्थापन आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
17	25000 कि.ग्रा. की क्षमता का डेयरी प्लांट खेतड़ी जिला झुंझुनूं का निर्माण कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाया है। बैठक में आरसीडीएफ के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान में प्लांट में सिविल कार्य प्रगति पर है जिसे एक वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। उसके पश्चात मशीन स्थापना की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर संचालन करवाया जा सकेगा।

पाली जिले में कृषकों को दिये गये ऋण का बीमा

107. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण हेतु किस-किस प्रकार का बीमा किया जाता है तथा बीमे का प्रीमियम वसूलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण कब, किस स्तर से एवं किस दर से दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला पाली में कृषकों को दिये गये ऋण का बीमा किस-किस कम्पनी द्वारा किया गया तथा कितना-कितना प्रीमियम किसानों से वसूल किया गया तथा किस नियम के तहत किसके आदेश से डबल बीमा किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(5) क्या सरकार कृषकों से डबल वसूली की गई राशि वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने वाले फसली ऋणों पर फसल बीमा योजनाएं यथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू हैं। योजनान्तर्गत कृषि विभाग की अधिसूचना अनुसार फसलों को सम्भावित नुकसान के मध्यनजर ऋणी सदस्यों की फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। उक्त फसल बीमा विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता है। बीमे का प्रीमियम कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कृषकों से लिया जाकर सम्बन्धित बीमा कम्पनी को भिजवाया जाता है। फसल बीमा के अतिरिक्त ऋणी कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रत्येक ऋणी कृषक सदस्य हेतु रु. 8.11 प्रति वर्ष प्रीमियम पर राशि रु. 50,000/- का दुर्घटना बीमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी के माध्यम से एवं सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत राशि

(सहकारिता राज्य मंत्री)

रु. 4.40/- प्रति हजार प्रति ऋणी कृषक सदस्य (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) प्रीमियम पर भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर के माध्यम से जीवन बीमा उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्य कृषकों को ब्याजमुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत राशि 1.50 लाख रुपये तक अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर समय पर ऋण का चुकारा करने वाले कृषकों से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जा रहा है। ब्याजमुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत देय ब्याज दर 7 प्रतिशत में से समय पर चुकारा करने वाले कृषकों हेतु 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

राशि 1.50 लाख रुपये से अधिक राशि 3.00 लाख रुपये तक का फसली ऋण किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सीधे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उक्त ऋण पर देय ब्याज दर 7 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा उन कृषकों को दिया जाता है जो समय पर ऋण का चुकारा करते हैं एवं शेष 4 प्रतिशत ब्याज ऋणी कृषक द्वारा वहन किया जाता है।

(3) जिला पाली में कृषकों को दिये गये फसली ऋण हेतु फसल बीमा कृषि विभाग की अधिसूचनानुसार फ्यूचर जनरली इंण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि., से सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली द्वारा करवाया गया है। किसानों से खरीफ फसल 2014 में फसल बीमा हेतु राशि 5,92,37,785 रुपये का प्रीमियम एवं रबी फसल 2014-15 हेतु राशि 5,59,34,975 रुपये का प्रीमियम कृषक सदस्यों से प्राप्त कर बीमा कम्पनी को प्रेषित किया गया। उक्त बैंक के कार्यक्षेत्र में डबल फसल बीमा करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(4) जी नहीं।

(5) कृषकों से डबल राशि की वसूली नहीं की गई है।

अनूपगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

108 . श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती शिमला बावरी)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ की विभिन्न सडकें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों का पुन:निर्माण/पैचवर्क का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन सड़कों का व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें से नान-पैचेबल एवं पैचेबल सड़कों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों को छोड़कर शेष सड़कों की स्थिति संतोषजनक है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कुल 740.94 कि.मी. लम्बाई की सड़कें हैं। इनमें से 299.67 कि.मी. लम्बाई की सड़कें गारण्टी अवधि (डी.एल.पी.) में हैं एवं 441.27 कि.मी. सड़कें नान-डी.एल.पी. में हैं। गारण्टी अवधि वाली सड़कों का पैच मरम्मत/रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित संवेदकों द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जा रहा है।

441.27 कि.मी. नान डी.एल.पी. सड़कों में से 279.37 कि.मी. लम्बाई की सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं।

शेष 161.90 कि.मी. सड़कों में से 63.90 कि.मी. सड़कें नान-पैचेबल श्रेणी में हैं एवं 98.00 कि.मी. सड़कें पेच मरम्मत योग्य हैं।

नान-पैचेबल सड़कों में से 25.55 कि.मी. की पांच सड़कें राशि रुपये 306.00 लाख के लिए आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में नवीनीकरण हेतु स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में निविदा-प्रक्रियाधीन हैं। शेष 38.35 कि.मी. की 8 नान-पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

98.00 कि.मी. पैचेबल सड़कों के पैच मरम्मत कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। इन सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य आगामी 2 माह में करवा दिये जायेंगे। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की नान-पैचेबल सड़कों का विवरण

क्रम सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (कि.मी.)	नवीनीकरण हेतु अनुमानित लागत (रु. लाख)	अंतिम नवीनी करण वर्ष	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	लिंक रोड 64 जीबी से 5 यूडीएम विलेज रोड 12	ग्रामीण सड़क	11.00	132.00	2003-04	आर आइ डी एफ 20 में नवीनी करण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन
2	लिंक रोड 27ए से 14 के	ग्रामीण सड़क	7.00	84.00	2003-04	
3	लिंक रोड 17 केडी	ग्रामीण सड़क	2.00	24.00	2003-04	
4	रावला-रोजड़ी रोड से 2 पीएम-।। बी	ग्रामीण सड़क	3.25	39.00	2003-04	
5	लिंक रोड 297 आरडी, ब्रिज से 5 केडी-2 केडी, 3 केडी	ग्रामीण सड़क	2.30	27.60	2003-04	
		योग	**25.55**	**306.60**		
6	लिंक रोड 5 एमडी-4 एमडी (ग्रामीण सड़क संख्या 27)	ग्रामीण सड़क	5.20	60.00	2002-03	-
7	लिंक रोड 3 केडी-7 केडी	ग्रामीण सड़क	5.00	60.00	2002-03	-

1	2	3	4	5	6	7
8	लिंक रोड 5ए से 6ए (ग्रामीण सड़क संख्या 23)	ग्रामीण सड़क	4.00	48.00	2003-04	-
9	लिंक रोड 2 पीएसडी-बी	ग्रामीण सड़क	2.60	31.20	2003-04	-
10	लिंक रोड 4 केएलएम. (ए व बी) रावला-खाजूवाला	ग्रामीण सड़क	5.00	60.00	1999-2000	-
11	लिंक रोड 3 एनडी वाया बरोर फार्म	ग्रामीण सड़क	10.05	120.60	2002-03	-
12	लिंक रोड रावला राजेड़ी रोड से 13 आरेजडी	ग्रामीण सड़क	3.50	42.00	2004-05	-
13	लिंक रोड 61 जीबी, 62 जीबी-बी	ग्रामीण सड़क	3.00	36.00	2000-01	-
		योग	**38.35**	**457.80**		
		कुल योग	**63.90**	**764.40**		

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की वर्तमान में मरम्मत योग्य (पैचेबल) सड़कों का विवरण

क्रम सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	रावला-खानूवाली रोड 0/0 से 20/0	अन्य जिला सड़क	20.00	3.00	निविदा प्रक्रियाधीन

क्रम सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
2	ग्रामीण सड़क संख्या 13 किमी 0/0 से 15/000	ग्रामीण सड़क	15.00	4.00	
3	ग्रामीण सड़क संख्या 2-3 आरेजएम	ग्रामीण सड़क	3.40	2.00	
4	लिंक रोड अनूपगढ़ नाहरावाली रोड से 6 एनडी	ग्रामीण सड़क	2.50	1.50	
5	रावला-रोजड़ी रोड किमी 0/0 से 21/0	अन्य जिला सड़क	21.00	7.35	
6	लिंक रोड 1 केएनम-।।-ए	ग्रामीण सड़क	2.75	0.96	
7	लिंक रोड 8 केएनडी-ए	ग्रामीण सड़क	2.80	0.98	
8	लिंक रोड 2 आरकेएम से 12 एमएलडी	ग्रामीण सड़क	6.25	2.19	
9	लिंक रोड 1 एमडी	ग्रामीण सड़क	2.50	0.88	
10	लिंक रोड सतराना-एमडी कैनाल, 11-12 आरडी. से 5 एमडी	ग्रामीण सड़क	3.75	1.31	
11	घड़साना-गोमवाली से 17 एलएम.	ग्रामीण सड़क	3.75	1.31	
12	लिंक रोड 2 पीएसडी-बी	ग्रामीण सड़क	2.60	0.91	
13	लिंक रोड 71 जीबी	ग्रामीण सड़क	2.20	1.75	
14	लिंक रोड रावला-राजेड़ी रोड से 13 आरेजडी	ग्रामीण सड़क	3.50	1.23	

क्रम सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
15	लिंक रोड 12 एच	ग्रामीण सड़क	6.0	2.00	
	योग		**98.00**	**31.37**	

प्रदेश में राशन की दुकानों में मिलावटी सामग्री के दर्ज प्रकरण

109. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत 2 वर्षों में राशन की दुकानों में मिलावट के कितने प्रकरण सामने आये व कितने राशन की सामग्री को खुर्दबुर्द करने के प्रकरण दर्ज हुए व इनमें क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने राशन कार्डों का वितरण किया जाना था व कितनों का वितरण किया गया एवं कितने शेष रहे, तथा राशन कार्डों में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है? अजमेर जिले में कितने राशन कार्ड बनने बाकी हैं व कितनों में गलतियां पाई गईं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 2 वर्षों में राशन की दुकानों में मिलावट का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। राशन की सामग्री को खुर्दबुर्द करने के कुल 493 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें नियमानुसार विभागीय/विधिक कार्यवाही की गई, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 1,78,38,263 नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जिलों के लिए चयनित फर्म द्वारा बनाये जाकर उपलब्ध कराये जाने थे। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में दिनांक 30.09.2014 तक कुल 1,66,78,157 राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये गये, जिनमें से 1,65,75,382 राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वितरित किये जा चुके हैं एवं 1,02,775 राशन कार्ड वितरण से शेष हैं, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की गई व्यवस्था-अनुसार नये राशन कार्ड बनाये जाने तथा तैयारशुदा राशन कार्डों में शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

करने का कार्य दिनांक 31.03.2015 तक सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा 1 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशन कार्ड में नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्तन तथा शुद्धिकरण का कार्य राजस्थान के ई-मित्र/सी एस सी कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किया जायेगा। इस आशय का परिपत्र दिनांक 2.2.2015 को जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

अजमेर जिले में कुल 7,86,848 आवेदन पत्र राशनकार्ड बनाने हेतु प्राप्त हुए, जिनके विरुद्ध 7,08,237 राशनकार्ड बनकर प्राप्त हुए, जो उपभोक्ताओं को वितरित किये जा चुके है। 78,611 राशनकार्ड प्राप्त होना शेष हैं। अजमेर जिले में अब तक राशन कार्ड त्रुटियों के दुरूस्तीकरण के 30,126 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनका शुद्धिकरण किया गया है। तहसीलवार संख्या विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

(प्रश्न संख्या-110, 111 एवं 112 असूचीबद्ध)

प्रदेश में लागू सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता में संशोधन

113. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा/तलाकशुदा व विशेष योग्य जन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश में कितने व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कर कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक प्रदेश में उक्त योजनाओं में पेंशन स्वीकृत किये जाने के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाकर कितने व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार निश्चित समय सीमा में नियमित रूप से सभी पात्र पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के मानदण्डों/नियमों में कोई संशोधन किया है? यदि हां, तो क्या व क्यों? संशोधित मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि ऐसे आवेदक जिनके पुत्र राज्य सेवा या राजकीय उपक्रम में सेवारत हैं या राजकीय पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन देय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बाध्यता को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1-4-2013 से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्य जन पेंशन नियम 2013 लागू किये गये हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना भी संचालित हैं। नियमों की प्रतियां परिशिष्ट 1 सं 5 तक संलग्न हैं।

(2) उक्त राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाओं में 31 दिसम्बर 2013 तक पेंशनरों की संख्या 51,61,919 है जिनको वित्तीय वर्ष 2013-14 में माह दिसम्बर 2013 तक रु. 1,946.15 करोड़ का भुगतान किया गया है।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त, स्वीकृत आवेदन एवं भुगतान किये जा रहे पेंशनरों की अभी तक प्राप्त सूचना का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) जी हां। स्वीकृत पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं होने की कुछ मामलों में शिकायतें मिल रही हैं। सरकार द्वारा निश्चित समय सीमा में भुगतान करवाने हेतु भामाशाह योजनान्तर्गत लाभार्थियों के खुलवाये गये बैंक बचत खातों के माध्यम से पेंशन भुगतान कराये जाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(5) दिनांक 1-1-2014 के पश्चात् राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 में पूर्व में जारी संशोधन में आशिंक संशोधन करते हुए अपात्रता की श्रेणी में स्वयं, पति/पत्नी या पुत्र के केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार की राजकीय सेवा में सेवारत हो, या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार के राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, जोड़ा गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(6) जी हां। राजस्थान सरकार एवं उसके राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी अपने आश्रित माता-पिता का भरण पोषण करने हेतु बाध्य हैं। इस हेतु सेवा नियमों में प्रावधान है। इस बाध्यता को हटाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ग्रामीण गौरव पथ के प्रथम चरण की जारी स्वीकृतियां

114. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो प्रथम फेज में कितनी राशि से कितनी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य कराया जायेगा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृति क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर जारी की गई है? यदि हां, तो दौसा जिले के विधान सभा क्षेत्र के विधायकों की अनुशंसा एवं स्वीकृति पत्रों की प्रति विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें ।

(डा. किरोडी लाल)

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण हेतु विधायक लालसोट, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं खींवसर ने भी अनुशंसाएं की थीं? यदि हां, तो अनुशंसा पत्रों एवं स्वीकृति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मिसिंग लिंक की स्वीकृति भी विधायकों की अनुशंसा पर की गई थी? यदि हां, तो क्षेत्रीय विधायक लालसोट, राजगढ, लक्ष्मणगढ़ एवं खींवसर की अनुशंसा एवं स्वीकृति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में ग्रामीण गौरव पथ योजना के प्रथम फेज में 2,154 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ निर्माण हेतु राशि रुपये 1,112.95 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृतियां माननीय विधायकों की अनुशंसा पर नहीं की गयी हैं।

(3) ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण हेतु माननीय विधायक लालसोट की कोई अनुशंसा विभाग को प्राप्त नहीं हुई थी। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं खींवसर के माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की प्रतियां परिशिष्ट-2(अ) एवं 2 (ब) पर प्रस्तुत हैं। विधान सभा क्षेत्र लालसोट, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं खींवसर में ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। दिसम्बर 2013 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

115. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सोनादेवी)

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उचित मूल्य की कितनी दुकानें कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त संचालित दुकानों से किस-किस संवर्ग के व्यक्तियों को कितना-कितना राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त दुकानें माह के कितने दिन तथा कब-कब खुलती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर यथा समय खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उचित मूल्य की 78 दुकानें संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित दुकानों से बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्य पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 5 किलोग्राम प्रति यूनिट एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार प्रति माह वितरित किया जाता है।

बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति माह उपलब्ध कराई जाती है।

बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को 4 लीटर केरोसीन प्रति परिवार प्रति माह दिया जाता है।

(3) उक्त दुकानें प्रत्येक माह उपभोक्ता पखवाडें दिनांक 10 से 24 तक प्रात: 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक एवं शेष दिनों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुलती हैं।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर शत-प्रतिशत राशन सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न की शत-प्रतिशत पहुंच वितरण पखवाड़ा प्रारम्भ होने से पूर्व तथा केरोसीन तेल वितरण पखवाडा में पहुंचना सुनिश्चित करती है। अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. परिवारों को वितरित की जाने वाली चीनी का वितरण सितम्बर, 2014 तक का हुआ है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़ा चलाया जाकर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पूरे माह दुकानें खोलकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जारी निर्देश दिनांक 9.7.2013, 3.1.2014 एवं 10.11.2014 की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से कानोड़ तक अतिरिक्त निगम बसों का संचालन

122. श्री गोतम कुमार (बडी सादड़ी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से कानोड़ (वाया मंगलवाड-डूंगला) के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की केवल एक ही बस संचालित है? यदि हां, तो कब से एवं उक्त बस द्वारा सम्बन्धित मार्ग पर कितने फेरे लगाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाने एवं वर्तमान संचालित बस के फेरे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । चित्तौडगढ़ मुख्यालय से कानोड़ (वाया मंगलवाड, डूंगला) के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की केवल एक ही बस दिनांक 28.10.2014 से संचालित है । वर्तमान में उक्त बस द्वारा इस मार्ग पर एक फेरा (एक जाना व एक आना) संचालित है ।

(2) जी नहीं । निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने एवं वर्तमान संचालित बस के चक्कर बढ़ाने का विचार नहीं है ।

करौली जिले में निगम बसों के वर्कशाप खोलने की कार्य योजना

123. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार करौली जिले में निगम बसों का वर्कशाप खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज रखें ।

उत्तर

यह सही है कि करौली में आगार कार्यशाला (रोडवेज वर्कशाप) खोलने का विचार है। वर्तमान में कार्यशाला के कुछ भाग का निर्माण कार्य हो

(परिवहन मंत्री)

चुका है परन्तु कार्यशाला में आवश्यक संसाधन प्लांट, मशीनरी का क्रय निगम की वित्तीय स्थिति के मध्यनजर नहीं किया जा सका है । साथ ही तकनीकी कर्मचारियों की कमी के मध्यनजर करौली आगार के वाहनों की मरम्मत/रख-रखाव का कार्य निकटस्थ हिण्डौन आगार से सम्पादित करवाया जा रहा है ।

मावली में बन्द बस सेवा का पुनः संचालन

124. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरों को गांवों से जोड़ने के लिए ग्रामीण परिवहन बस सेवा प्रारम्भ की गयी है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल कितनी ग्रामीण बसें वर्तमान में किस-किस मार्ग पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मार्गों पर अतिरिक्त ग्रामीण बसें लगाने तथा बसों के फेरे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मावली से नाथद्वारा वाया प्रकाशपुरा-पलाना मार्ग पर पुन: बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा शहरों को गांवों से जोड़ने के लिए ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना प्रारम्भ की गई है। उदयपुर जिले में इस योजना को दिनांक 14.12.2012 से प्रारम्भ किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में वर्तमान में मैसर्स आनन्द ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा पी पी पी मोड पर 5 सेवाएं संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मार्ग	संचालित सेवाएं
1	उदयपुर-फतहनगर	2
2	उदयपुर-आवरीमाता	1
3	मावली-हल्दीघाटी	1
4	मावली-कानोड	1

(परिवहन मंत्री)

(3) निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त मार्गों पर अतिरिक्त बसें लगाने एवं बसों के फेरे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(4) राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा मावली-हल्दीघाटी 51 कि.मी. मार्ग पर संचालित है। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण मावली से नाथद्वारा वाया प्रकाशपुरा-पलाना मार्ग पर वाहन संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

आमेर में सड़कों के नवीनीकरण की कार्य योजना

125. श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2014 से किन-किन सड़कों पर कितनी लागत के पैच वर्क के कार्य पूर्ण हुए तथा कौन-कौनसी सड़कों के पैच वर्क कार्य शेष हैं? उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनको अनपैचेबल घोषित किया गया है? सरकार द्वारा उक्त सड़कों का नवीनीकरण कब तक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2014 में 176.70 कि.मी. लम्बाई की सड़कों पर राशि रुपये 90.09 लाख व्यय कर पैच मरम्मत कार्य करवाये गये हैं। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

पैच कार्य एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकता-अनुसार सड़कों पर समय-समय पर पैच मरम्मत कार्य करवाये जाते हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र आमेर की जिन सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों पर पैच मरम्म्त कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 54.50 कि.मी. लम्बाई की सड़कें नान-पैचेबल श्रेणी में हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इन सड़कों में से चार कार्य राशि रुपये 71.50 लाख एवं 7.15 कि.मी. लम्बाई में टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में निविदा-प्रक्रियाधीन हैं। चार कार्य राशि रुपये 275.42 लाख एवं 9.10 कि.मी. लम्बाई में आर.आई.डी.एफ.-20 योजनान्तर्गत स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। उक्त स्वीकृत सभी सड़कों को सितम्बर 2015 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

शेष 38.25 कि.मी. लम्बाई की नान-पैचेबल सड़कें वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। इनका नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में टोल बूथों द्वारा अवधि समाप्त होने के बाद भी वसूली जा रही राशि

126. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने टोल बूथ संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त टोल बूथों में ऐसे टोल बूथ भी संचालित हैं जिनकी पूर्व निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कितनों की? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त टोल बूथों से गत 1 वर्ष में कुल कितनी राशि का संग्रहण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी टोल टैक्स के रूप में राशि वसूली जा सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसे टोल बूथों को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रिडकोर एवं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संचालित टोल बूथों का जिलेवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित टोल बूथों की सूचना क्रमश: परिशिष्ट-4 एवं 5 पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार के अन्तर्गत संचालित टोल परियोजनाओं पर गत एक वर्ष में संग्रहित राशि का विवरण परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर प्रस्तुत हैं।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित टोल बूथों की सूचना क्रमश: परिशिष्ट-4 एवं 5 पर प्रस्तुत हैं।

(4) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2011 के अनुसार रियायत करार अवधि पूर्ण होने के पश्चात् हस्तान्तरण की तारीख पर इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की जाने वाली फीस की 40 प्रतिशत घटाई गई दर पर केन्द्रीय सरकार की कार्यपालक एजेन्सी द्वारा एकत्र किये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है।

(5) राज्य में संचालित टोल परियोजनाओं में निर्धारित समयावधि पार टोल वसूली का कोई प्रकरण नहीं है।

(विवरण, सूचना व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

(प्रश्न संख्या 127-असूचीबद्ध)

भीलवाड़ा जिले के पंचायती राज संस्थानों को विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु आर्थिक अनुदान

128. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत राज संस्थानों को विकास व निर्माण कार्यों हेतु आर्थिक अनुदान/सहयोग एवं सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले के लिए निम्नलिखित एजेन्सियों द्वारा वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 में कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें :-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

1- केन्द्र सरकार के तेरहवें वित्त आयोग से;

2- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से;

3- निर्बन्ध कोष से;

4- रायल्टी से;

5- मनरेगा से; एवं

6- अन्य स्रोतों से।

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह प्राप्त धनराशि से जिला विकास प्राधिकरण/अधिकारी द्वारा पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य संस्थानों, आदि को विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु राशि का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो गत पांच वर्ष में इनमें से प्रत्येक को वितरण की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस तरह उपलब्ध कराई गई राशि से निर्मित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता व प्रमाणिकता की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना वांछित है? यदि हां, तो अब तक कितने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये और कितने प्राप्त नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत राज संस्थाओं को विकास व निर्माण कार्यों हेतु आर्थिक अनुदान/सहयोग एवं सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोंतों से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। भीलवाड़ा जिले को वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध कराई गई है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि (लाखों में)
1	तेरहवें वित्त आयोग से	10,882.81
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से	17,604.41
3	निर्बंध कोष से	10,596.74

(पंचायती राज मंत्री)

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि (लाखों में)
4	रायल्टी से	448.56
5	मनरेगा से	78,551.81
6	अन्य स्रोतों से	-

वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस तरह से प्राप्त धनराशि जिला विकास प्राधिकरण (जो राशि जिला परिषद को प्राप्त होती है), जिला परिषद द्वारा पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु वितरित की जाती है। विगत 5 वर्षों में जिला परिषद द्वारा पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को वितरित की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जी हां । इस तरह उपलब्ध कराई गई राशि से निर्मित 1,124 परिसम्पत्तियों में से 565 की गुणवत्ता व प्रमाणिकता की उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है (परिशिष्ट-स) शेष 559 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण परिशिष्ट-स 1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा पंचायत समिति (भीलवाड़ा) में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु राशि का आबंटन

129. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति शाहपुरा में विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों हेतु विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो निम्नलिखित स्रोतों से गत पांच वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें :-

(क) केन्द्र सरकार के तेरहवें वित्त आयोग से;

(ख) राज्य सरकार के चतुर्थ वित्त आयोग से;

(ग) निर्बन्ध कोष से;

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

(घ) निजी आय से (नर्सरी, हड्डी ठेका, मत्स्य, आदि);

(ड) रायल्टी से;

(च) सांसद कोष एवं विधायक कोष से; एवं

(छ) नरेगा की स्कीम के अन्तर्गत कार्यों हेतु (इंदिरा आवास शौचालयों एवं अन्य कार्यों हेतु)।

(2) क्या उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धन राशि से विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो प्रत्येक विकास/निर्माण कार्यों एवं निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण क्या है और क्या इन सभी की गुणवत्ता तथा प्रमाणिकता की पुष्टि करा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक विकास/निर्माण कार्य का अलग-अलग स्रोतवार, वर्षवार एवं उस पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शाहपुरा पंचायत समिति के प्रशासनिक ढांचे में कौन-कौन कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं और स्वीकृत पदों में से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? तिथिवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति शाहपुरा में विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों हेतु विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त हुई थी। पंचायत समिति शाहपुरा में विभिन्न स्रोंतों से गत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक) में निम्न विवरणानुसार राशि प्राप्त हुई है:-

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**राशि (लाखों में)**
(क)	तेरहवें वित्त आयोग से	159.31
(ख)	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से	187.21
(ग)	निर्बंध कोष से	116.84
(घ)	निजी आय से	62.14
(ड)	रायल्टी से	4.92
(च)	सांसद कोष एवं विधायक कोष से	302.25
(छ)	नरेगा स्कीम से	6011.65

(पंचायती राज मंत्री)

वित्तीय वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां । उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि से विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कराया गया था। विकास/निर्माण कार्यों एवं निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण, जिन कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रमाणिकता की पुष्टि करा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं, की सूचना तथा प्रत्येक विकास/निर्माण कार्य का अलग-अलग स्रोतवार, वर्षवार एवं उस पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) शाहपुरा पंचायत समिति के प्रशासनिक ढांचे में कार्यरत कर्मचारी, इनका कार्यकाल एवं स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों की सूचना का तिथिवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बनेड़ा पंचायत समिति (भीलवाड़ा) में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु राशि का आबंटन

130. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति बनेड़ा में विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों हेतु विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो निम्नलिखित स्रोतों से गत पांच वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें:-

(क) केन्द्र सरकार के तेरहवें वित्त आयोग से;

(ख) राज्य सरकार के चतुर्थ वित्त आयोग से;

(ग) निर्बन्ध कोष से;

(घ) निजी आय से (नर्सरी, हड्डी ठेका, मत्स्य आदि);

(ड) रायल्टी से;

(च) सांसद कोष एवं विधायक कोष से; एवं

(छ) नरेगा की स्कीम के अन्तर्गत कार्यों हेतु (इंदिरा आवास, शौचालयों एवं अन्य कार्यों हेतु)।

(2) क्या उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि से विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो प्रत्येक विकास/निर्माण कार्यों एवं

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण क्या है और क्या इन सभी की गुणवत्ता तथा प्रमाणिकता की पुष्टि करा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक विकास/निर्माण कार्य का अलग-अलग स्रोतवार, वर्षवार एवं उस पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बनेड़ा पंचायत समिति के प्रशासनिक ढांचे में कौन-कौन कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं और स्वीकृत पदों में से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? तिथिवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति बनेड़ा में विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों हेतु विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त हुई थी। पंचायत समिति बनेड़ा में विभिन्न स्त्रोतों से गत पांच वर्षो (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक) में निम्न विवरणानुसार राशि प्राप्त हुई है :-

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**राशि (लाखों में)**
(क)	तेरहवें वित्त आयोग से	109.68
(ख)	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से	133.35
(ग)	निर्बंध कोष से	83.21
(घ)	निजी आय से	54.24
(ड)	रायल्टी से	3.51
(च)	सांसद कोष एवं विधायक कोष से	242.24
(छ:)	नरेगा स्कीम से	8851.88

वित्तीय वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि से विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कराया गया था। विकास/निर्माण कार्यों एवं निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण, जिन कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रमाणिकता की पुष्टि करा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गये है, की सूचना तथा प्रत्येक विकास/निर्माण कार्य का अलग अलग स्रोतवार, वर्षवार एवं उस पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) बनेड़ा पंचायत समिति के प्रशासनिक ढांचे में कार्यरत कर्मचारी, इनका कार्यकाल एवं स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों की सूचना का तिथिवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत चुनाव 2015 में शामिल उम्मीदवारों द्वारा दाखिल तथ्यों की जांच

131. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत चुनाव 2015 में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किये गये नाम निर्देशन प्रपत्रों में असत्य तथ्य अंकित करने, फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने एवं तीन संतानों सम्बन्धी कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्राप्त सभी शिकायतों की निष्पक्ष समयबद्ध जांच कराने के लिए विशेष जांच समिति गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जांच में दोषी पाये गये उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने एवं चुनाव के नामांकन हेतु नाम निर्देशन प्रपत्र में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं असत्य सूचना का उल्लेख करने वाले दोषी उम्मीदवारों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाम निर्देश पत्र में असत्य तथ्य अंकित करने सम्बन्धी 69 शिकायतें, फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने सम्बन्धी 223 शिकायतें तथा तीन संतानों सम्बन्धी 101 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त प्राप्त सभी शिकायतों की जांच राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियमों में दिये गये प्रावधानों के तहत की जायेगी।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित जन-प्रतिनिधि के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई की जावेगी।

परिशिष्ट-1

पंचायती राज संस्था के नव निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों द्वारा असत्य तथ्य अंकित करने, फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने तथा तीन संतान सम्बन्धी दस्तावेज के आधार पर चुनाव जीतने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	झूठे/असत्य तथ्य अंकित करने सम्बन्धी शिकायतें	फर्जी अंक तालिका प्रस्तुत करने सम्बन्धी शिकायतें	तीन संतान सम्बन्धी प्राप्त शिकायतें
1	अजमेर	6	9	10
2	अलवर	2	25	1
3	बारां	2	2	1
4	बांसवाड़ा	-	3	1
5	बाड़मेर	11	4	1
6	भरतपुर	3	8	2
7	भीलवाड़ा	1	1	4
8	बीकानेर	-	12	2
9	बूंदी	5	5	1
10	चित्तौड़गढ़	-	12	3
11	चूरू	-	4	1
12	दौसा	5	17	10
13	धौलपुर	-	-	1
14	डूंगरपुर	-	5	1
15	हनुमानगढ़	-	20	-
16	श्रीगंगागनर	2	4	1
17	जयपुर	13	26	25
18	जैसलमेर	4	4	-

क्र. सं.	जिला	झूठे/असत्य तथ्य अंकित करने सम्बन्धी शिकायतें	फर्जी अंक तालिका प्रस्तुत करने सम्बन्धी शिकायतें	तीन संतान सम्बन्धी प्राप्त शिकायतें
19	जालौर	-	8	2
20	झालावाड़	1	3	3
21	झुन्झुनूं	-	4	1
22	जोधपुर	1	8	3
23	करौली	3	5	3
24	कोटा	2	-	-
25	नागौर	1	8	4
26	पाली	-	4	3
27	प्रतापगढ़	-	4	-
28	राजसमंद	-	5	3
29	स. माधोपुर	2	5	2
30	सीकर	1	2	5
31	सिरोही	2	-	-
32	टोंक	2	3	3
33	उदयपुर	-	3	1
	कुल योग	**69**	**223**	**101**

रींदली ग्राम पंचायत (दौसा) में विकास कार्यों पर व्यय राशि

132. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ग्रामीण विकास पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत रींदली, पंचायत समिति महवा (दौसा) में कौन-कौन से गांव/ढाणियां सम्मिलित हैं? विगत 5 वर्षों से उक्त पंचायत में विकास कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत की ढाणी ईसरीखेड़ा में सी.सी. सड़क जीर्ण-शीर्ण हो गई है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त ढाणी में नई सी.सी. सडक बना दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रींदली, पंचायत समिति महवा में रींदली, ईसरीखेड़ा और भण्डपुरा राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं । विगत 5 वर्षों में उक्त ग्राम पंचायत में 45 कार्यों पर राशि व्यय की गई है । व्यय की गई राशि का कार्यवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-क)

(2) जी हां । ग्राम पंचायत रींदली की ढाणी ईसरीखेड़ा में सी.सी. सड़क जीर्ण-शीर्ण है । ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध होने पर सी.सी. सडक बनाने के लिए स्वतन्त्र है ।

परिशिष्ट-क

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि
वित्तीय वर्ष 2010-11			
1	रास्ता दुरुस्तीकरण घीस्या के मकान से कुटकी के मकान तक भण्डपुरा।	2010-11	7711
2	रास्ता दुरुस्तीकरण शिवजी के मंदिर से हरसी किसोरी की कोठी तक भण्डपुरा।	2010-11	17661
3	रास्ता दुरुस्तीकरण हबुली के मकान से लक्ष्मण के मकान तक भण्डपुरा।	2010-11	10417
4	रास्ता दुरुस्तीकरण शिवजी के मंदिर से हरिचन्द खराम के मकान तक भण्डपुरा।	2010-11	9750
5	नाली निर्माण भौरया हरिजन के घर से सुखराम बैरवा होते हुए गूली तलाई तक भण्डपुरा।	2010-11	33535
6	ग्राम भण्डपुरा में पक्का दरवाजा पठान के चबूतरा के पास कचरा उठाने बाबत।	2010-11	16690
7	नवीन हैण्डपम्प निर्माण किसनलाल सैनी की ढाणी आडी गैल बगीची रींदली।	2010-11	59607
8	नवीन हैण्डपम्प निर्माण लालाराम रामसहाय सैनी की ढाणी में गुणी तलाई भण्डपुरा।	2010-11	59607
			214978
वित्तीय वर्ष 2011-12			
1	सिंगल फेज सिस्टम मय टंकी मालियों की ढाणी शिवजी मंदिर भण्डपुरा।	2011-12	153709

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि
2	एकल बिन्दु मय टंकी निर्माण हरिजन मौहल्ला भण्डपुरा।	2011-12	147054
3	एकल बिन्दु मय टंकी निर्माण बैरवा मौहल्ला भण्डपुरा।	2011-12	147054
4	एकल बिन्दु मय टंकी निर्माण रामू कजोड़ी की ढाणी भण्डपुरा।	2011-12	147054
5	एकल बिन्दु मय टंकी निर्माण नहन्या की ढाणी ईसरीखेड़ा।	2011-12	147054
6	एकल बिन्दु मय टंकी निर्माण रमेश मैम्बर की ढाणी रींदली।	2011-12	147054
			888979
वित्तीय वर्ष 2012-13			
1	रसोई शैड निर्माण रा.उ.प्रा.वि. ईसरीखेड़ा।	2012-13	60000
2	रास्ता दुरुस्तीकरण पंचायत भवन से आई.टी. केन्द्र रींदली तक।	2012-13	50000
3	एकल बिन्दु मय टंकी निर्माण किसन मीना के पास भण्डपुरा।	2012-13	143530
4	नाली सफाई गोपाल मास्टर से गुली तलाई तक भण्डपुरा।	2012-13	16200
5	नाली सफाई मानसिंह बैरवा से गुली तलाई तक भण्डपुरा।	2012-13	16450
6	नाली सफाई चिरंजी पटवारी से राणों वाली तलाई तक भण्डपुरा।	2012-13	18000
7	नाली सफाई प्रताप बैरवा से गंगाजी मंदिर तक भण्डपुरा।	2012-13	18200
8	सार्वजनिक अथांई निर्माण ईसरीखेड़ा।	2012-13	99915
9	नाली निर्माण गोपाल मास्टर से गंगाजी मंदिर तक भण्डपुरा।	2012-13	99845
10	नाली निर्माण हुल्लड़ कुम्हार से गुली तलाई तक भण्डपुरा।	2012-13	99965

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि
11	रास्ता दुरुस्तीकरण मनफूल कोली से कैलाश मास्टर तक भण्डपुरा।	2012-13	47352
12	रास्ता दुरुस्तीकरण श्रीराम के मकान से हरिराम के मकान तक भण्डपुरा।	2012-13	49925
13	रास्ता दुरुस्तीकरण मैन रोड से गिर्राज खटीक तक भण्डपुरा।	2012-13	96210
14	नाली निर्माण शिवजी मंदिर से हरचन्द के कुंआ तक भण्डपुरा।	2012-13	199905
15	इंटर लाकिंग रास्ता निर्माण कार्य शिवजी मंदिर से हरचन्द के कुंआ तक भण्डपुरा।	2012-13	199917
			1215414
वित्तीय वर्ष 2013-14			
1	सी.सी. रोड निर्माण लल्लू की दुकान से किसन मीना के खेत तक भण्डपुरा।	2013-14	199980
2	सी.सी. रोड निर्माण मंगल माली से मांग्या कोली तक भण्डपुरा।	2013-14	199980
3	सी.सी. रोड निर्माण शिवजी मंदिर से मंगल माली तक भण्डपुरा।	2013-14	199980
4	सी.सी. रोड निर्माण शिवजी मंदिर से श्रीराम के मकान तक भण्डपुरा।	2013-14	199800
5	सी.सी. रोड निर्माण हनुमानजी मंदिर से रामनारायण छतरी तक ईसरीखेड़ा।	2013-14	199955
6	सी.सी. रोड निर्माण भम्बू मोटा से रामजीलाल मीना के मकान तक ईसरीखेड़ा।	2013-14	199955
7	सी.सी. रोड निर्माण गंगाजी मंदिर से बद्री के मकान तक भण्डपुरा।	2013-14	199865
			1399515
वित्तीय वर्ष 2014-15			
1	सी.सी. रोड निर्माण बद्री के मकान से गुली तलाई तक भण्डपुरा।	2014-15	199833

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय राशि
2	सी.सी. रोड निर्माण घीस्या के कमरा से सेडया के कुआं तक भण्डपुरा।	2014-15	199833
3	सी.सी. रोड निर्माण बालाजी मंदिर से रामजीलाल के मकान तक ईसरीखेड़ा।	2014-15	199833
4	सी.सी. रोड निर्माण शिवजी मंदिर से हरचन्द के पुराने मकान से होता हुआ मंगल माली के पीछे तक भण्डपुरा।	2014-15	199833
5	सी.सी. रोड निर्माण दिनेश मीना के खेत से चन्दर मीना के खेत तक भण्डपुरा।	2014-15	199833
6	सी.सी. रोड निर्माण मुकेश के घर से किसोरी के कुआं तक भण्डपुरा।	2014-15	199833
7	सी.सी. रोड निर्माण मांग्या कोली से हरिसिंह माली के खेत तक भण्डपुरा।	2014-15	199833
8	सी.सी. रोड निर्माण मैन रोड से लक्ष्मण सैनी के मकान तक भण्डरा।	2014-15	199833
9	सी.सी. रोड निर्माण लल्लू की दुकान से जौहरी के मकान होता हुआ गोकुल के मकान तक भण्डपुरा।	2014-15	199875
			1798539

सुजानगढ़ पंचायत समिति की पंचायतों का वार्षिक प्लान

133. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिड्यूल आफ पावर के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश पत्र क्रमाक एफ. 27 (79) ग्रावि/अनु-5/ जीकेएस/प्रशा. अनु. सं./2014 दिनांक 17 सितम्बर, 2014 जारी किया गया है? यदि हां, तो आदेश/पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में पंचायत समिति सुजानगढ़ की पंचायतों में पंचायतवार वार्षिक प्लान (वर्ष 2014) के लिए तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो पंचायतवार वार्षिक प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री खेमाराम)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त के अनुसार ही पंचायतवार स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य की कहां-कहां पर, कब-कब तथा किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी लागत की स्वीकृतियां जारी की गई हैं?

(4) उपरोक्त में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कौन-कौन से कब-कब से अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को अब कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा तथा कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे?

(5) पंचायत समिति सुजानगढ़ के ग्रामों में वर्ष 2009 से 2013 तक कब-कब, कहां से कहां तक, कितनी-कितनी लागत से ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाया गया? इनमें से कौन-कौनसी ग्रेवल सड़कें सरकारी आम रास्ते पर हैं तथा कौन-कौनसी गैर-सरकारी रास्ते पर निर्मित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति/संशोधित स्वीकृतियां एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन जांच व पूर्णता प्रमाण पत्र, आदि जारी करने हेतु शिड्यूल आफ पावर विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ. 27(79) ग्रवि./अनु-5/जीकेएन/प्रशा.अनु.सं./2014 दिनांक 17.9.2014 के द्वारा जारी किये गये हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त आदेश दिनांक 17.09.2014 में वार्षिक प्लान तैयार करने हेतु कोई निर्देश अंकित नही हैं। वार्षिक कार्य योजना सम्बन्धित योजना के दिशा-निर्देश/प्रावधान के अनुसार तैयार की जाती है। सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सम्बन्धित योजना के दिशा-निर्देशानुसार पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में जारी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) पंचायत समिति सुजानगढ़ में पूर्ण व अपूर्ण कार्य, अपूर्ण रहने के कारण व पूर्ण कराने की समाप्ति तिथियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(5) पंचायत समिति सुजानगढ़ के ग्रामों में वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के दौरान निर्मित ग्रेवल सड़कों का विवरण परिशिष्ट- 4 पर संलग्न है।

(प्रति, सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर जिले में 'श्री' योजना के तहत आदर्श गांव के चयन हेतु नियमों में शिथिलता

134. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 'श्री' योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विभिन्न गांवों का चयन किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना में गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों का चयन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गंगानगर विधान सभा क्षेत्र की बसावट को देखते हुए नियमों में शिथिलता देकर वे चक (गांव) जो 5,000 से कम आबादी के हैं, उनको इस योजना में सम्मिलित कर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रदेश मे 'श्री' योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विभिन्न गांवों का चयन नहीं किया गया है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में पांच मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु 'श्री' योजना के प्रथम चरण में ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन किया गया है।

(2) 'श्री' योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पांच मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का विकास चरणबद्ध तरीके से समग्र ग्राम विकास योजना तैयार कर किया जावेगा।

प्रदेश में 'श्री' योजना के अन्तर्गत पंचायतों का चयन

135. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बजट भाषण 2014-15 में घोषणानुसार

(श्री बाबू सिंह)

सरकार द्वारा गांवों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से "श्री'' योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो कब से? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में राज्य की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा योजना के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया गया? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(4)क्या सरकार उक्त चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से भरतपुर सम्भाग में तथा शेष प्रदेश में दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 से 'श्री' योजना शुरू की गई है । योजना का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में अगले 3 वर्षों हेतु प्रथम चरण में राज्य की सभी पंचायत समितियों के ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन किया गया है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की चयनित ग्राम पंचायतों की विस्तृत कार्य योजना ग्राम पंचायत प्रभारियों द्वारा तैयार की जा रही है। विस्तृत कार्य योजना तैयार होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(4) जी हां। 'श्री' योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध राशि के अतिरिक्त आवश्यक राशि का आकलन कर ग्रामवार चरणबद्ध विकास हेतु समग्र विकास कार्य योजना तैयार की जाकर अप्रैल 2015 से कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में नवगठित पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों हेतु भवन निर्माण

136. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) पंचायती राज पुनर्गठन के तहत बाड़मेर जिले में कितनी नई पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? ग्राम पंचायतों की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के कार्य संचालन हेतु भवनों का निर्माण एवं इसमें स्टाफ की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायती राज पुनर्गठन के तहत बाड़मेर जिले मे 9 नई पंचायत समितियों एवं 109 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है । गठित की गई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट-क)

(2) उक्त नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के कार्य संचालन हेतु भवनों का निर्माण एवं इसमें स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तारानगर में कार्मिकों/अभियन्ताओं के रिक्त पद

137. श्री जयनारायण पूनियां (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कार्मिकों व अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुचारु रूप से चलाने के लिए उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों अन्तर्गत कुल स्वीकृत 262 पदों में से 30 पद वर्तमान में रिक्त हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) विभाग में 159 सहायक अभियन्ता (सिविल, यांत्रिकी एवं विद्युत) के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त 824 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया माह मई, 2015 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है ।

विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नियमों में संशोधन की प्रक्रिया उपरान्त प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के अन्तर्गत अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों से भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र तारानगर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्मिकों एवं अभियन्ताओं के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

(अ) परियोजना खण्ड, तारानगर

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	1	1	0
2.	सहायक अभियंता	6	5	1
3.	कनिष्ठ अभियंता	2	0	2
4.	खडीय लेखाकार	1	1	0
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
6.	स्टैनो	1	1	0
7.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	0
8.	कनिष्ठ लिपिक	3	3	0
9.	वाहन चालक	1	1	0
10.	च. श्रे. कर्मचारी	3	2	1
11.	चौकीदार	3	2	1
	योग	**23**	**17**	**6**

(ब) खण्ड, तारानगर

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	1	1	0
2.	सहायक अभियंता	4	3	1
3.	कनिष्ठ अभियंता	10	1	9
4.	खडीय लेखाकार	1	1	0
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
6.	स्टैनो	1	1	0
7.	वरिष्ठ लिपिक	7	3	4
8.	कनिष्ठ लिपिक	5	5	0
9.	वाहन चालक	4	3	1
10.	च. श्रे. कर्मचारी	7	5	2
11.	चौकीदार	1	1	0
12.	कार्यालय सहायक	2	0	2
13.	फैरोमैन	1	1	0
14.	अनुरेखक	1	0	1
	योग	**46**	**25**	**21**

(स) शहरी जल योजना, तारानगर

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	फोरमैन	1	0	1
2.	पम्प चालक प्रथम	1	1	0
3.	पम्प चालक द्वितीय	7	6	1
4.	फीटर	1	0	1
5.	मीटर पाठक	1	1	0
6.	सहायक	10	10	0
7.	बेलदार	1	1	0
	योग	**22**	**19**	**3**

(द) ग्रामीण जल योजना, तारानगर

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	पम्प चालक प्रथम	1	1	0
2.	पम्प चालक द्वितीय	10	10	0
3.	फीटर द्वितीय	4	4	0
4.	स्टोर मुंशी	2	2	0
5.	वाहन चालक	1	1	0
6.	सहायक	128	128	0
7.	बेलदार	25	25	0
	योग	**171**	**171**	**0**
	कुल योग	**262**	**232**	**30**

वैर के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम

138. श्री भजन लाल जाटव (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर की निम्नांकित जाटव बस्तियां ग्राम मांगरेन, नगला झालाटेला, हलेना, खदराम, पथेना, ववेगर, अलीपुर, मूडिया साध, जहानपुर, मूडिया जाट नगला खरवेरा, हलेना तिराहा, वल्लभगढ़, सिरस, निठार, नहरपुर, बागरेन, अरोडा, ज्ञानी का नगला, खूंट खेहड़ा, मजाजपुर, कमालपुरा, दीवली, कलसाडा, उमरेन, लुहारी, नगला जोठरा, माहीदपुर, रणधीरगढ़, मौलोनी, तिलछवी, झामरी, गडासिया खेडली खतनावली, बगोली मूडिंया, स्वास, आदि में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त बस्तियों में कब तक व किस माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र वैर की वर्णित 37 ग्राम/जाटव बस्तियों में से 30 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है । हलैना तिराहा एवं नंगला जोठरा नाम से उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई ग्राम/जाटव बस्ती नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शेष 5 ग्रामों में से 4 ग्रामों हेतु स्वीकृत संवर्धन/परिवर्तित योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा माह अप्रैल 2015 तक इन योजनाओं से ग्राम एवं इनकी बस्तियों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है । हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित एक ग्राम नगला खरबेरा एवं इनकी बस्तियों में स्थापित समस्त हैण्डपम्प मौसमी (सीजनल) होने के कारण वर्तमान में सूख गये हैं तथा इस ग्राम में निजी स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है । इस ग्राम हेतु 1 स्वीकृत सिंगल फेज नलकूप का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 2015 तक पूर्ण करना है तथा आगामी ग्रीष्मकाल में आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन किया जायेगा ।

35 ग्राम/बस्तियों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित पेयजल योजनाएं

139. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में विभाग द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं की ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा जनता जल योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार खराब हो चुके वाटर वर्क्स भवन की पुन: मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आर.ओ. प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सम्मिलित कुल 55 ग्राम पंचायतों के समस्त 695 ग्राम क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। ये ग्राम कुल 147 क्षेत्रीय जल योजनाओं से वर्तमान में जुडे हुए हैं तथा इनमें से 50 योजनाएं (247 ग्राम सम्मिलित) विभाग द्वारा एवं शेष 97 योजनाएं (448 ग्राम सम्मिलित) जनता जल योजना अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही हैं। विभाग एवं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही उक्त जल योजनाओं के सम्बन्ध में वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न हैं।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(3) जी नहीं। दिनांक 1.4.2011 के पश्चात् से जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों के माध्यम से करने का निर्णय लिये जाने के कारण, इन योजनाओं का संचालन कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं किया जाना है ।

(4) जी हां। तकनीकी सम्भाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यों की स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।

(5) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की नहरी पानी पर आधारित पेयजल योजनाओं में रेपिड ग्रेविटी एवं स्लो सैण्ड फिल्टरों के माध्यम से जल छनित कर क्लोरिनेशन करने के पश्चात् स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नहरी पानी पर पेयजल योजनाएं आधारित होने के कारण इस क्षेत्र में आर.ओ. संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(प्रश्न संख्या 140-असूचीबद्ध)

रूपनगढ़ (पुष्कर) में पानी के अवैध कनेक्शन पर कार्यवाही

141. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्थित रूपनगढ़ क्षेत्र में कितने पानी के अवैध कनेक्शन पाये गये व इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विगत 1 वर्ष में रूपनगढ़ पम्प को कितना पानी, किस प्रेशर से व कितनी मात्रा में दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में घर-घर पानी के कनेक्शन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़-अराई फ्लोराइड नियंत्रण वृहद् पेयजल परियोजना अन्तर्गत बाजेड़ा बालाजी पम्पिंग स्टेशन से रूपनगढ़ क्षेत्र को जाने वाली राइजिंग मुख्य पाइपलाइन में पाये गये 68 अवैध जल सम्बन्धों को माह दिसम्बर, 2014 में विच्छेद किया जा चुका है । इन जल सम्बम्धों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

माह फरवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक की अवधि में बाजेड़ा बालाजी पम्पिंग स्टेशन से रूपनगढ़ पम्प हाउस पर कुल 465.91 मिलियन लीटर पानी, 6.50 किलो ग्राम प्रति वर्ग सेन्टीमीटर के औसत जल दबाव से पम्प किया गया। प्रतिमाह पम्प किये गये पानी सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(2) विभागीय नीति अनुसार वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 4,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को पाइप्ड जल योजना अन्तर्गत घरेलू जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जाना प्रावधित है । विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कुल 128 आबाद ग्रामों में से 4,000 या इससे अधिक आबादी के कुल सम्मिलित 17 ग्रामों में से 7 ग्रामों में संचालित एवं संधारित पाइप्ड जल योजनाओं से घरेलू जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है । शेष 10 ग्रामों हेतु तकनीकी सम्भाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पाइप्ड जल योजनाओं की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा । ग्रामों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है ।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मसूदा में अनुपयोगी पेयजल टंकियां

142. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सुशील कंवर)

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों में पेयजल हेतु कुल कितनी जी एल आर और एस एल आर पेयजल टंकियों का निर्माण किया गया है? उक्त में से कितनी जी एल आर और एस एल आर को अब तक उपयोग में नहीं लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा की कुल कितनी जी एल आर एवं एस एल आर को अब तक उपयोग में नहीं लिया गया? क्या सरकार उक्त जीएलआर और एस एल आर को उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? अनुपयोगी टंकियों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में जी एल आर और एस एल आर के निर्माण के लिए तकनिकी रूप से एवं मालिकाना हक के रूप से गलत स्थान का चयन किया गया है? यदि हां, तो गलत स्थान पर निर्मित जी एल आर और एस एल आर के लिए कौन दोषी हैं तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 10,458 भू-तल जलाशय एवं 1,533 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य कराया गया। इनमें से 22 भू-तल जलाशय एवं 25 उच्च जलाशयों का पेयजल वितरण प्रणाली में उपयोग नहीं हो रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 26 भू-तल जलाशय एवं 72 उच्च जलाशय निर्मित हैं तथा इनमें से 3 भू-तल जलाशय एवं 2 उच्च जलाशयों को पेयजल आपूर्ति में आदिनांक तक उपयोग में नहीं लिया गया है। इन जलाशयों के अनुपयोगी रहने का कारण एवं भविष्य में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में इनको उपयोग में लेने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

प्रदेश में गत 5 वित्तीय वर्षों (2009-10 से 2013-14 की अवधि) में निर्मित, उपयोगी एवं अनुपयोगी जलाशयों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	उच्च जलाशय (एस.आर.)		भूतल जलाशय (जीएलआर)	
		कुल निर्मित (संख्या)	उपयोग में नहीं आ रहे (संख्या)	कुल निर्मित (संख्या)	उपयोग में नहीं आ रहे (संख्या)
1	भरतपुर	43	1	159	12
2	धौलपुर	23	4	165	0
3	सवाई माधोपुर	11	5	46	0
4	करौली	9	0	42	0
5	अलवर	93	0	531	0
6	बाडमेर	2	0	969	0
7	सिरोही	12	0	157	0
8	जालोर	21	0	367	0
9	जैसलमेर	0	0	349	1
10	बीकानेर	39	0	308	2
11	चूरू	11	0	69	0
12	श्रीगंगानगर	154	0	2029	0
13	हनुमानगढ़	39	0	4	0
14	जोधपुर	232	9	2033	0
15	पाली	25	0	190	0
16	झुन्झुनूं	9	0	240	0
17	दौसा	32	0	254	2
18	सीकर	44	0	502	4
19	अजमेर	86	0	225	0
20	भीलवाड़ा	66	0	137	0
21	टोंक	83	0	198	0
22	नागौर	49	0	552	0

क्र. सं.	जिले का नाम	उच्च जलाशय (एस.आर.)		भूतल जलाशय (जीएलआर)	
		कुल निर्मित (संख्या)	उपयोग में नहीं आ रहे (संख्या)	कुल निर्मित (संख्या)	उपयोग में नहीं आ रहे (संख्या)
23	जयपुर	164	3	361	1
24	कोटा	40	0	80	0
25	बूंदी	4	0	105	0
26	बारां	9	0	25	0
27	झालावाड़	106	0	28	0
28	उदयपुर	12	0	97	0
29	डूंगरपुर	5	0	6	0
30	प्रतापगढ़	7	0	6	0
31	बांसवाड़ा	26	0	22	0
32	राजसमन्द	41	0	155	0
33	चित्तौड़गढ़	36	0	47	0
		1533	**25**	**10458**	**22**

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत कुल निर्मित एवं अनुपयोगी भू-तल एवं उच्च जलाशयों सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	स्थान का नाम	जलाशय का प्रकार (भू-तल/उच्च जलाशय)	अनुपयोगी रहने का कारण	उपयोग में लेने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही
1	भिनाय	देवरिया	उच्च जलाशय	पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष	अनुबन्ध के क्लाज 2 एवं 3 के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ततपश्चात् संवेदक की रिस्क एवं कास्ट पर पाइप
2	भिनाय	माताजी का खेड़ा	भू-तल जलाशय	पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष	

क्र. सं.	पंचायत समिति	स्थान का नाम	जलाशय का प्रकार (भू-तल/उच्च जलाशय)	अनुपयोगी रहने का कारण	उपयोग में लेने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही
3	भिनाय	रेबारियों की ढाणी	भू-तल जलाशय	पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष	लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य अन्य संवेदक से कराया जाकर तथा पूर्ण कर इन जलाशयों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से ज़ोड़ना प्रस्तावित है।
4	भिनाय	झोपड़िया	भू-तल जलाशय	पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष	
5	मसूदा	धानी खेड़ा	उच्च जलाशय	पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष	

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में नजूल सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि

143. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग द्वारा क्रमांक: एफ. 19(4) साप्र/4/95/ पार्ट-2, दिनांक 22 सितम्बर, 2001 के द्वारा आहता कोठी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) नामक नजूल सम्पत्ति के विक्रय के बदले प्राप्त राशि से शाहपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित चिकित्सालय के विकास-विस्तार हेतु समय-समय पर धनराशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी धनराशि कब-कब, किस-किस प्रयोजन हेतु खर्च की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नजूल सम्पत्ति में से 14 आवासीय एवं 26 व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी से कुल रुपये 1,15,48,500/- (अक्षरे एक करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार पांच सौ रुपये) की आमद हुई थी? उसमें से उक्त प्रश्न के भाग (1) में उल्लिखित स्वीकृतियों के बाद हुई कितनी धनराशि अभी तक सरकार में जमा है?

(3) क्या यह भी सही है कि शाहपुरा (भीलवाड़ा) के पूर्व राजाधिराज साहब, स्वर्गीय सुदर्शन देवजी ने दिनांक 22 अक्टूबर, 1983 को अपनी स्वयं की आराजियात में से करीब बारह बीघा जमीन राज्य सरकार को समर्पित की थी? यदि हां, तो उस समर्पण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) उक्त समर्पित भूमि में से वर्तमान में कितनी भूमि शेष है और उसका समर्पण की शर्तों के अनुसार कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) आहता कोठी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) नामक नजूल सम्पत्ति के विक्रय के बदले प्राप्त राशि से शाहपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित चिकित्सालय के विकास-विस्तार हेतु समय-समय पर निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई थी

1- दिनांक 07.01.1998 को राज्य सरकार द्वारा रुपये 9.92 लाख चिकित्सालय में मैटरनिटी वार्ड निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये। उक्त व्यय सा.नि.वि. द्वारा जनवरी 2001 में किया गया है।

2- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.09.2001 को चिकित्सालय में वार्ड का निर्माण मय टायलेट, डिस्पेन्सरी निर्माण, ओ पी डी कक्ष का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण, वेटिंग रूम का निर्माण, बरामदे का निर्माण, अन्य बिजली कार्य हेतु राशि रुपये 14.23 लाख स्वीकृत की गयी। सा.नि.वि. द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अप्रैल 2004 में पूर्ण व्यय कर दिया गया है।

उपरोक्त राशि राजस्व विभाग द्वारा नीलाम किये गये भूखण्डों से प्राप्त हुई राशि रुपये 27,89,869 में से व्यय की गई थी।

(2) जी हां। यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहपुरा के जरिये उक्त नजूल सम्पत्ति में से 14 आवासीय एवं 26 व्यावसयिक भूखण्डों की नीलामी से कुल रुपये 1,15,48,500 की आमद हुई थी। उक्त समस्त राशि वर्तमान में राजकोष में ही जमा है। तत्समय बजट मद 0075-800-009 में रुपये 91,88,400 व मद एमडी पंचम 8443 में रुपये 23,60,100 जमा कराये गये थे।

(3) पूर्व राजाधिराज साहब, स्वर्गीय सुदर्शन देवजी ने दिनांक 22.11.1983 को अपनी स्वयं की आराजियात का समर्पण किया है। कार्यालय में उपलब्ध समर्पण पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) समर्पित भूमि में से शेष 0.39 हैक्टेयर भूमि पर पुनः आवासीय भूखण्ड बनाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य को केन्द्र से आबंटित राशि

144. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य को केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 से 31 जनवरी, 2015 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई? आबंटित राशि का वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि को मदवार व वर्षवार किन-किन मदों में व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि किन-किन स्वयंसेवी संस्थाओं को किस-किस मद के लिए आबंटित की गई? वर्षवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आबंटित राशि में से कितने सरकारी गृहों को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई? वर्षवार सरकारी गृहों को आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आबंटित राशि में से कितने shelter homes कहां-कहां खोले गये? इनके लिए किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? आबंटित राशि व व्यय राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा मंत्रालय के पत्रांक 142212009CWII दिनांक 18 मार्च, 2010 के अनुसार जिन-जिन मदों में राशि आबंटित की गई, उनके मदों के अनुसार किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण मय उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिन्दु संख्या 1 के प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या 2 के प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 3 के प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) बिन्दु संख्या 4 के प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(5) बिन्दु संख्या 5 के प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(6) बिन्दु संख्या 6 के प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर (नागौर) में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण

145. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के परबतसर कस्बे में राजकीय छात्रावास स्थित है?

(2) क्या यह भी सही है कि परबतसर कस्बे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त कस्बे में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास कब तक खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर जिले के परबतसर कस्बे में विभाग द्वारा राजकीय छात्रावास संचालित नहीं है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा नागौर जिले के परबतसर कस्बे में एक अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास 60 छात्रों हेतु संचालित है, जिसमें इस शैक्षणिक सत्र 2014-15 में 60 छात्रों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा रहा है।

(प्रश्न संख्या 146-असूचीबद्ध)

प्रदेश में नवीन राशन कार्डों का वितरण

147. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा नये राशन कार्ड बनवाये गये थे?

(2) क्या सभी राशन कार्डों का वितरण करवा दिया गया है? यदि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं, तो कितने राशन कार्ड वितरण से शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष राशनकार्डों के वितरण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सम्पूर्ण राज्य में 1.75 करोड नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जिलों के लिए चयनित फर्मों के माध्यम से बनाये जाने थे, जिनमें से 1,66,02,094 राशन कार्ड बनाये जाकर उनमें से 1,64,69,324 राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वितरित किये जा चुके हैं तथा 1,32,770 राशन कार्ड वितरण से शेष हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) सम्पूर्ण राज्य में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड कार्य हेतु जिलावार चयनित कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध की तिथि से चार माह की अवधि, फरवरी,2013 तक राशन कार्ड कार्य पूर्ण कर वितरण कराया जाना था। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने तथा राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण राशन कार्ड कार्य की अवधि बढाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिनांक 3.3.2014 को लिये गये निर्णयानुसार राशन कार्ड कार्य की अवधि दिनांक 30.9.2014 तक बढायी गयी थी, जिसके अनुसार यह कार्य दिनांक 30.9.2014 तक फर्म द्वारा पूर्ण किया जाना था। उक्त अवधि तक सम्पूर्ण राज्य में 94 प्रतिशत (1.64 करोड़) राशन कार्ड तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जा सके है। यह कार्य अधिक वृहद एवं विस्तृत है, जिसमें राशन कार्ड फार्म आवेदकों को वितरण करने से लेकर राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में प्रगणक, सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला रसद अधिकारी एवं कार्मिकों द्वारा अलग-अलग कार्य किया जाना सम्मिलित है। इस कारण शेष राशन कार्ड तैयार कर वितरण कराये जाने का कार्य दिनांक 2.2.2015 को जारी परिपत्र के अनुरूप विभागीय स्तर पर तथा ई-मित्र/सीएससी कियोस्क के माध्यम से कराने की कार्यवाही की जा रही है। परिपत्र दिनांक 2.2.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

(प्रश्न संख्या 148 व 149-असूचीबद्ध)

शिक्षक विहार आवासीय योजना के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

150. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की शिक्षक विहार आवासीय योजना (जगतपुरा) के सम्बन्ध में वर्ष 1990 में प्राप्त शिकायतों की जांच में शिविर प्रभारी द्वारा प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई जाने पर थाना मालवीय नगर में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतें, जांच रिपोर्ट एवं एफ आई आर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो किस न्यायालय में तथा प्रकरण की प्रगति की जानकारी हेतु क्या विभाग द्वारा किसी विभागीय प्रतिनिधि की नियुक्ति की हुई है? यदि हां, तो प्रकरण की वर्तमान प्रगति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त समिति में दिनांक 7 जुलाई, 1995 को प्रशासक तथा दिनांक 24 जनवरी, 2004 को अवसायक नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो नियुक्ति दिनांक से अब तक कार्यरत रहे प्रशासक एवं अवसायकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक व अवसायक में सम्बन्धित सहकारी समिति के संचालक मण्डल के समस्त अधिकार एवं कर्तव्य निहित होते हैं? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या समिति की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने हेतु प्रबंध करना अवसायक/प्रशासक का दायित्व है? यदि हां, तो अब तक इनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990 में आयोजित विशेष सहकारी अभियान के दौरान शिक्षक विहार आवासीय योजना के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर समिति की प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध दिनांक 27.4.1990 को शिविर प्रभारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। (एफ.आई.आर. प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न

(सहकारिता मंत्री)

है) प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वर्तमान में इन शिकायतों के सम्बन्ध में दर्ज एफ.आई.आर. तथा इनका औचित्य एवं प्रासंगिकता न्यून रह जाने के कारण रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 11.12.2013 द्वारा जांच आदेश को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 (4) प्रत्याहृत किये गये। (प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न हैं।)

(2) जी हां। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर में विचाराधीन है। केस स्टेटस की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। राज्य सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजक पैरवी करते हैं।

(3) जी हां। उक्त समिति में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 7.7.1995 को प्रशासक तथा दिनांक 24.1.2004 को अवसायक नियुक्त किया गया है। दिनांक 7.7.1995 से 11.2.2004 तक परियोजना निदेशक (प्रोसेसिंग) सहकारी समितियां, राजस्थान प्रशासक के पद पर नियुक्त रहे है जिनकी सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। दिनांक 11.2.2004 से अब तक रहे अवसायकों की सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(4) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30 के प्रावधानानुसार किसी सहकारी सोसायटी में नियुक्त प्रशासक में सोसायटी के संचालक मण्डल के समस्त अधिकार एवं कर्तव्य निहित होते हैं। उक्त धारा 30 में वर्णित प्रावधानों की छाया प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

किसी सहकारी सोसायटी में नियुक्त अवसायक (समापक) को संचालक मण्डल के समस्त अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त नहीं होते, अपितु अधिनियम की धारा 64 में वर्णित अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट-08 पर संलग्न है।

(5) जी हां। लेकिन समिति के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा अवसायक/ प्रशासक की समिति का रिकार्ड एवं परिसम्पत्तियां नहीं सम्भलवाई गई हैं। प्रशासक को समिति द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर तत्समय प्रभावी राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 132 के तहत

(सहकारिता मंत्री)

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां प्रसंज्ञान प्रस्तुत किये गये हैं।

समिति में नियुक्त अवसायक को समिति द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण समापक द्वारा समिति के पूर्व पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थाना शास्त्रीनगर जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 224/2011 दिनांक 7.7.2011 दर्ज करवाई गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-9 पर संलग्न है। पुलिस द्वारा लगाई गई एफ.आर. के विरुद्ध समापक द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट (क्रम 11) महानगर जयपुर केस संख्या 91/2011 में प्रस्तुत की हुई है, जिसकी आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 18.3.2015 नियत है।

(प्रतियां, विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयी)

दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेंस फैडरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया का भुगतान

151. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दी राजस्थान को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड का वर्तमान में नाम दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेंस फेडरेशन लिमिटेड है? यदि हां, तो किस वर्ष से नाम परिवर्तन किया गया?

(2) क्या उक्त फेडरेशन लिमिटेड ने पूर्व में भांकरोटा, जयपुर में कमला नेहरू नगर व केसरी चन्द चौधरी नगर में आवासीय कालोनी का निर्माण किया था? यदि हां, तो निर्माण अवधि व कुल आवासों की संख्या का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या उक्त आवास निर्माण के दौरान कर्मचारियों को कार्य पर रखा गया था? यदि हां, तो किस-किस पद पर? वर्षवार कर्मचारियों के नामों की सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(4) उक्त आवासों का निर्माण पूर्ण होने पर किन-किन कर्मचारियों को हटाया गया? क्या हटाये गये कर्मचारियों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(5) क्या वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् उन्हें न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान किया गया? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का? मय नाम सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(6) क्या न्यायालय के आदेश के पश्चात् भी फैडरेशन ने कई कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया? यदि हां, तो किन-किन को व किन कारणों से? क्या सरकार शेष कर्मचारियों को भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दी राजस्थान को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि., का नाम दिनांक 17.2.1990 से बदलकर दी राजस्थान को-आपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन सोसायटी लि. किया गया था।

(2) जी हां। आवासन संघ द्वारा वर्ष 1979-80 से 1986-87 की अवधि में भांकरोटा, जयपुर में कमला नेहरू नगर, आवास कालोनी में 250 एवं केसरी चन्द चौधरी नगर, आवास कालोनी जयपुर में 376, कुल 576 आवासों का निर्माण कराया गया था।

(3) जी हां। आवासन संघ द्वारा उक्त आवासों के निर्माण के दौरान 11 मसटरोल/दैनिक मजदूरी पर कर्मियों को रखा गया था, जिनकी सूची परिशिष्ट "A" पर संलग्न है।

(4) आवासन संघ द्वारा निर्माण योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् परिशिष्ट "A" में वर्णित मसटरोल/दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मियों को वर्ष 1987 में हटा दिया गया था। हटाये गये कर्मियों में से श्री निर्मल जैन, श्री मोहनलाल, श्री प्रेमप्रकाश एवं श्री मदनसिंह द्वारा माननीय श्रम न्यायालय/उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये गये थे।

(5) श्री निर्मल जैन व श्री मोहनलाल द्वारा माननीय श्रम न्यायालय, जयपुर में वाद दायर किये गये थे, जो निस्तारित किये जा चुके हैं। श्री प्रेमप्रकाश द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में वाद दायर किया गया था, जो निरस्त हो गया। अत: उक्त तीनों कर्मचारियों को कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है। श्री मदनसिंह के पक्ष में माननीय न्यायालय प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम-1936, जयपुर शहर, जयपुर द्वारा

(सहकारिता मंत्री)

श्री मदनसिंह पुत्र श्री घीसूसिंह राजपुरोहित के मामले में दिनांक 9.7.1997 के द्वारा निर्णय पारित कर श्री मदनसिंह को वेतन व उस पर देय कानूनी बोनस की राशि रु. 35,250/- एवं मुआवजे के रूप में 1,500/- रु. का भुगतान करने के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध संघ द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया, जो खारिज हो गई; जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में पुन निर्धारित restoration हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

(6) बिन्दु संख्या 5 में वर्णित प्रकरण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकरण में भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

परिशिष्ट-A

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर

आवास निर्माण की अवधि में मसटरोल/दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	हटाया गया वर्ष
1.	श्री निर्मल जैन	मिस्त्री मसटरोल	3 जनवरी 1987
2.	श्री मोहन लाल	मिस्त्री	3 जनवरी 1987
3.	श्री प्रेम प्रकाश	मुंशी	3 जनवरी 1987
4.	श्री मदन सिंह राजपुरोहित	मुंशी	3 जनवरी 1987
5.	श्रीमती प्रमिला जैन	मुंशी	3 जनवरी 1987
6.	श्री लेखराज मीणा	चौकीदार	3 जनवरी 1987
7.	श्री गुलाब	मिस्त्री	3 जनवरी 1987
8.	श्री हरिशंकर	पम्प ड्राइवर	3 जनवरी 1987
9.	श्री महावीर	पम्प ड्राइवर	3 जनवरी 1987
10.	श्री रामपाल	श्रमिक	3 जनवरी 1987
11.	श्री रघुनाथ सिंह	श्रमिक	3 जनवरी 1987

प्रबंध निदेशक

बाड़मेर जिले में तेल दोहन लाभांश से विकास कार्य

152. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर के किन-किन क्षेत्रों में तेल के भण्डार मिले हैं तथा वर्तमान में कितने स्थानों पर कुएं खोदकर तेल का दोहन किया जा रहा है?

(2) प्रतिदिन तेल का कितना उत्पादन हो रहा है तथा इसमें सरकार का लाभांश कितना है?

(3) उक्त लाभांश में से कितना हिस्सा बाड़मेर जिले के विधान सभा क्षेत्रों के विकास हेतु रखने का प्रावधान किया गया है व इसके क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के विधान सभा क्षेत्र चौहटन व शिव पाक सीमा से सटे हैं, जबकि सीमा पर ऐसे कई प्रधान खनिजों का पाकिस्तान दोहन कर रहा है?

(5) क्या सरकार उक्त स्थानों को चिह्नित कर तेल सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के गुढ़ामलानी, कोसलू, नगर, अडेल, नगाणा, कवास, बायतु, बोथिया, आदि के पास कुल 36 क्षेत्रों में तेल एवं गैस के भण्डार मिले हैं तथा वर्तमान में प्रमुख क्षेत्र जैसे कि मंगला, भाग्यम, एश्वर्या, सरस्वती एवं रागेश्वरी में कुएं खोद कर तेल का दोहन किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में लगभग 1,74,000 बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है तथा इसमें राज्य सरकार को औसतन 13 करोड़ रुपये प्रतिदिन रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त हो रहा है।

(3) चतुर्थ वित्त आयोग द्वारा पैट्रोलियम रायल्टी का 3 प्रतिशत हिस्सा बाड़मेर के पंचायत क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान रखे जाने की अनुशंसा की गई है। इसके अन्तर्गत वित्त विभाग के स्तर से पंचायती राज विभाग के निजी निक्षेप खाते में राशि स्थानान्तरित करने के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ।

(4) जी हां। जिला बाड़मेर में चौहटन एवं शिव क्षेत्र पाक सीमा से सटे हुए हैं। सीमा से लगता हुआ प्रधान खनिज का कोई भी खनन पट्टा

(खान राज्य मंत्री)

स्वीकृत नहीं है । शिव विधान सभा क्षेत्र में खनिज लिग्नाइट का एक खनन पट्टा सर्वश्री आर.एस.एम.एम.लि. के पक्ष में निकट ग्राम गिरल में स्वीकृत है जिसमें आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। पेट्रोलियम संघीय सूची में होने के कारण अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थानों को चिह्नित कर तेल सर्वे का कार्य पैट्रोलियम मंत्रालय, केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(प्रश्न संख्या 153-असूचीबद्ध)

प्रदेश में औषधीय पौधों का संरक्षण

154. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में धीरे-धीरे लुप्त होते औषधीय पौधों का संरक्षण करने के लिए प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त औषधीय पौधों पर अध्ययन और संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर विभागीय संगठन स्थापित किया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड द्वारा विगत पांच वर्षों (2009-10 से 2014-15 तक) में औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु 14 प्रमोशनल प्रोजेक्ट नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित कर स्वीकृत करवाये गये। वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

गत 5 वर्षों में वन विभाग द्वारा करवाये जा रहे औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गूगल संरक्षण परियोजना अन्तर्गत 1,450 हैक्टेयर में कार्य कराया गया है एवं जनजाति क्षेत्र में 4,150 हैक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(वन राज्य मंत्री)

वर्ष 2011-12 में बांकी पौधशाला, जिला उदयपुर में 10,000 औषधीय पौधे तैयार कर वितरित किये गये। वर्ष 2010-11 में जोधपुर में गूगल पौध संरक्षण एवं विकास योजना के अन्तर्गत बडाभाखर क्षेत्र में गूगल पौध संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया एवं राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर के माध्यम से वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 5,000-5,000 औषधीय पौध वितरण/पौधारोपण हेतु तैयार किये गये। जयपुर शहर स्थित कुलिश स्मृति वन में औषधीय पौधों का रोपण कर हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। भीलवाड़ा जिले में महानरेगा योजना अन्तर्गत नर्सरी एवं औषधीय उद्यान की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही, विभागीय वृक्षारोपणों में स्थानीय जलवायु के अनुरूप औषधीय पौधों का रोपण व बीजारोपण भी किया जाता है एवं महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों के पौधे राज्य की विभिन्न नर्सरियों में तैयार कर वितरित किये जाते हैं।

(2) जी हां। आयुर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक प.15(4) आयु./99 पार्ट-।। दिनांक 9.1.2002 द्वारा राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड का गठन किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के प्रदूषण से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव

155. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या पर्यावरण राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के बारे में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्राप्त किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही की गई? शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित होने से जनता को हानि होने की सम्भावना है? यदि हां, तो कौन-कौनसी हानियां होने की सम्भावनाएं हैं तथा सरकार द्वारा इससे बचाव के लिए क्या-क्या उपाय किये गये?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों के स्थापित होने से प्रदेश के

(डा. किरोड़ी लाल)

पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर के बारे में अध्ययन करवाया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? अध्ययन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परमाणु बिजली घर से सम्बन्धित पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित ऐटोमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाती है। तथापि, प्रदेश में संचालित राजस्थान एटोमिक पावर स्टेशन, रावतभाटा से प्रदूषित पानी के राणा प्रताप सागर में बहित किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को अगस्त 2010 में प्राप्त हुई, जिसकी जांच राज्य मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई। जांच के दौरान बहित जल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप बहित होना पाया गया। अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। शिकायत का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है लेकिन पर्यावरण एवं जनजीवन का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग के तहत एक स्वतंत्र एजेन्सी पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला (ई एस एल) रावतभाटा साइट की तीस किलोमीटर परिधि के पर्यावरणीय क्षेत्र में पर्यावरण निगरानी का कार्य सतत करती रहती है। आर. आर. साइट के आस पास के विभिन्न क्षेत्रों से हवा, पानी, मिटटी, खाद्य पदार्थ, इत्यादि के लगभग 2,500 नमूने प्रति वर्ष एकत्रित किये जाते हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला लाया जाता है तथा अति संवेदनशील उपकरणों द्वारा इनमें रेडियो सक्रिय पदार्थों के मूल्यांकन हेतु इनका विश्लेषण किया जाता है। विशलेषण के परिणामों ने दर्शाया है कि रेडियो न्यूक्लाइड्स की मात्रा प्राकृतिक पृष्ठभूमीय स्तर पर है जो यह दर्शाता है कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार

156. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कौशल विकास के लिए कोई योजना लागू की गई है? यदि हां, तो क्या व इसका स्वरूप क्या है एवं प्रति वर्ष कितना लक्ष्य निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना में प्रति वर्ष कितना व्यय होगा एवं कितने रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना में केन्द्र एवं राज्य की वर्षवार कितनी-कितनी हिस्सेदारी होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कौशल विकास के लिए पांच योजनाएं संचालित हैं।

1. राज्य में कौशल विकास के लिए मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना (रोजगार-परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम), लागू है। इसके तहत मुख्य रूप से चार योजनाएं सम्मिलित हैं:-

i. विशेष दक्षता प्रशिक्षण कार्यकम - इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास या उससे अधिक है, वे प्रशिक्षण के पात्र हैं;

ii. मुख्य मंत्री ग्रामीण योजना - इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 5 वीं पास या उससे अधिक है तथा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम है, वे प्रशिक्षण के पात्र हैं;

iii. मुख्य मंत्री शहरी रोजगार योजना - इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास या उससे अधिक है तथा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख तक है वह प्रशिक्षण के पात्र है।

iv. कन्वर्जेन्स योजना - राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन ई एल एस टी पी योजनान्तर्गत आरएसएलडीसी द्वारा किया जाएगा। कन्वर्जेन्स के तहत बी ए डी पी, ए सी

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

एस टी निगम, आर आर एल पी, एन यू एल एम, बी ओ सी डब्ल्यू तथा टी ए डी विभाग की प्रशिक्षण योजनाएं शामिल हैं।

2. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना - इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल, नरेगा में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 35 दिवस तक काम करने वाले परिवारों के सदस्य तथा ग्रामीण गरीब ऐसे युवक जिनका पी.आई.पी. के तहत चयन किया गया हो, प्रशिक्षण के पात्र होंगे। योजना का आरम्भ अगस्त, 2014 से किया गया है। अगस्त, 2014 से मार्च 2016 तक एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम - इस योजना के तहत 16 से 35 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी बेरोजगार युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रमों में किसी भी वर्ग/जाति के युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र है। केवल महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने पर 16 से 40 वर्ष की साक्षर महिलाएं भी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्वरोजगार अथवा रोजगार से जोड़े जाने का प्रावधान है।

4. एस.डी.आई. योजना-योजनान्तर्गत सरकारी आई टी आई एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। योजनान्तर्गत 4,000 को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

5. स्पेशल प्रोजेक्ट-आर एस एल डी सी द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत ए टी डी सी तथा निफ्ट के साथ प्रशिक्षण के लिए एम ओ यू हस्ताक्षरित किया है। इनके द्वारा 6,512 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6. लक्ष्य-आर एस एल डी सी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2015-16 में 1.50 लाख, वर्ष 2016-17 में 2.00 लाख व वर्ष 2017-18 में 2.50 लाख युवाओं, इस प्रकार आगामी 3 वित्तीय वर्षों में लगभग 6 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(2) 1. निगम की प्रशिक्षण योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 55.10 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। इसके तहत लगभग 70 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना सम्भावित है।

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

2. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 398 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। योजना अन्तर्गत अगस्त, 2014 से मार्च 2016 तक 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

3. आर एस डी आई योजनान्तर्गत एस डी आई स्कीम के तहत 6.19 करोड़ का बजट आबंटित है। इसमें लगभग 4,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

4. आर एस एल डी सी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2015-16 में 1.50 लाख, वर्ष 2016-17 में 2.00 लाख व वर्ष 2017-18 में 2.50 लाख युवाओं, इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्षों में लगभग 6 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(3) 1. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत हिस्सा है।

2. एस डी आई योजना शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है।

उच्च शिक्षा हेतु युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा

157. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में उच्च पाठ्यक्रम, मेडिकल, तकनीकी और कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना संचालित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी और नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या नियम, पात्रता और मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का प्रचार माध्यम क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में उच्च पाठयक्रम मेडिकल, तकनीकी और कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है। कालेज शिक्षा के उच्च पाठ्यक्रम, एम.ए., एम.एससी., एम. फिल. तथा कानूनी शिक्षा का शिक्षण शुल्क युक्तियुक्त और वहन योग्य होता है, जिसके लिए ऋण देने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को बैंकों से मिलने वाले ऋण को रियायती दर पर उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किया जाना विचाराधीन है।

(4) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आम जन तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशन, रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रसारण तथा मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर होर्डिंग्स, आदि लगवाकर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या-94 का विवरण

परिशिष्ट–अ

विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के अधीन वर्तमान में मरम्मत योग्य खराब पाये गये 8 हैण्डपम्पों सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	गांव का नाम	हैण्डपम्प का स्थान	खराब होने की अवधि (दिवस)	विशेष विवरण
1	जसवन्तपुरा	पावटी	मुख्य आबादी	06	दिनांक 7.3.2015 को बियरिंग ठीक करके हैण्डपम्प सुधार कर चालू किया।
2	जसवन्तपुरा	गोलान	अमात्री कालोनी	05	सूखा।
3	रानीवाड़ा	कागमाला	खजूरियावाला	04	सूखा।
4	रानीवाड़ा	चांदपुरा	आम चौहटा	07	सूखा।
5	रानीवाड़ा	हीरपुरा	हनुमानजी का थान	07	दिनांक 8.3.2015 को 2 क्षतिग्रस्त राइजर पाइप बदलकर हैण्डपम्प को चालू किया।
6	रानीवाड़ा	बरेठा	महादेवजी का थान	07	दिनांक 7.3.2015 को एक क्षतिग्रस्त राइजर पाइप बदलकर हैण्डपम्प को चालू किया।
7	रानीवाड़ा	धानोल	रा.प्रा. विद्यालय कालूजी की ढाणी	06	सूखा।
8	रानीवाड़ा	दईपुरा	ताराजी की ढाणी	05	दिनांक 8.3.2015 को 2 अतिरिक्त राइजर पाइप जोड़कर हैण्डपम्प को चालू किया।